महानगर नई दिल्ली रविवार 28 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (12+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

ईडी अधिकारियों को चकमा दिया कमलनाथ के भांजे ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

वीवीआइपी हेलिकॉप्टर प्रकरण से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे रतुल पुरी शौचालय जाने के बहाने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को चकमा देकर निकल गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बाद में एक निचली अदालत से दो दिनों के लिए राहत मिल गई। अदालत ने गिरफ्तारी से सोमवार तक अंतरिम राहत दे दी। उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।

धनशोधन मामले में होनी थी पूछताछ

हालांकि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह के बाद पुरी को निर्देश दिया कि वह शनिवार को शाम पांच बजे ईडी निदेशालय में जांच में शामिल हों। अदालत मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को करेगी। अधिकारियों ने बताया कि पुरी से शुक्रवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में पूछताछ के दौरान कुछ सबूतों के बारे में सवाल बाकी पेज 8 पर

अजित डोभाल के औचक कश्मीर दौरे और हालात की समीक्षा के बाद

केंद्र ने भेजे और दस हजार जवान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के कश्मीर से लौटने के साथ ही केंद्र सरकार ने वहां 10 हजार सुरक्षाबलों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। तत्काल प्रभाव से सुरक्षा बलों को देश के विभिन्न हिस्सों से विशेष विमानों से कश्मीर भेजा जा रहा है। अजित डोभाल ने बुधवार को वहां जाकर खुफिया व सुरक्षा एजंसियों के आला अफसरों के साथ बैठकें कर हालात का जायजा लिया था। गृह मंत्रालय ने उसी दिन अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना करने के बारे में गोपनीय आदेश विभिन्न सुरक्षा एजंसियों को जारी किया। शनिवार से जवानों को वहां भेजा जाने लगा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने ट्वीट किया, 'घाटी में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों को तैनात करने के केंद्र के फैसले ने लोगों में भय पैदा कर दिया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की कोई कमी नहीं है। जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है, जिसे सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार और उसे दुरुस्त करने की जरूरत है।'

गृह मंत्रालय ने तत्काल आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 100 कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि बाद में 100 और कंपनियां घाटी में भेजी जाएंगी। एक कंपनी में 100 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी होते हैं। ताजा आदेश के मुताबिक, घाटी में तैनाती के लिए सीआरपीएफ (50 कंपनियां), एसएसबी (30 कंपनियां) और आइटीबीपी व बीएसएफ से (10-10 कंपनियां) ली जाएंगी।

तत्काल प्रभाव से विशेष विमानों के जरिए सैन्यकर्मियों को भेजा जा रहा है घाटी में

अधिकारियों के मुताबिक नई तैनाती से राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में भी मदद मिलेगी जो किसी भी समय होने की संभावना है

बाद में दस हजार और जवान भेजे जाने की संभावना

"जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है, जिसे सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार और उसे दुरुस्त करने की जरूरत है।
- **महबूबा मुफ्ती**, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री

अधिकारियों के अनुसार इन जवानों को कश्मीर घाटी में आतंकवाद निरोधक ग्रिड को मजबूती प्रदान करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। उन्हें विमानों से पहुंचाया जा रहा है। नई इकाइयां घाटी में पहले से तैनात सुरक्षाबलों का हाथ मजबूत करेंगी, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं और रोजाना आतंकवाद निरोधक अभियान चला रहे हैं।

ये जवान घाटी में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की करीब 65 नियमित बटालियनों और यात्रा के बाकी पेज 8 पर

फाइल फोटो

पाक जैश कमांडर मुन्ना लाहौरी ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर मुन्ना लाहौरी सहित दो आतंकवादी मारे गए। मुन्ना लाहौरी उर्फ बिहारी कश्मीर में कई लोगों की हत्या में शामिल बाकी पेज 8 पर

माछिल में घुसपैठ नाकाम, जवान शहीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ के एक प्रयास को विफल करने के लिए चलाए गए सेना के अभियान के दौरान शनिवार को एक सैनिक शहीद हो गया। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया, 'माछिल सेक्टर बाकी पेज 8 पर

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर घटाकर पांच फीसद की

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जरों पर कर की दर घटाकर पांच फीसद करने का फैसला किया है। नई दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की शनिवार को 36वीं बैठक के बाद एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के समाधानों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच फीसद कर दी गई है। ऐसे वाहनों के बैटरी चार्जरों और चार्जिंग स्टेशनों पर भी जीएसटी की दर 18 से घटाकर पांच फीसद कर दी गई है।

जीएसटी परिषद ने ऐसे वाहनों के बैटरी चार्जरों व चार्जिंग स्टेशनों पर भी दर घटाई

बयान में कहा गया कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 12 यात्रियों बाकी पेज 8 पर

बाढ़ में फंसी ट्रेन से बचाए 1050 यात्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

मुंबई के पास बारिश के पानी में फंसी ट्रेन महालक्ष्मी एक्सप्रेस के सभी 1050 यात्रियों को निकाल कर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। इन यात्रियों में महीने भर का एक बच्चा और नौ गर्भवती महिलाएं भी हैं। पटरी पर पानी भर जाने से ट्रेन के डूबने की नौबत आ गई थी। राहत और बचाव अभियान में नौसेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बाकी पेज 8 पर

17 घंटे तक चला यात्रियों को बचाने का अभियान

9 गर्भवती महिलाओं समेत सभी यात्री सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाए गए

शनिवार को बाढ़ में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस से यात्रियों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर ले जाते बचावकर्मी।

करगिल समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन

राष्ट्र की सुरक्षा पर न कोई दबाव, न कोई प्रभाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

सैन्य बलों के आधुनिकीकरण को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल पर सरकार न कभी किसी दबाव में आएगी, न किसी के प्रभाव में और न ही किसी तरह का अभाव रोड़ा बनेगा। शनिवार शाम को राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में करगिल विजय दिवस समारोह को उन्होंने संबोधित किया। करगिल युद्ध विजय के 20 साल पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत समेत अन्य भी शामिल हुए। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। वहां करगिल युद्ध में शहीदों से जुड़ी तस्वीर को प्रदर्शित किया गया। गायक मोहित चौहान ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए।

यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने करगिल विजय दिवस पर आयोजित किसी सार्वजनिक आयोजन में शिरकत नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सुरक्षा हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता रही है और बनी रहेगी। उन्होंने कहा, 'आज लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर स्तर पर भी लड़ी जाती हैं। इसलिए सेना को आधुनिक बनाना बाकी पेज 8 पर

मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा : पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर स्तर पर भी लड़ी जाती हैं। इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी प्राथमिकता है। जल, थल, नभ सभी जगह हमारी सेना अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखती है।

हाईटेंशन तार की चपेट में आया कांवड़ियों का ट्रक

एक की मौत और पांच घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

बदरपुर इलाके के जैतपुर में हरिद्वार से जल लेने जा रहे कांवड़ियों का एक ट्रक बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। शुक्रवार रात हुए इस हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई जबकि पांच कांवड़िए करंट लगने से बुरी तरह झुलस गए। घायलों का पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि बिजली के तार काफी नीचे लटक रहे हैं जिस कारण यह हादसा हुआ।

बदरपुर इलाके के जैतपुर में हुआ हादसा, पुलिस ने शुरू की जांच

डाक कांवड़ियों के टेंपो को मारी टक्कर, एक की मौत - खबर पेज 4 पर

दरअसल शुक्रवार रात जैतपुर इलाके से 35-40 लोगों का बाकी पेज 8 पर

मुठभेड़ में तीन महिला नक्सली सहित सात ढेर

रायपुर, 27 जुलाई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में तीन महिला नक्सलियों सहित सात नक्सलियों को मार गिराया है।

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बस्तर जिले के नगरनार थानाक्षेत्र अंतर्गत तिरिया गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में सात नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नगरनार थानाक्षेत्र में एसटीएफ और डीआरजी का संयुक्त दल पिछले दो दिनों से नक्सल विरोधी अभियान पर है। शनिवार को जब दल नगरनार और दरभा के मध्य तिरिया गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस दल ने भी बाकी पेज 8 पर

पुलिस ने बताया, शनिवार को एसटीएफ और डीआरजी का संयुक्त दल नगरनार और दरभा के मध्य तिरिया गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की।

रविवारी
28 जुलाई, 2019

किशोर और अपराध

पिछले कुछ सालों में किशोर अपराधों की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर चिंता स्वाभाविक है। किशोर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं दीपक कुमार त्यागी।

• कहानी/ शोभा सिंह • प्रसंग/ पंकज पराशर • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ जेआरडी टाटा • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

जरूरी है रसोई की सफाई
• वंदना सिंह

• कविता/ प्रभुदयाल श्रीवास्तव • कहानी/ तारा निगम

रिहाई के लिए कछुओं को अगले अदालती आदेश का इंतजार | **कैद में बेजुबान** | 2015 में पुलिस ने आरोपियों से कछुओं को किया था बरामद

चार साल से रिहाई की राह देख रहे चार कछुए

राजनांदगांव, 27 जुलाई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में चार कछुए पिछले चार वर्ष से वन विभाग की हिरासत में हैं। स्थानीय अदालत के निर्देश पर वन विभाग कछुओं की मेहमान नवाजी कर रहा है।

जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के थानेदार राजेश साहू ने शनिवार को यहां बताया कि वर्ष 2015 में पुलिस ने छह आरोपियों से चार कछुए बरामद किए गए थे। तब से यह मामला अदालत में है और कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है। अब वन विभाग इन कछुओं की देखरेख कर रहा है तथा अदालत के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। उन्होंने बताया कि बसंतपुर थाने की पुलिस ने आरोपियों से कछुआ बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी कछुए का उपयोग जादू-टोने के लिए कर रहे थे। उनका मानना है कि कछुए सौभाग्य और धन प्रदान करते हैं।

साहू ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जब अदालत में इस मामले का आरोप पत्र दाखिल किया गया तब कछुओं को भी वहां सबूत के तौर पर पेश किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तब अदालत के निर्देश के बाद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया और यह मामला अदालत में अब भी लंबित है। उन्होंने बताया कि घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गए लेकिन कछुओं को रिहा नहीं किया गया और अब वह मछलीघर में रहने के लिए मजबूर हैं।

राजनांदगांव के वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद कछुओं को शहर के एक एक्वेरियम में रखा गया है। कछुओं की देखभाल के लिए विभाग के कर्मचारी बाकी पेज 8 पर

पुलिस के मुताबिक कछुए का उपयोग जादू-टोने के लिए कर रहे थे आरोपी।

जब अदालत में इस मामले का आरोप पत्र दाखिल किया गया तब कछुओं को भी वहां सबूत के तौर पर पेश किया।

घटना के कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गए लेकिन कछुओं को रिहा नहीं किया गया।

अदालत से अगले आदेश का इंतजार कर रहे कछुए वन विभाग के मछलीघर में रहने के लिए मजबूर।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Chanakya Chaufla S/o- Virender Chaufla-Residing at C-110, IInd-Floor affirm that the name of my father has been wrongly-written as Faiyaz Ali in my all educational documents - class 12 th onwards (Graduation and Post Graduation). The actual name of my father is Virender Chaufla which may be amended accordingly. 0040505119-8

I,Paramjeet Kaur W/o- Harmohan Singh, R/o: WZ-K-13, Street.No-13, Krishna-Park Extn., Tilak-Nagar, New Delhi-18. Informs that Paramjit Kaur, Parmeet Kaur, Parmit Kaur and Paramjeet Kaur are one and same Person. 0040505116-10

I, Lini Goel D/o Shri Alok Kumar R/o Flat.no.515, Supertech Avant Garde, Plot.no-1, Sector-5, Vaishali (Ghaziabad) U.P-201010, India, have changed my name to Palak Agarwal for all future purposes. 0040505055-1

I,Govind Ballabh S/o Sh.Khayali Ram Pandey R/o- H.No.B-152,Indra Park, Najafgarh,New Delhi-110043, have changed my name to Govind Ballabh Panday for all future purposes. 0040505055-2

I, kanika D/o Tony Kalra R/o 10/20A,Moti Nagar,Delhi-15 is also Known as Kanika Kalra. Both the aforesaid names are mine 0040505055-3

I, have changed my name from Amit Kumar Tyagi to Amit Kumar s/o Sh.Mange Ram r/o vill. Baseda Thana Nagal Tehsil Deoband Saharanpur U.P forever. 0040505130-1

I, Vandana Daga W/O Navneet Mall, Flat No. 902, Skytech Magadh-Society, Sector-3, Vaishali, Ghaziabad, U.P-201010, Changed My Name To Vandana Navneet Mall. 0040505119-1

I, Supriya D/o Kumar Ravi Ranjan Sinha R/o H.no.D-51/52, Anand Vihar, Najafgarh, Nangli Sakrawati, D C Nangli Sakravati, Delhi-43 have changed my name to Supriya Sinha for all Purposes 0040505055-5

I, Sumit Gupta, S/O Gauri Shankar Gupta, R/O-Rz-334/96, Galino-12, Madanpuri, West-Sagarpur, Delhi-110046. Changed My Minor Daughter Name Bhakti Mahajan To Bhakti Gupta. 0040505119-3

I, Sonam Devi,W/O Shiv Kumar, H.No-206, Rajnagar, Block-D-1, Gali.No-3, Loni, Uttar-Pradesh-201102, Hereby informs That Savitri Devi And Sonam Devi Are The Same Person. 0040505119-4

I, Siga Ram Manglam S/O Tuhiram H No-147,A-1, Middle-Portion, Lower Ground-Floor, Inderpuri, N.Delhi-110012. Have Changed My Name To Jiyaram Mangal. 0040505116-9

I, Shivin Anand S/o Sujay Anand R/o-11, Nizamuddin East, New Delhi-110013 have changed my name from Shiven Anand to Shivin Anand for all future purposes. 0040505003-1

I, Satish Singh S/o Raj Kumar Singh R/o-RZ-20-21/274 Gali.No-5C Geetanjali-Park West-Sagarpur Delhi-110046. Have changed the name of my minor son Piriyanshu Kumar Singh aged 13years and he shall hereafter be known as Priyanshu Kumar Singh. 0040505119-10

I, Saroj Devi W/o Ashish Kanwar, R/o.House.No.104, Sukhdham-Apartments, Sector-9, Rohini. New Delhi-110085. Have changed my name to Saroj Kanwar. 0040505103-4

I, Sangeeta Sharma W/o Kamal Chand R/o-C-13A Gali No-5A, Jankipuri Uttam-Nagar Delhi-110059. Have changed my name to Sangeeta. 0040505119-9

I, Sandip Kumar Tiwari S/o- Ved Prakash Tiwari, R/o-H-755A, First-Floor, Palam-Vihar, Gurugram(Haryana)-122017, have changed my name to Sandeep Kumar Tiwari. 0040505116-4

I, Sabina W/o Vijay Kumar R/o- 90-A, LIG flats,Madhuban Enclave,Madipur, New Delhi-110063,confirm that Sabina & Sabina Joseph Both are name of one and same person. 0040505140-1

I, Rupesh Kumar Arora S/o Sh.Dina Nath Arora R/o-D-20, IInd-floor (East-of-Kailash), New Delhi-110065, have changed my name to Rupesh Arora for all future purposes. 0040505133-2

I, Rohtash S/o Suraj Bhan R/o H.No.A-12/E, Gali No.7, Vikas-Nagar, Uttam-Nagar, N. Delhi-110059 that my name is wrongly written as Rohitashav Harijan in my educational document. But my actual name is Rohtash. 0040505117-2

I Akhilesh Yadava s/o Ramcharittar Yadava R/o E-6, Top floor, Nehru vihar, Timarpur, Delhi 110054 have changed my name to Akhilesh Yadav 0040505072-2

I, Riya Mahendru D/o Sudhir Kumar R/o L-46, Gali No.18, New Mahavir-Nagar, Tilak-Nagar, N.Delhi-110018,confirm that Riya & Riya Mahendru both are one and same person. 0040505133-7

I, Rekha Kaur W/O Mohit Kumar Dutta R/O.C-70C, DDA-Flats, Shivaji-Enclave, Raghubir Nagar, N.D-27. Have changed my name to Rekha Dutta. 0040505103-7

I, Ram Niwas Manglam S/O Jiyaram Mangal H.No-147, A-1, Middle-Portion, Lower Ground-Floor, Inderpuri, N.Delhi-110012. Have Changed My Name To Ram Niwas Mangal. 0040505116-8

I, Rajnish Sharma W/o Sanjeev Kumar Sharma R/o-TF-44, Varda-Apartment-2, Abhaykhand-3, Indirapuram, Ghaziabad, have changed my name Rajanish Sharma. 0040505116-6

I, Praveen Kumar Garg S/o Motiram R/o-77 Agroha Kunj Appt. Sec-13 Rohini Delhi-85, have changed my name to Praveen Kumar. 0040505116-3

I, Poonam Devi W/o Ram Prakash R/o 1736, Gandhi Nagar Near Sec 10A, Gurgaon, have changed my name to Poonam. 0040505103-3

I, Pawan S/o Sh. Balraj Singh R/o H.No.87, Village Challera, Gali No.3, near Amit Atta Chakki, Sector-44, Noida (U.P.), have changed my name to Pawan Kumar for all purpose. That Pawan and Pawan Kumar is one and same person. 0040504972-1

I, OMKAR S/0-BHOPAL SINGH R/0-WZ-24A PLOT NO-83 SHAM NAGAR-EXT Vishnu Garden Delhi-110018. Changed my name to OMKAR CHAUHAN. 0040505103-5

I, Nishu Aggarwal,S/o Sh.Sushil kumar Aggarwal R/o.H.No.462, Pathanpura-Shahdara Delhi-110032. Have changed my name from Nishi Kant Aggarwal to Nishu Aggarwal., for all future purposes. 0040505119-5

I, Mohd Ikram S/o Haji Bundu R/o-1158, Gali.No.4, Hindon-Vihar, Meerut Road, Ghaziabad, UP. Have changed my name to Ikram. 0040505103-8

I, Mohd Bilal S/o Ikram R/o-1158, Gali.No.4, Hindon-Vihar, Meerut-Road, Ghaziabad,UP. Have changed my name to Bilal. 0040505103-9

I, Mohammad Shahan S/o Mohammad Shareef R/o B-27, Ground Floor, Nizamuddin West New Delhi-110013 have changed my minor daughter name from Hiza Shahan to Aayat for all purposes. 0040505043-1

I, Meenakshi Jain W/o Sh. Ajay Goel R/o.B-1/53 Phase-II Ashok-Vihar Delhi-110052. Have changed my name to Meenakshi Goel permanently. 0040505103-1

I, Fizan Qureshi R/o 42, Chatta Lal Miyan Draya Ganj New Delhi -110002 have changed my name to Faizan Qureshi. 0070666997-1

I, Lakashmii Joshi W/O Sh.Ashok Kumar Joshi R/O.H.No.253 J.J.Colony Satya-Niketan Chankyapuri NewDelhi-110021. Have changed my name to Luxmi Joshi for all purposes. 0040505103-6

I, Krishna Nand Bhatt S/o Nand Ram Bhatt H.No.D-325, Pul-Pahladpur, Jaitpur, Delhi-110044 have changed my name to Shreekrishna Bhatt. 0040505133-1

I, Kamla Devi W/O Hat Ram Chauhan R/O 37B DDA Flats Pocket-2, Sector-7, Dwarka Delhi-110075. Have Changed My Name to Kamlesh Chauhan. 0040505046-1

I, KRISHAN KUMAR S/O SHYAM LAL @ SHYAMA R/o H. NO. 252 A, GALI NO. 12 C, RAJENDRA PARK EXTN., NANGLOI, NEW DELHI-110041, have changed my name to KRISHAN KUMAR SHARMA S/O SHYAM LAL SHARMA for all purposes. 0040504982-2

I, KM. MEHAJABIN RIYAZ W/O YUSUF MALIK H.NO.B-1/66, Ground-and 1st-floor yamuna-Vihar DELHI-110053, have changed my name to ARSHI MALIK. 0040505103-2

I, K Haseeb Ahmad,S/o K Sikander Ahmad, R/o-J3/172, KrishanKunj, Near Anar Wali Masjid, Laxmi-Nagar, Delhi-110092. Have changed my name to Khawaja Haseeb Ahmad. 0040505119-7

I, Juganu Nigahat Paraveen W/o Varis Ali Khan R/o B-9, Agahpur, Sector-41, Noida, UP. Have changed my name to Juganu. 0040505103-10

I, Joice Mall W/o Late.Sudhir Kumar R/o L-46, Gali No.18, New Mahavir-Nagar, Tilak-Nagar, N.Delhi-110018,confirm that Joice & Joice Mall both are one and some person. 0040505133-8

I, Anjana R/o H.NO. 354, Type-4, Sector-3, R.K. Puram New Delhi-110022 have changed my name toAnjana Chaudhary. 0070666996-1

I, Anil Kumar S/o Rameshwar Dutt Sharma, R/o H. No. 186A, Sultanpur, Delhi - 110030 have changed my name to Anil Sharma 0070666998-1

I, Alby Peter Vattakkattuputhenpura S/o V.T.Pathrose R/o-310-C J&K-Pocket Dilshad Garden Delhi-110095,have changed my name to Alby Peter for all purposes. 0040505116-1

मैं, अंजना शर्मा पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा निवासी म.नं. A-9, शिवपार्क, स्कूल रोड, खानपुर नई दिल्ली-110062, मेरा सही नाम अंजना शर्मा है तथा अंजना कुमारी शर्मा और अंजना शर्मा दोनों मेरे ही नाम है और मैं भविष्य में अंजना शर्मा के नाम से जानी जाऊँगी।

I, Jai Singh S/o Hardwari Lal R/o D-82, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Jai Singh Mann for all purposes. 0040505088-1

I, Jai Pal Kumar Jain S/o Chattar Sain Jain R/o B-427, Gali No.22, Bhajanpura, Delhi, have changed my name to Jai Pal Jain for all purposes. 0040505034-1

I, Het Ram/Hat Ram S/o Budh Ram R/o 37B DDA Flats Pocket-2, Sector-7, Dwarka Delhi-110075, have changed my name to Hat Ram Chauhan. 0040505046-2

I, Gulab Singh Prem Singh S/o Prem Singh Amar Singh R/o- D-104 Sector-1 Avantika,Rohini Delhi,have changed my name to Gulab Singh Rawat 0040505037-1

I, Fareen W/o Mohammad Rashid Qureshi R/o Badri-Nagar, Dareshi-Road, Mathura, UP. Have changed my name to Farheen Qureshi. 0040505116-5

I, Dr. Deepak Buddhi S/o Sh. Chet Ram R/o UU-67, Ground-Floor Pitampura, Delhi-110034, have changed my minor daughter's name from Arshia Buddhi to Arshiya Buddhi. 0040505117-1

I, Dheeraj Gupta S/O, Vinod Kumar Gupta R/o 103/9, S-5, Near Gaushala Chowk, Kishangarh, Vasant Kunj, ND-70, have changed my name to Dheeraj Kumar Gupta. 0040505119-6

I, Deepak Kumar Singh S/o, Krishna Mohan Singh R/o Village & Post-Telia Kalan Tehsil-Barhaj, District-Deoria, Uttar Pradesh (India) Pin No-274604, have changed my name to Deepak Singh for all purposes. 0040504902-2

I, Chandan Kumar S/O Rajender Prasad Shah H.No-78, Gali No-2, New Sabha Pur Gujjran, Karawal Nagar, Delhi-110094. Changed My Name To Chandan Gupta. 0040505119-2

I, Birendra Kumar Singh S/o Raghunandan Singh R/o H.no.607, Chauhan Mohalla. Rangpuri Mahipalpur, South-West Delhi-37, have changed my name to Birendra Singh. 0040505143-1

I, Mahesh Mehto S/O Hriday Mehto H.No-141, Type-1, KrishiKunj, I.A.R.I, Pusa, New Delhi-110012 Have Changed My Name To Yogi Mehto. 0040505116-7

I, Bhawna Sharma alias Bhavna Sharma alias Bhawna W/o Vipin Kumar R/O 8/17, Kad Road, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, have changed my name to Bhawna Kumar. 0040505042-1

I, Adesh Kumar Tyagi S/o Baleshwar Tyagi R/o-Flat-G907, Fortune-Residency, Rajnagar-Extension, Ghaziabad, have changed my name Adesh Tyagi. 0040505116-2

I, Amit Kumar S/o Sh. Kishor Kumar R/o Village-Barola, Near New Bal Bharti Public School, Sector-49, Noida (U.P.), Have added my Surname Name as "SINGH" and now I am known as AMIT KUMAR SINGH S/o SH. KISHORE KUMAR for all purpose and my actual date of birth is 23/03/1984. That Amit Kumar & Amit Kumar Singh is the one and same person. 0040504962-1

I hitherto known as Rajnish Kiran S/o Sh. Jhandu Singh, Residing at 99, DG-3, Vikas Puri, New Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as Rajnish Kumar 0040505072-1

I Inder Kathuria S/o Darshan Lal Kathuria residing at 58 Ground Floor AGCR Enclave Delhi-110092 have changed the name of my minor son Meet Kathuria aged 15th Years and he shall hereafter be known as Yashraj Kathuria. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040505079-1

I, Dimpal Valecha S/W/D Hukam Chand Valecha R/o-H.No-752,Model Town, Panipat,Haryana,have changed my name Dimple Valecha to Dimpal Valecha for all purpose. 0040503253-3

PUBLIC NOTICE

Public at large are hereby informed that below mentioned documents have been misplaced from the office of my client Dewan Housing Finance Corporation Ltd. having its registered office at Warden House, 2nd Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai-400001 and branch office at Unit No.01 & 09, Ground Floor, GD-ITL North Ex Tower, Plot No.A-9, Netaji Subhash Place, New Delhi; i.e. 1) Original GPA in favour of Parveen Khatri dated 28-01-2008 2) Original sale deed in favour of Mrs. Renu Devi, vide docs No.3779 regd. on dated 15-01-2018 pertaining to property bearing No.U-1, Kh No.-42/9, 10/1 & 10/2 Gautam Colony, Main Safiabad Road, Village Narela, Narela Delhi-110040. Accordingly my client has lodged police complaint dated 26-07-2019 in P.S.-Crime Branch Delhi, Vide LR.No.:1317740/2019 and the same is under investigation. The public are hereby cautioned against dealing in any manner with the above referred documents and if the same is misued he/she shall be at his/her own risk. If anyone found the above referred documents the same must be returned and submitted at Unit No.01 & 09, Ground Floor, GD-ITL, North Ex Tower, Plaint No.A-9, Netaji Subhash Place, New Delhi.

Vikas Shokeen (Advocate)
(M): 9891286119

खोया-पाया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है L टाईप दुकान (भूतल पर) सम्पत्ति नं. बी-1/10, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 की ORIGINAL SALE DEED (दिनांक 18.08.2000) कहीं खो गई है। जिसे मिले उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें- चन्द्र प्रकाश सचदेवा # 7683032678

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति नं. 10/127, गीता कालोनी, दिल्ली- 31 की ORIGINAL LEASE DEED (रजिस्ट्री दिनांक 18.02.1961) कहीं खो गई है। जिसे मिले उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें- किशन कुमार # 9810199494

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति न.-69-ए, तीसरी मंजिल, सरोजनी पार्क, शास्त्री नगर, दिल्ली-31, की ORIGINAL I/G.P.A. (रजिस्ट्री दिनाँक 05/05/2009) कहीं खो गई है जिसे मिले उपरोक्त पते पर सम्पर्क करे, मीना आनन्द

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति न.-13/395, गीता कालोनी दिल्ली-31 की ORIGINAL LEASE DEED (रजिस्ट्री दिनाँक 01/10/1962) कहीं खो गई है। जिसे मिले उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें, उषा रानी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति नं.-184, जनता क्वाटर, विवेक विहार फेस-1, दिल्ली-95 कि ORIGINAL ALLOTMENT LETTER, POSSESSION LETTER, G.P.A. AGREEMENT TO SELL इत्यादि कहीं खो गये हैं। जिसे मिले उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें निशा भासिन # 9899257870

I, Rahul Sharma S/o Sunil Kumar has lost my original Marksheet of main 10th-exam year-2017 Roll No.8350335 fail out from CBSE, Delhi. 0040505133-4

I, Shashi Khanna D/o Ram Lal Kapoor R/o A-35, Second Floor, Gali No.10,New Gobind Pura, Delhi-110051,have lost my original Regd.GPA & Will executed on 16-10-1998 by Smt.Mamta Jain in favor of Amar Singh of abovesaid property. Finders may contact at above address. 0040505044-1

LOST-DDA Rohini 1981 Scheme Original Demand cum allotment Letter, RTGS Slip & other Imp. Docs. of Sardarni Manjeet Sethi W/o Lt. BS Sethi R/o 28,Masjid Lane, Bhogal,ND-14, FIR No. 1254552/2019 dt.11/07/2019, has been logged with Crime Branch, Delhi. Founder Cont: 9899292262. 0040505066-1

I, Hira Shams S/o Dr.Shams Uz Zuha Siddiqui D-202 Taj Enclave Geeta-Colony Delhi.have lost my 2nd-Year Marksheet of enrollment number-1503022.Bachelor of Physiotherapy finder Contact. 0040505133-3

PUBLIC NOTICE

I, Pulok Biswas S/o Late Shri Amal Chandra Biswas R/o 66-D, Pocket-3, Mayur Vihar, Phase-1, New Delhi-110091 have lost my original Will Dt. 16.05.2005, Regd. Document No. 5848 in Book No. 3 Vol No. 684 Page No. 57 to 58 of above property. Contact: 9870588948

PUBLIC NOTICE

"General public is hereby informed that We, Yogendra Singh S/o. Late Sh. Jai Singh and Smt. Archna W/o. Sh. Yogendra Singh both R/o. C-3/56, First Floor, Janak Puri, New Delhi- 110058 debar our daughter namely Prerna Sharma from our all movable & immovable properties and swear all relations from her as she is out of our control and saying she has no concern with us."

Sd/-
RAM GOPAL SHARMA
(Advocate)
S.K. KAUSHIK & ASSOCIATES
Enrol. No. D-1332/04 Advocates

PUBLIC NOTICE

Be It know to all that my client Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Kewal Krishan and his wife Mrs. Nirmal Arora both R/O 266/A, Bagh Kare Kha, Gali No.4, Kishan Ganj, Delhi-110007. have served all their relations with their son Sh. KAMAL and his wife Smt. SWATI and their daughter KANISHKA From all their moveable and immovable properties as they have become disobedient, disloyal and disrespectful to my clients and has been acting against their interest. Any body dealing with them Shall be doing so and my clients shall not held responsible in any manner whatsoever for any of their acts.

Sd/-
RAJEEV K. TEWARI
(ADVOCATE)
Ch.No. 394-395 CIVIL WING
TIS HAZARI COURTS
DELHI-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Mr. Abdul Hamid S/o Liyakat Din and Smt. Mohammadi Begum W/o Mr. Abdul Hamid, both R/o: C-1/12, Madhu Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have severed their relations from their son Asif Siddiqui and his wife Smt. Shabnam Bano W/o Asif Siddiqui and my above clients have also disowned and disinherited them from all their moveable and immoveable properties. Henceforth, anybody dealing with the said Asif Siddiqui and his wife Smt. Shabnam Bano may do so at his/her own risk and consequences and my above said clients shall not be held liable for any of the acts, deeds and things done by aforesaid persons, i.e. Asif Siddiqui and his wife Smt. Shabnam Bano.

A.N. PANDEY (Advocate)
Ch. No. 552, Dwarka Courts, New Delhi
Mobile : 9810173809

PUBLIC NOTICE

The public at large is being informed that my client Shri Surat Singh Rao S/o Late Sh. Amir Singh and his wife Smt. Sarla Devi both R/o Village Haider Pur, Delhi have disinherited and disowned their both sons namely Jitender Kumar @ Titu and Anil Kumar and all daughters namely Asha Raj, Meenakshi and Anuradha and their family members from all their movable and immovable properties and have also severed their relations with them for all intents and purposes, for their bad behavior, misconduct and errant attitude. My clients shall not be responsible for any acts, deeds committed by them or their family members. Please be informed.

Sd/-
RAMBIR SINGH
ADVOCATE
Ch. No. Y-36, Civil, Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

सर्वजानिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अमीर चंद जैन पुत्र श्री सुमित चंद जैन निवासी:-F-301, प्रेम सिंह वाली गली, लाडो सराय, दिल्ली-30 व इनकी पत्नी श्रीमती सुमन जैन अपनी पुत्री सोनाली जैन को कहना न मानने, समाज में प्रतिष्ठा धूमिल करने के कारण अपनी समस्त चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुए अपने सभी पारिवारिक सम्बन्ध समाप्त करते है। भविष्य में अपने कार्यो के लिए यह स्वयं जिम्मेदार होगी।

Deepak Jain (Advocate)
410, Gali No.2, Ganesh Nagar-II,
Shakarpur, Delhi-110092

PUBLIC NOTICE

"My clients Sh. Amar Singh S/o Lt. Sh. Chatu Ram and Smt. Satwanti W/o Sh. Amar Singh, both R/o H. No. 334, Village Bhorgarh, Narela, Delhi-110040; have severed all their relationships with their son namely Manoj Kumar R/o H. No. 334, one portion on Ground Floor, Village Bhorgarh, Narela, Delhi-110040; and have disowned/debarred him from all relations and from all their moveable and immovable assets due to his anti-social, anti-family activities and cruelty committed upon my clients. My clients are not having even talking terms with the above noted son and my clients have no control over him for last considerable time. My clients shall not be responsible for the acts, deeds and things, if any done by their Son namely Manoj Kumar, as my clients have nothing to do with his businesses, liabilities and acts whatsoever".

Anuj Arya (Advocate)
Ch. No. 1222 & 827, Rohini Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is for information of Public in general that **Sh. Sudesh Kumar S/o Sh. Mahender Singh & Smt. Sushila W/o Sh. Sudesh Kumar R/o H. No. 795, Sulatan Pur Road, Pooth Khurd, Delhi,** do hereby sever all relations with his son and his daughter in law, namely **Sh. Sagar Dabas S/o Sh. Sudesh Kumar and Smt. Preeti W/o Sh. Sagar Dabas,** absolutely and completely, with immediate effect and **Sh. Sagar Dabas & Smt. Preeti** are also disowned by Sh. Suresh Kumar & Smt. Sushila and shall have no right in all moveable and immovable property owned by Sh. Sudesh Kumar & Smt. Sushila, Sh. Sudesh Kumar & Smt. Sushila shall not be responsible in any manner whatsoever for the acts of his said son and daughter in law. Any person dealing with his said son and daughter in law shall do so on his own risk and responsibility.

Sd/-
Mool Chand Verma (Advocate)
Ch. No. 812, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I VIJAY KUMAR S/O SHIMBHU LAL, residing at H. No. C-21, B-C BLOCK, SANGAM PARK, RANA PRATAP BAGH, MALKA GANJ S.O., NORTH DELHI, DELHI-110007 declare that name of mine has been wrongly written as VIJAY KUMAR SARWAN in my Indian Overseas Bank Passbook and ICICI Bank Account. The actual name of mine is VIJAY KUMAR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

PUBLIC NOTICE

Public at large is infromed that my clients **Shri Rajesh Maini,** son of shri Lal Chand Maini, & **Smt. Geeta Maini,** wife of Shri Rajesh Maini, both residents of New T-7, Om Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned their son namely **Mr. DISHANT MAINI** from their all moveable and immoveable properties due to his disrespectful behavior, out of control and they have severed their relations with him for all intents and purposes with immediate effect, My clients and their family members will not be liable for his acts, whatsoever done by him to anybody in future.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
(Advocates)
A-3, Main Najafgarh Road,
Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients namely Sh. SANJAY S/o. Sh. Maha Singh and Smt. MUNESH W/o. Sh. Sanjay both R/o. House No. 34, Amberhai, Sector-19, Dwarka, New Delhi -110075, have disowned, debarred their daughter MEENAKSHI D/o. Sh. Sanjay & Smt. Munesh from their moveable and immoveable properties because their said daughter is out of their control. My clients have severed all relations with her. Anyone dealing with her may do so at his/her own risks, costs and consequences.

VINOD KUMAR-ADVOCATE
Ch. No. 430, District Courts
Dwarka, Sector-10, N. Delhi -75

PUBLIC NOTICE

The General public is hereby informed that my Client Namely **Mohd Abid son of Mohd Yasin and Mst. Aqila wife of Mohd. Abid both R/o 1786, Turkman Gate, Delhi** has disowned their son namely **Arsalan and his family** from their moveable and immoveable properties and snapped all their relations for ever due to the dealings, conducts and behavior of their son which were absolutely against the family values and ethics norm or morality and were unislamic. My client shall not be responsible for the act, deed and conduct and transaction of son of my client, with whomsoever he deals in any manner and same shall be at risk, cost and responsibility who deals with him in future.

Sd/-
A.R. KHAN (Advocate)
CH. NO. 808, 8th Floor
Netaji Subhash Place, Delhi

PUBLIC NOTICE

My client Vaneeta Soni W/o Pankaj Soni & Pankaj Soni S/o Ram Avtar Soni are the owner of Rear Portion of the Second Floor in/of the property bearing No. M-64, erected on a plot of land measuring 300 Sq. Yds., situated at Saket, New Delhi-110017. They have lost /misplaced the below mentioned documents.

Original Will executed by Surjit Gupta W/o Mast Ram Gupta in favour of Renu Gupta W/o Rajiv Gupta duly registered as registration No. 1980, Book No. III. Volume No. 1196, on pages 163 to 164, registered on 26/02/2004, in the office of Sub-Registrar-V. New Delhi, in relation of the abovenoted property.

The General Public is hereby requested that kindly inform in case the aforesaid documents are found and return the same on the abovementioned address.

Sd/-
SAMUEL MATHEW
(ADVOCATE)
Ch. No. 644, W. Wing,
Tis Hazari Courts,
Delhi-54

PUBLIC NOTICE

I, Mirza Mohammad Yunus Zaheer, age 45 years, a Muslim Indian inhabitant of 404 Nadia Apartments, 10th Road, TPS-III, Santacruz East, Mumbai 400055 do hereby remove and cancel all the powers and authorities given by me to my wife viz Nazish Husaini by virtue of the power of attorney (No. L3958323) dated Oct 03, 2018. All or any of the acts, deeds, matters and things done or executed by my wife under or in pursuance of the aforesaid power of attorney shall not be deemed to be my acts nor done in my name or on my behalf; after the publication of this present notice.

(Mirza Mohammad Yunus Zaheer
Mumbai, 11th July, 2019.)

ममता की तुष्टिकरण नीति से सौहार्द पर असर : त्रिपाठी

कोलकाता, 27 जुलाई (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के निवर्तमान राज्यपाल केएन त्रिपाठी की इस टिप्पणी के लिए उन पर पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण नीति का राज्य के सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने राज्यपाल से सवाल किया कि क्या यह 'नंबर बढ़ाने का प्रयास' है।

तृणमूल कांग्रेस के अलावा विपक्षी माकपा और कांग्रेस ने इसे गलत समय पर की गई टिप्पणी करार दिया। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने सवाल उठाया कि त्रिपाठी ने इससे पहले यह क्यों नहीं कहा। अगले राज्यपाल जगदीप धनकड़ 30 जुलाई को शपथ लेंगे। चटर्जी ने तीखी टिप्पणी में कहा, 'क्या यह अपने नंबर बढाने का प्रयास था? इसीलिए हमने (तृणमूल) पहले कहा था कि राजभवन भाजपा का पार्टी कार्यालय बन गया है। यह अब सच साबित हुआ है।' उधर, माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि यह गलत समय पर की गई टिप्पणी है, हालांकि यह पूरी तरह से गलत नहीं है।

उन्होंने कहा, 'उन्हें (राज्यपाल) राजभवन से यह नहीं कहना चाहिए था, हालांकि जो उन्होंने कहा वह पूरी तरह से गलत नहीं है।' कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य ने सवाल किया कि निवर्तमान राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के अंत में आकर इस तरह का बयान क्यों दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने राज्यपाल के बयान को सही ठहराया।

राकांपा विधायक वैभव पिचड होंगे भाजपा में शामिल

अहमदनगर, 27 जुलाई (भाषा) ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को एक और झटका देते हुए अकोला से विधायक वैभव पिचड ने शनिवार को सत्ताधारी भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। वैभव एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यमंत्री मधुकर पिचड के बेटे हैं। दो दिन पहले राकांपा की मुंबई इकाई के प्रमुख सचिन अहिर ने भी सत्ताधारी गठबंधन दल शिवसेना का दामन थाम लिया था। वैभव पिचड ने बताया कि उन्होंने अहमदनगर के अकोला में शनिवार को अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाकर उनकी राय जानने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अधिकतर समर्थक चाहते हैं कि वह भाजपा में शामिल हो जाएं।

फसल ब्योरे पर मुख्यमंत्री खट्टर के ट्वीट से बिफरे किसान

चंडीगढ़, 27 जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुक्रवार की शाम ट्वीट करके किसानों को गन्ने की पैदावार से संबंधित पूरा डाटा चार दिन के भीतर 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पर डालने की अपील करने से किसान संगठन बिफर गए हैं। किसानों ने एक बार फिर से सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग की है।

> मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ट्वीट से बिफरे किसानों ने कहा, चार दिन में संभव नहीं पोर्टल पर फसल का ब्योरा डालना

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में गन्ने की फसल का 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्णय लिया है। गन्ना उत्पादक किसानों को 31 जुलाई तक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल पर अपनी गन्ने की फसल का ब्योरा अपलोड करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने इस आदेशों में साफ किया है अगले सीजन में चीनी मिलों द्वारा उन्हीं किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा, जिन्होंने 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया है। सभी शुगर कैन मैनेजरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस समयावधि तक गन्ना उत्पादक किसानों की फसल का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करवाएं।

दूसरी तरफ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसानों द्वारा इससे पहले सरसों का पूरा ब्योरा पोर्टल पर डाला गया था। इसके बावजूद सरकार ने खरीद नहीं की। किसानों ने जब प्रदर्शन किया तब सरकार की नींद टूटी और खरीद शुरू हुई। किसानों को गन्ने का ब्योरा पोर्टल पर डालने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। इसे बढ़ाना जरूरी है। ज्यादातर किसानों के पास इंटरनेट आदि की सुविधा नहीं है और जहां शुगर मिलें चल रही है, वहां भी नेट की उचित व्यवस्था नहीं है।

डोडा में भूस्खलन के कारण बुजुर्ग महिला की मौत

भद्रवाह/जम्मू, 27 जुलाई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मिट्टी के एक मकान के शनिवार को भूस्खलन की चपेट में आने से 82 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

डोडा के पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशंस) रवींद्र पाल सिंह ने बताया कि जिले के बग्गर इलाके में हुई इस घटना में दो दर्जन भेड़ें भी मारी गईं। उन्होंने बताया कि इशर दास का मिट्टी का मकान सुबह करीब छह बजे भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें वह, उनकी मां अश्रु देवी और 25 भेड़ें फंस गईं। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारी ने कहा कि दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मां-बेटे को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अश्रु देवी को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि दास का अभी उपचार चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में 25 भेड़ें भी मारी गईं। डोडा समेत जम्मू-कश्मीर में बुधवार शाम से भारी बारिश हो रही है।

माफी नहीं, आजम खान को निलंबित किया जाना चाहिए : रमा देवी

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) ।

भाजपा सांसद रमा देवी ने कहा है कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए सपा के सांसद आजम खान को लोकसभा से पांच साल के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। रमा देवी ने कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा।

खान ने गुरुवार को जिस समय रमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की उस समय रमा देवी पीठासीन सभापति का दायित्व निभा रही थीं। रमा देवी ने कहा, 'उन्हें (आजम खान) कड़ी सजा दी जानी चाहिए और पांच साल के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।' बिहार से सांसद रमा देवी ने कहा कि यदि आजम खान ने तत्काल माफी मांगी होती तो वह उन्हें माफ कर देतीं लेकिन वह बाहर चले गए।

विभिन्न दलों के सदस्यों के साथ बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि या तो वह माफी मांगें अन्यथा वह उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर शुक्रवार को खान की टिप्पणियों की निंदा की थी।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.
EXPRESS EDUCATION
LAW AMBITION LAW INSTITUTE
Register yourself for
MP JUDICIARY/DELHI HIGHER JUDICIARY
MOCK Interview Programme on 80066-0301 / 2130 28 JULY SUNDAY
MUKHERJEE NAGAR
JUDICIAL FOUNDATION WEEKEND 19 AUG • 28 JULY 880066-0301/2130
CLAT / DU.LL.B. 26 JULY 880066-0380
KAROL BAGH / PUSA ROAD
JUDICIAL 21 AUG. IAS (LAW) 20 AUG. CLAT 5 AUG.
UPSC LAW (OPTIONAL) TEST SERIES : 4 AUG., 2.30 PM
880066-2140 / 011-49841810
B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Nagar, Delhi -9
011-47532639 / 8800660301 www.ambitionlawinstitute.com
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

सौ रुपए के स्टांप पेपर पर भेजा तलाकनामा

इंदौर, 27 जुलाई (भाषा)।

इंदौर की एक महिला का आरोप है कि उसके 34 वर्षीय पति ने यहां उसे सौ रुपए के स्टांप पेपर पर 'तलाकनामा' भेजा है। पीड़ित महिला ने इस तलाक को अपने पति का एकतरफा फैसला बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया है और वह इसके खिलाफ पुलिस की शरण में है।

> पुलिस की शरण में पीड़ित अभिनेत्री

भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुकी अभिनेत्री रेशमा शेख उर्फ अलीना ने शनिवार को बताया कि मेरे पति मुदस्सिर बेग ने मुझे 17 जुलाई को सौ रुपए का स्टांप पेपर भिजवाया। इस पर छपा है कि वह तलाक-ए-बाईन (इस्लामी शरीयत के मुताबिक तलाक का एक प्रकार) देते हुए मुझे निकाह के रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह एकतरफा तलाक कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुदस्सिर से मेरा प्रेम विवाह 2016 में हुआ था। अपने वैवाहिक रिश्ते की खातिर मैं पेशेवर अभिनय करना भी छोड़ चुकी हूं। हमारा दो महीने का बच्चा है और मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं।

अलीना ने बताया कि वह इंसाफ पाने के लिए चंदन नगर पुलिस थाने और कुछ आला पुलिस अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट चुकी हैं। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी राहुल शर्मा ने इस मामले में संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा कि यह पति-पत्नी के आपसी विवाद का मामला है।

POWERING NEW INDIA

औद्योगिक निवेश का दूसरा चरण

रु. 65,000 करोड़ की 250 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास

मुख्य अतिथि

अमित शाह

गृहमंत्री, भारत सरकार

के कर-कमलों द्वारा

गरिमामयी उपस्थिति

राम नाईक
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

डॉ. दिनेश शर्मा
उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

सतीश महाना
मंत्री, औद्योगिक विकास
उत्तर प्रदेश

स्वतंत्र देव सिंह
राज्य मंत्री, परिवहन
प्रोटोकॉल (स्वतंत्र प्रभार)
ऊर्जा, उत्तर प्रदेश

सुरेश राणा
राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास
उत्तर प्रदेश

दिनांक: 28 जुलाई 2019 | **समय:** पूर्वाह्न 10:00 बजे

स्थान: इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ

@InvestInUP/ @InvestInUp www.upinvestorssummit.com

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.5 डि.से.	32.5 डि.से.	30.8 डि.से.	31.0 डि.से.
न्यूनतम	25.4 डि.से.	25.4 डि.से.	25.4 डि.से.	25.3 डि.से.

डाक कांवड़ियों के टेंपो को मारी टक्कर, एक की मौत

- आरोपी चालक को किया गया गिरफ्तार
- चार कांवड़िये टेंपो से हरिद्वार जा रहे थे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली के सागरपुर बस स्टैंड पर शनिवार तड़के एक डाक कांवड़िये के टेंपो को एक दूसरे टाटा-407 टेंपो ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई और तीन कांवड़िये घायल हो गए। सभी को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी टेंपो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक मृतक कावड़िया की पहचान 24 साल के मोहित के रूप में हुई है, जबकि घायलों में विजय ठाकुर, अंकित और अभिषेक हैं। हरिनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी टेंपो चालक उत्तर प्रदेश गाजीपुर के 41 साल के अजय शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अंकित परिवार के साथ प्रहलादपुर, दिल्ली छावनी इलाके में रहता था। परिवार में माता-पिता व अन्य सदस्य हैं। अंकित अपने दोस्तों के साथ एक टेंपो में बिंदापुर से सवार होकर हरिद्वार जा रहा था। शनिवार तड़के करीब 2 बजकर 45 मिनट पर कुछ दूर चलने के बाद बारिश शुरू हो गई। कांवड़ियों का चालक टेंपो रोककर तिरपाल डालने लगा। उसी समय पीछे से एक तेज रफ्तार टेंपो ने टक्कर मार दी। वहां अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल चार युवकों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया जहां मोहित की हालत गंभीर होने पर उसे सफदरजंग अस्पताल के लिए भेज दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

भर्ती करने की जिद न मानने पर अस्पतालकर्मियों पर मारपीट का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आनंद विहार थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के दौरान युवक अपनी मां को इलाज के लिए लाया था। युवक का आरोप है कि मां को भर्ती करवाने की जिद न मानने पर डॉक्टर और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की है। पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम को अचानक नितिन की मां के पेट में दर्द उठा तो वे उन्हें लेकर अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गए। यहां नितिन को एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई। इसके बाद वह अपनी मां को लेकर आनंद विहार स्थित पुष्पांजलि अस्पताल में ले आए, जहां उनकी डॉक्टर के साथ कहासुनी हो गई।

'चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा आयोग'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

प्रेसवार्ता में डीएमए पदाधिकारियों ने दी जानकारी

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रस्ताव का डीएमए ने किया समर्थन
- डीएमए के कार्यकारी सदस्य रवि मलिक ने बताया कि कानून के आने पर निजी कॉलेजों पर भी लगेगा नियंत्रण

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के गठन के प्रस्ताव का दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने समर्थन किया है। डीएमए के पदाधिकारियों ने शनिवार को दरियागंज में प्रेसवार्ता कर बताया कि अधिकतर डॉक्टर इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। आयोग के गठन के बाद काफी हद तक चिकित्सा (मेडिकल) के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

डीएमए के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा कि समय-समय पर एसोसिएशन पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। आयोग के गठन के बाद काफी हद तक ऐसे करने वालों पर लगाम लगेगी। वहीं, डीएमए के कार्यकारी सदस्य रवि मलिक का कहना है कि आयोग के गठन से चिकित्सा के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। आगे अन्य एसोसिएशन भी इसका समर्थन करेंगे।

डॉ मलिक ने बताया कि इस संबंध में डीएमए के पदाधिकारियों ने डॉक्टरों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने की बात सबने कही। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के कानून बन जाने से निजी कॉलेजों के पंजीकरण और नियमन पर अंकुश लगेगा। साथ ही सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। डॉ त्यागी ने कहा कि इस कानून के आने के बाद केंद्र सरकार का सभी निजी कॉलेजों पर नियंत्रण होगा। फिलहाल छात्रों के प्रवेश देने का पूरा अधिकार निजी कॉलेजों के अधीन है। पर आयोग के गठन के बाद 50 फीसद सीटों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। निजी कॉलेज उतनी ही फीस वसूल पाएंगे, जितनी सरकार तय करेगी। यही नहीं, कॉलेज के फैकल्टी और सुविधाओं के बारे में भी कॉलेज को अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को लेकर पूरी पारदर्शिता आएगी और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। डॉ रवि मलिक ने बताया कि आयोग के सदस्यों की संख्या 25 बताई जा रही है। खास बात है कि इनमें से 22 सदस्य डॉक्टर होंगे। इससे पहले डॉक्टरों के होने का प्रावधान नहीं था। हालांकि डीएमए इस प्रस्ताव के एक पहलू का विरोध भी कर रहा है। सदस्यों का कहना है कि मार्डन मेडिसिन से जुड़े लोगों को लाइसेंस देना और सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देना गलत है, इससे झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। डॉ त्यागी ने कहा कि भले ही आइएमए इसका विरोध कर रहा है, लेकिन प्रस्ताव को सही से समझने के बाद वे भी इसका समर्थन करेंगे।

परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आइआइटी दिल्ली में कार्यरत एक वरिष्ठ लैब तकनीशियन के परिवार ने कथित तौर पर घरेलू कलह की वजह से सामूहिक खुदकुशी कर ली। तकनीशियन गुलशन दास ने जहां कोरीडोर में लगे लोहे की पाइप से लटककर अपनी जान दी तो वहीं, उसकी पत्नी सुनीता और मां कांता का शव बेडरूम में पंखे से लटका पाया गया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच में मामला घरेलू कलह का लग रहा है। शुक्रवार देर रात हुई इस वारदात के बाद शनिवार को तीनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की एक टीम बना दी गई है। मजिस्ट्रेट मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस गुलशन और सुनीता के परिवार वालों से पूछताछ कर मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने बताया कि शुक्रवार देर रात आइआइटी दिल्ली के परिसर में घरेलू हिंसा की सूचना मिली।

सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर गंगते को घटनास्थल पर भेजा गया। परिसर की तीसरी मंजिल स्थित बी-17 ब्लॉक के क्वार्टर नंबर-3 के पास जाने पर पता चला कि यहां दो महिलाएं और एक पुरुष ने खुदकुशी कर ली है। क्वार्टर में रहने वाला 35 साल का गुलशन बायो कैमेस्ट्री विभाग में बतौर वरिष्ठ लैब सहायक काम करता था। घर में उसकी 32 साल की पत्नी सुनीता और विधवा मां थी। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को गुलशन की सास कृष्णा देवी पूरे दिन गुलशन के घर फोन करती रहीं। दिन भर जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो कृष्णा देवी ने पीसीआर को फोन कर इसकी जानकारी दी। वे नारायणा में रहती हैं। जांच के बाद पुलिस का कहना है कि तीनों शवों पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है।

सामूहिक आत्महत्या पर मनोवैज्ञानिकों की राय

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में सामूहिक खुदकुशी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते साल बुराड़ी में 11 लोगों की सामूहिक खुदकुशी के बाद पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी और महरौली में परिवार के सदस्यों के साथ हुई खुदकुशी ने पुलिस और मनोवैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा दी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के मामलों में शुरुआती कारणों में भौतिकतावादी संस्कृति में लिप्त होना और दुनियादारी से अलग होकर आभासी दुनिया में जीना कारणों के रूप में सामने आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक डॉ अतुल वर्मा कहते हैं कि बुराड़ी मामले से अलग आमतौर पर भागती जिंदगी में बढ़ते रहना और भौतिकवादी संस्कृति का बढ़ना सामूहिक खुदकुशी का कारण बन रहा है। भीड़ में भी अकेलापन, पत्नी, बच्चे और खुद भी एक घर में बैठते हुए मोबाइल पर लगे रहना और एक दिन यही जिंदगी का सार बन जाना भी खुदकुशी का कारण बन जाता है। अत्यधिक तनाव में यह सोचना कि मेरे मरने के बाद पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा, सो उन्हें भी अपने साथ ले जाना भी सामूहिक खुदकुशी का कारण है। मनोवैज्ञानिक डॉ गगन दीप कहती हैं कि सामूहिक खुदकुशी करने का खतरनाक चलन चल रहा है। आभासी दुनिया में सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद एक दिन दुख तकलीफ को सह नहीं पाना और लोगों के बीच तनाव पैदा होना खुदकुशी के कारण हो रहे हैं।

सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष ओपीडी शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष ओपीडी शुरू कर दी गई है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। अस्पताल में रविवार को बुजुर्गों को सुविधा देने के लिए यह विशेष बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) खोला गया है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने कहा कि शुरू में यहां पांच विभागों मेडिसिन, सामान्य सर्जरी, ईएनटी, नेत्र रोग विभाग, अस्थि रोग विभाग की सेवा उपलब्ध रहेगी।

हर्षवर्धन ने एमआरआइ सुविधा, बाइप्लेन कार्डिएक कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला और ईएसडब्ल्यूएल प्रयोगशाला जैसी कुछ और चिकित्सा सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, सरकार के एजंडे में टॉप पर है और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बताया गया कि ओपीडी सेवाएं सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होकर साढ़े बारह बजे तक उपलब्ध रहेगी। डिस्पेंसरी में दवाएं दोपहर एक बजे तक मिलेंगी। इमरजेंसी ब्लॉक में नैदानिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने नए सुपर स्पेशियेलिटी ब्लॉक में पौधारोपण भी किया।

डॉ हर्षवर्धन ने परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्त्व में हम सक्रिय रूप से सर्वश्रेष्ठ उपकरणों, तकनीकों एवं भवनों के साथ अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

टीचर्स फोरम ने डीयू के कुलपति को लिखा पत्र

आरक्षित सीटें भरने से पहले मांगे जाएं कॉलेजों से आंकड़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो योगेश कुमार त्यागी को पत्र लिखकर मांग की है कि स्नातक स्तर पर कॉलेजों में खाली पड़ी आरक्षित श्रेणी की सीटों के लिए विशेष अभियान चलाने से पहले हर कॉलेज से आंकड़े मंगवाएं जाएं ताकि पता चल सके कि कॉलेजों ने अपने यहां स्वीकृत सीटों से ज्यादा कितने दाखिले किए हैं तथा उसकी एवज में आरक्षित वर्ग की कितनी सीटों पर दाखिला दिया गया है। जब उनसे ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तभी विश्वविद्यालय को खाली पड़ी आरक्षित वर्ग की सीटों के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित सीटों को भरने के लिए एससी-15 फीसद, एसटी-7.5 फीसद और ओबीसी-27 फीसद आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। जब तक कोटा पूरा नहीं हो जाता विश्वविद्यालय-कॉलेजों को अभियान चलाकर इन सीटों को भरना होता है लेकिन कॉलेजों में ऐसा नहीं किया जाता।

हरियाली तीज पर पौधे लगाने की अपील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने हरियाली तीज पर धरती की हरियाली बढ़ाने की पहल की है। प्रेस को जारी बयान में पांडेय ने कहा-तीन अगस्त को हरियाती तीज है। यही एक ऐसा पर्व है जो पर्यावरण से जुड़ा है और महिलाओं के हिस्से का है। लिहाजा सहभागिता से हर महिला से अपील की गई है कि वह एक या दो पौधे जरूर लगाएं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला वन विभाग तीज के दिन से नौ अगस्त तक (करीब एक हफ्ता) पर्याप्त पौध सुनिश्तिता उपलब्ध कराएगा। जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए जिले में एक खास क्षेत्र तय किया गया है जहां महिलाएं अपने हिस्से का पौधरोपण कर सकती हैं।

सदस्यता अभियान पर भाजपा ने मांगी नेताओं से रिपोर्ट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली में चल रहे सदस्यता अभियान से नाखुश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नेताओं से रिपोर्ट मांगी है। पार्टी ने सभी नेताओं को आदेश दिए हैं कि अब तक जिन भी जिलों व क्षेत्रों में पार्टी के नए सदस्य बनाए हैं। उन सदस्यों की सूची प्रदेश कार्यालय को भेजी जाए। इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन इस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। पार्टी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दिल्ली में करीब पांच लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का दावा किया जा रहा है।

सदस्यता अभियान की रिपोर्ट को लेकर जल्द ही पार्टी स्तर से दिल्ली के सभी निगम पार्षदों को भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन इस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि शनिवार तक पांच लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी को 57 फीसद का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य में से अब पार्टी के नेता करीब 10 लाख सदस्य बनने की ही संभावना जता रहे हैं।

शनिवार को इस अभियान में तेजी लाने के लिए पार्टी प्रभारी श्याम जाजू व मनोज तिवारी प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पार्टी प्रभारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह से साफ है कि इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 'आप' सरकार की विदाई तय है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि बीते 54 माह में 'आप' सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसका बदला आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से लेगी। उधर इसी पहल में शनिवार को मयूर विहार में एक विशेष कार्यक्रम के तहत बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ियों को भी पार्टी का सदस्य बनाया गया। भाजपा नेता विरेंद्र सचदेवा ने बताया कि इसके लिए एक विशेष शो का आयोजन किया गया था, जहां पर आए लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। शाहदरा में भी भाजपा नेता जय भगवान गोयल ने सदस्यता अभियान चलाया।

280 मंडलों में होगा 'मन की बात' का आयोजन

रविवार को दिल्ली भाजपा सभी 280 मंडल में मन की बात का आयोजन करेगी। यह जनता से सीधी बात का 56वां कार्यक्रम होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।

दिल्ली भर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन समेत अन्य नेता व पदाधिकारी शामिल रहेंगे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र : प्रोफेसर नामवर सिंह के निजी संग्रह का कलानिधि संदर्भ पुस्तकालय में शुभारंभ और प्रथम स्मारक व्याख्यान, सभागार, सी वी मेस, केंद्र परिसर, जनपथ, दोपहर चार बजे।

गरुड़ प्रकाशन : 'द सरस्वती सिविलाइजेशन: ए न्यू पेरेडिगम इन एनशिएंट इंडियन हिस्ट्री' नामक पुस्तक का विमोचन, आंध्रा एसोसिएशन, गोदावरी ऑडिटोरियम, 24-25 लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया, शाम पांच बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : रोजलेंड विल्सन स्मारक व्याख्यान 2019, सीडी देशमुख ऑडिटोरियम, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट देने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री को पक्का करने की प्रक्रिया में महिलाओं को पंजीकरण में छूट दिए जाने की मांग के साथ शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भेजा है। भाजपा ने महिलाओं को रजिस्ट्री में 4 फीसद छूट दिए जाने की मांग की है।

मनोज तिवारी ने अपने पत्र में कहा कि ऐसा ही मॉडल झारखंड में पहले से है, जहां भाजपा सरकार ने संपत्ति की खरीद पर महिलाओं के लिए सात फीसद पंजीकरण शुल्क खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में महिलाओं को संपत्तियों के पंजीकरण पर महज एक रुपया देना होता है। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों को नियमित करने की राह में दिल्ली सरकार एक बड़ा रोड़ा है। केंद्र सरकार के पत्र में सरकार की लापरवाही सामने आ चुकी है। इस मामले में दिल्ली सरकार की लापरवाही के बाद केंद्र सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति ही तीन माह के अंदर इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर काम करेगी।

जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात ठप

बनिहाल/जम्मू, 27 जुलाई (भाषा)

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से यातायात बाधित रहा। मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंस गए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बुधवार शाम से रुक रुककर हो रही वर्षा रविवार तक जारी रहने की संभावना है।

राज्य के मौसम विभाग निदेशक सोनम लोटुस ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते मिट्टी नरम हो गई है। अधिक वर्षा होने से भूस्खलन, बाढ़ और मिट्टी धंसने की संभावना है।

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नई कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद–201001 (यूपी)
CIN: L25209UP1970PLC003320

नोटिस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1) (ए) अनुसरण में एतत्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 05 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ कम्पनी के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अंनकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अनुमोदित किया जाएगा।

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड
हस्ता./–
बी. मेहरोत्रा
(निदेशक)
स्थान : गाजियाबाद
दिनाँक : 27 जुलाई, 2019 DIN: 03279399

DTC India Limited

CIN: L51226DL1918PLC306032
Registered Office: 3rd Floor, 4/17-B Asaf Ali Road, New Delhi – 110 002
Tel: +91-11-42322200: Fax: +91-11-23280388
E-mail: dtc.planter@gmail.com
Website: www.dtctea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday the 31st July, 2019 at the 11.30 AM, at the Registered Office of the Company at 3rd. Floor, 4/17-B Asaf Ali Road, New Delhi – 110 002. to, inter alia, consider and approve the un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2019

For DTC India Limited
Sd/-
[D.K. Singh]
Date: 26-07-2019 Whole-Time Director
Place: Delhi DIN: 06411142

फॉर्म सं0. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
कुल भागवंती पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 210, यूनिटी–1 मॉल, मेन जीटी रोड पानीपत, हरियाणा 132103 के मामलें में
......याचिकाकर्ता

सावजनिक सूचना

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को हरियाणा राज्य से दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदलने के लिए

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत शुक्रवार 12 जुलाई, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, कैंद्रीय सरकार अर्थात, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो **वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,** बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को सूचित करें, और एक चिह्नित प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 210, यूनिटी–1 मॉल, मेन जीटी रोड पानीपत 132103 पर भेजें।

कृते **कुल भागवंती पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/–
सुनील जैन
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
दिनांकः 27.07.2019 DIN: 00054764
डी–13/79, सेक्टर 8, रोहिणी
नई दिल्ली 110085

KEI केईआई इंडस्ट्रीज लि.

पंजी. कार्यालयः डी–90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020
CIN: L74899DL1992PLC051527
टेली: +91-11-26818840/8642
फैक्स: +91-11-26817225
ईमेल: cs@kei-ind.com
वेबसाईट: www.kei-ind.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त 01 ली तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पुनः सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन अनंकेक्षित तिमाही तथा तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों को जमा करने का चयन किया है तथा अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम के साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट संलग्न की जायेगी। लेकिन वार्षिक वित्तीय परिणामों की ऑडिट की जायेगी तथा ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न की जायेगी।

पुनः जैसा कि हमारी पत्र तिथि 29 जून, 2019 के माध्यम से पूर्व में सूचित किया गया है, कम्पनी द्वारा निर्मित इंसाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी के ट्रेडिंग विंडो कम्पनी के सभी विनिर्दिष्ट कर्मचारियों (तथा उनके नजदीकी संबंधियों) के लिये 01, जुलाई, 2019 से कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद अर्थात 7 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कंपनी की वेबसाईट (www.kei.ind.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा (www.nseindia.com) देखें।

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(अनिल गुप्ता)
स्थानः नई दिल्ली अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
तिथिः 26.7.2019 DIN: 00006422

GURUKULA KANGRI VISHWAVIDYALAYA, HARIDWAR

(NAAC 'A' Grade Accredited Deemed to be University U/S 3 of UGC act 1956)

Adv. No. GKV/Estt./02/2019 **VACANCIES**

Online applications are invited in the prescribed Application Form from eligible candidates for appointment to the faculty positions of **Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor** in various Subjects/Departments of the Vishwavidyalaya and administrative posts of **Registrar** and **Finance Officer**. Application form is to be submitted online along with application fee of **Rs. 550/-(Rs. 150/- for SC/ST/PWD).** The details of the posts/minimum eligibility/ educational qualifications/ pay levels/ reservation/ general conditions & information etc. are available on the website **www.gkv.ac.in.**

The Last date for receipt of application is 26.08.2019 or 10 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News, whichever is later. **Registrar**

बजाज फायनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मुंबई-पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र-411035
शाखा कार्यालयः 8वीं, 10वीं एवं 13वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाईट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली 110034

सार्वजनिक सूचना

फ्रेशेन फूड्स एवं बेवरेजेस प्रा.लि.

सूचना यहाँ दी गई है कि निम्नलिखित दस्तावेजः
आवंटन पत्र दिनांक 21 सितंबर 2012
रसीद नं.-00016/0912, दिनांक 15 सितंबर 2012, रु.10,31,000/- (रु. दस लाख इकत्तीस हजार मात्र)
डीएलएफ द्वारा पत्र दिनांक 21 मार्च 2013 (बंधक करने की अनुमती)
डीएलएफ होम डेवलपर्स लि. एवं डीएलएफ न्यू गुड़गांव होम डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा निष्पादित स्वतंत्र मंजिल के लिए बिल्डर क्रेता समझौता दिनांक 7 सितंबर 2013
दस्तावेज पत्रो की कुरियर दिनांक 7 सितंबर 2013
कुरियर लेटर रिमाईडर द्वितीय की दिनांक 3 अक्टूबर 2013, मांग पत्र रु. 79,67,139.53/- (रु. उनासी लाख सड़सठ हजार एक सौ उनचालीस एवं तिरेपन पैसे मात्र)
मांग पत्र दिनांक 30 मई 2014, रु. 1,00,71,396.12 (रु. एक करोड़ ईकहत्तर हजार तीन सौ छियान्वे एवं बारह पैसे मात्र)
रसीद नं. 00012/1013, दिनांक 30 अक्टूबर 2013, रु. 62,43,520/- (रु. बासठ लाख त्रियालीस हजार पांच सौ बीस मात्र)
मांग सह सूचना नोटिस दिनांक 25 नवंबर 2013, रु. 46,20,539.83/- (छियालीस लाख बीस हजार पांच सौ उन्चालीस एवं तिरासी पैसे मात्र)

फलेट नं. टी021, सेलेक्ट होम्स, एनटीएच सेक्टर–90, डीएलएफ गार्डन सिटी, गुड़गांव जो फ्रेशेन फूड्स एवं बेवरेजेस प्रा. लि. के नाम पर है, जिसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ वितीय सहायता हासिल करने के लिए 'सुरक्षा हित' के लिए प्रस्तुत किया गया था, उसके खो जाने / गलत होने की सूचना मिली है और इसके संबंध में डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन बिल्डर यानि डीएलएफ को किया गया है। यदि किसी को इस तरह के डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करने में आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सही/–
(अधिकृत स्वाक्षरी)

IL&FS आईएल एण्ड एफएस फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः दी आईएल एण्ड एफएस फाइनैंशियल सेंटर, प्लॉट नं. सी-22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुंबई– 400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः द्वितीय तल, ऐम्बियंस कॉर्पोरेट टॉवर, ऐम्बियंस मॉल कॉम्पलेक्स, ऐम्बियंस आईलैंड, एनएच-8, गुड़गांव- 122001, हरियाणा

नियम - 8(1) कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, आईएल एण्ड एफएस फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 05 जुलाई, 2018 को जारी की थी, जिसमें कोलाज ग्रुप इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (कर्जदार/दृष्टिबंधकदाता), एमएनटी इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर), श्री अमित खनेजा (व्यक्तिगत गारंटर/बंधकदाता), इंदरमोहन इन्वेस्टमेंट फाइनैंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर/बंधकदाता), श्री सुमित खनेजा (व्यक्तिगत गारंटर/बंधकदाता), ओरेन बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर/बंधकदाता) श्री इंदरमोहन खनेजा (व्यक्तिगत गारंटर/बंधकदाता) तथा मल्टीस्टार प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर) से उक्त मांग सूचना में वर्णित अनुसार दिनांक 05.07.2018 तक बकाया राशि रू. 101,75,06,403/- (रूपये एक सौ एक करोड़ पिचहत्तर लाख छः हजार चार सौ तीन मात्र) आकस्मिक खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार/बंधकदाता/व्यक्तिगत गारंटर/ कॉर्पोरेट गारंटर बकाया राशि चुकाने में असफल रहे है, अतः एतद्द्वारा उपरोक्त कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/व्यक्तिगत गारंटर(रों)/कॉर्पोरेट गारंटर(रों) और सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कोर्ट रिसीवर नीरज कुमार बंसल ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 10.10.2018, 07.12.2018, 07.01.2019, और 23.05.2019 के आदेशों के अनुपालन में माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (दक्षिण), साकेत कोर्ट, दिल्ली द्वारा माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण संख्या 14432/2018 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी ने सौंप दिया है, जो आईएल एण्ड एफएस फाइनैंशियल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वर्ष 2019 के माह जुलाई की तारीख 22 को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से उपरिवर्णित कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/व्यक्तिगत गारंटर(रों)/ कॉर्पोरेट गारंटर(रों) तथा सामान्य रूप से सर्व साधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईएल एण्ड एफएस फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड की राशि रू. 101,75,06,403/- (रूपये एक सौ एक करोड़ पिचहत्तर लाख छः हजार चार सौ तीन मात्र) दिनांक 05.07.2018 तक बकाया व उपार्जित ब्याज, प्रभार, बकायों, आकस्मिक खर्चों, लागतों सहित चुकाने के बाद ही किया जा सकता है। कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/व्यक्तिगत गारंटर(रों)/कॉर्पोरेट गारंटर(रों) का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

*12 बीघा अथवा 2.5 एकड़ गांव छत्तरपुर, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति के सभी अंश व खंड निम्नांकित है:–

क्रम सं.	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (बीघा में)	बंधक किया गया क्षेत्रफल (बीघा में)
1	1617/2	04-01	03-12
2	1618	04-16	04-04
3	1623	04-16	04-04

उसके उपर निर्माणों तथा सभी फिक्सचर्स एवं फिटिंग्स, वर्तमान और भावी दोनों, सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, लाइट्स, उपभोगाधिकारों, अनुषंगियों सहित तथा उसके हिस्से अथवा उसके उपांग के तौर पर मान्य के धारण, प्रयोग तथा अधिवास के साथ संबंधित उक्त दाय के सभी लाभों सहित।

*06 बीघा 09 बिस्वा अथवा 1.34 एकड़ (लगभग) गांव छत्तरपुर, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति के सभी अंश व खंड निम्नांकित है:–

क्रम सं.	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल (बीघा में)	बंधक किया गया क्षेत्रफल (बीघा में)
1	1617/2	04-01	00-09
2	1618	04-16	00-12
3	1622	04-16	04-16
4	1623	04-16	00-12

उसके उपर निर्माणों तथा सभी फिक्सचर्स एवं फिटिंग्स, वर्तमान और भावी दोनों, सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, लाइट्स, उपभोगाधिकारों, अनुषंगियों सहित तथा उसके हिस्से अथवा उसके उपांग के तौर पर मान्य के धारण, प्रयोग तथा अधिवास के साथ संबंधित उक्त दाय के सभी लाभों सहित।

दिनांकः 22 जुलाई, 2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली आईएल एण्ड एफएस फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

कार्यालयः 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत, मो.: 91-7290010751

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में,
1. **श्री बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड,** जीएफ–004, सीअर्स टावर ऑमेक्स हाइट्स विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
2. **प्रकाश फूलचन्द छाबरा,** 1203 कार्लटन टावर, ऑमेक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
3. **लॉर्डसन्स एग्रो ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड,** जीएफ–004, सीअर्स टावर ऑमेक्स हाइट्स विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
4. **नेट्ज इंडिया एग्रो प्राईवेट लिमिटेड,** कार्यालय स्थान यूनिट नं. 003, सीअर्स टावर ऑमेक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
5. **युक्ति छाबरा,** 1203, कार्लटन टावर, ऑमेक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
6. **अंजली प्रकाश छाबरा,** पत्नी प्रकाश छावरा, 1404, मेनारा टावर ऑमेक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
7. **वर्तिका खत्री,** सी–21 के रोड, महानगर एक्स्टेंशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, साथ हीं: फ्लैट नं. 905, 9वाँ तल, एल्डोरा–2 अपोलो डी.बी. सिटी, निपनिया इन्दौर, मध्य प्रदेश
8. **देवेन्दर कुमार वर्मा,** पुत्र जवाहर लाल वर्मा 448/133, आशा पुरम कॉलोनी, मंजू टंडन नर्सिंग होम के निकट, ठाकुर गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003
9. **तन्नू कोहली,** पुत्री चमन कोहली एल–88, सेक्टर–डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, लखनऊ, उ.प्र.–226012

प्रिय महोदय/महोदया,

ऋण खाता 8450995 तथा 700043106 तथा 7000543711 में 30.10.2017 तथा 29.05.2017 तथा 25.10.2018 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 19 जुलाई 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. 1,24,00,349.31/– (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तीन सौ उन्चास एवं पैसे इक्कतीस मात्र) की राशि ऋण खाता सं. 8450995 तथा 7000430106 तथा 7000543711 में बकाया हो गया है। हमारी बार–बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 9 जुलाई, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 19 जुलाई 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 8450995 तथा 7000430106 तथा 7000543711 में रु. 1,2400349.31 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तीन सौ उन्चास एवं पैसे इक्कतीस मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

1. विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) में स्थित प्लॉट नं. टीसीजी 2/2 एवं टीसीजी 5/5 में ऑमेक्स हाइट्स प्रॉजेक्ट में "एम्पायर इस्टेट टावर" में भूतल पर यूनिट नं. 003। चौहद्दीः पूर्व खुला आकाश, पश्चिमः खुला आकाश, उत्तरः लिफ्ट तथा लॉबी एरिया, दक्षिणः प्रवेश/प्रवेश के लिये पैसेज।
2. पंजी. सं.: UP32 FA0888, मैकः BMW, मॉडल:X5

चूंकि सूचना तिथि 19 जुलाई, 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

तिथिः 28.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन,

रियोम इन्फास्ट्रक्चर एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रियोम इन्फास्ट्रक्चर एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22.02.2007
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45200DL2007PLC159642
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डी–19/1, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली–110020
6.	कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	19.07.2019 (26.07.2019 आर्डर प्राप्त करने की तिथि)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	14.01.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम, और रजिस्ट्रेशन नम्बर	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता रजिस्ट्रेशन नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00737/2017-2018/11234
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु बोर्ड में पंजीकृत पता और ई–मेल	पता : सत्य प्रकाश गुप्ता, एफसीए, आईपी 808, इरोस अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 ई–मेल : spgfinance@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु पता और ई–मेल	पता : सत्य प्रकाश गुप्ता, एफसीए, आईपी 808, इरोस अपार्टमेंट, 56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 ई–मेल : ip.reominc@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**08.08.2019** (IRP द्वारा माननीय NCLT के आदेश की प्राप्ति की तारीख यानी 26–07–2019 से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित इन्सोल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	संबंधित प्रपत्र और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है :	Weblink: http://ibbi.gov.in/downlodform.html Physical Address: Not Applicable

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने **दिनांक 19 जुलाई, 2019** को **रियोम इन्फास्ट्रक्चर एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड**के विरूद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

रियोम इन्फास्ट्रक्चर एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **08.08.2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते तथा ई–मेल पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसाकि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी–रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आबंटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए में निर्देशित करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
सत्य प्रकाश गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
तिथि : 27 जुलाई, 2019 रियोम इन्फास्ट्रक्चर एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00737/2017-2018/11234

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India

कोटद्वार शाखा
नजीबाबाद रोड, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

सांकेतिक कब्जा सम्बन्धी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने सम्बन्धित ऋणियों के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **बैंक ऑफ इंडिया, कोटद्वार शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। **उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है।**

ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	कब्जा नोटिस की तिथि
श्री धनी राम पुत्र हरदेव सिंह, काशीरामपुर मल्ला, निकट ग्रीन वैली नजीबाबाद रोड, कोटद्वार जिला -गढ़वाल **श्रीमती शशी देवी** पत्नी श्री धनी राम, काशीरामपुर मल्ला, निकट ग्रीन वैली नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, जिला -गढ़वाल	बंधक सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती शशी देवी पत्नी धनी राम, खेत नं0 74da, खतौनी खाता संख्या 110 (पुराना खाता खतौनी नं0 114), ग्राम-काशीरामपुर, पट्टी सुखेरो, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित	05.02.2019	रू0 **6,15,572/-** + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.02.2019 से	**23.07.2019**

दिनांकः 27.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

ट्रिनिटि लीग इंडिया लिमिटेड

सीआईएन नंबर : L93000DL1988PLC031953
पंजी. कार्यालय : ए–23, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, जीके–II, नई दिल्ली–110019
फोन नंबर : 011–40562329, वेबसाइट : www.trinityasia.in, ई–मेल : trinityleague@trinitygroup.ind.in

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.06.2019 अलेखापरीक्षित	तिमाही समाप्त 31.03.2019 लेखापरीक्षित	तिमाही समाप्त 30.06.2018 अलेखापरीक्षित	वर्ष समाप्त 31.03.2019 लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	-	63.10	-	84.87
2	लाभ/(हानि) – अपवाद मदों एवं कर से पहले	(4.20)	56.78	(19.38)	13.94
3	लाभ/(हानि) – कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(4.20)	56.78	(19.38)	13.94
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) – कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद)	(4.20)	54.27	(19.38)	11.43
5	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है]	(4.20)	54.53	(19.38)	11.69
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक)	506.69	506.69	506.69	506.69
7	अन्य इक्विटी	-	-	-	(214.98)
8	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक का) (वार्षिककृत नहीं) :				
	(क) मूल	(0.08)	1.07	(0.38)	0.23
	(ख) तनुकृत	(0.08)	1.07	(0.38)	0.23

'वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियां भी देखें

टिप्पणियां :
1. उपरोक्त परिणाम 27 जुलाई, 2019 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए है।
2. कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया है, जैसाकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन अपेक्षित है।
3. उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट https://www.trinityasia.in पर भी उपलब्ध है।
4. पूर्व अवधि के आंकड़े चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पुनरसमूहित/पुनरवर्गीकृत किए गए हैं, जहां आवश्यक है।

वास्ते ट्रिनिटि लीग इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
मधूलिका जैन
तिथि : 27 जुलाई, 2019 निदेशक
स्थान : नोएडा डीआईएन : 00437683

JAYPEE INFRATECH

165 km expressway with 5 integrated townships
INDIAN MILESTONE IN INFRASTRUCTURE

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः सेक्टर–128, नोएडा–201304 (उ.प्र.), CIN: L45203UP2007PLC033119, फोनः +91 (120) 4609000, 2470800, फैक्सः +91 (120) 4963122, ई–मेलः jpinfratech.investor@jalindia.co.in, वेबसाईटः www.jaypeeinfratech.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(ईपीएस छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन परिणाम: समाप्त तिमाही 30.6.2019 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित	समेकित परिणाम: समाप्त तिमाही 30.6.2019 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	59,144	38,694	35539	129279	66956	46714	43231	161332
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(42387)	(32695)	(29833)	(130383)	(44809)	(34229)	(31982)	(138030)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(42387)	(32695)	(29833)	(130383)	(44809)	(34229)	(31982)	(138030)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(42387)	(34881)	(29833)	(132569)	(44809)	(36415)	(31982)	(140216)
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर के बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(42387)	(34883)	(29833)	(132573)	(44809)	(36423)	(31979)	(140217)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/– प्रति)	138893	138893	138893	138893	138893	138893	138893	138893
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है	–	–	–	(21738)	–	–	–	(57,344)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं):								
	– मूल (रु. में)	(3.05)	(2.51)	(2.15)	(9.54)	(3.23)	(2.62)	(2.30)	(10.10)
	– तरल (रु. में)	(3.05)	(2.51)	(2.15)	(9.54)	(3.23)	(2.62)	(2.30)	(10.10)

टिप्पणीः
1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। उपरोक्त परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईटों (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट (www.jaypeeinfratech.com) पर उपलब्ध है।
2. कम्पनी के स्टैंडएलॉन परिणामों में केवल एक ही खंड अर्थात् यमुना एक्स्प्रैसवे प्रॉजेक्ट, एक एकीकृत तथा अविभाजनीय परियोजना शामिल है जिसमें अन्य बातों के अलावा यमुना एक्स्प्रैसवे का निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव तथा एक्स्प्रैसवे से लगे 25 मिलियन वर्ग मी. के भूमि का विकास शामिल है।
3. यह कम्पनी माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तिथि 9 अगस्त, 2018 के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत सुरक्षा रिअलिटी लिमिटेड (लक्षदीप इन्वेस्टमेन्ट्स एंड फाइनांस लिमि. के साथ) तथा एनबीसीसी (इंडिया) लि. द्वारा जमा की गई रिजॉल्यूशन योजना अब क्रमशः 3.5.2019 एवं 10.6.2019 को क्रेडीटरों की सीमति (सीओसी) द्वारा अस्वीकार कर दी गई। सीआईआरपी की 270 दिनों की अवधि 6.5.2019 को समाप्त हो गई। आईडीबीआई बैंक द्वारा दाखिल की गई एक आवेदन में माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद ने अपने आदेश तिथि 06.5.2019/21.5.2019 के अनुसार निर्देश दिया कि सीओसी तथा अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रॉफेश्नल (आईआरपी) को कानून के अनुसार सीआईआरपी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहिये तथा 29 जुलाई, 2019 के लिये मामले को स्थगित कर दिया। इसी प्रकार, 270 दिनों की गणना के उद्देश्य से किसी अवधि को हटाने के लिये आईडीबीआई बैंक द्वारा माननीय एनसीएलएटी, दिल्ली में दाखिल अपील (2019 का सं. 536) अभी माननीय एनसीएलटी के समक्ष निर्णय के लिये लम्बित है। उक्त अपील में सुनवाई पूरी कर ली गई है और आदेश 29 जुलाई, 2019 के लिये सुरक्षित रख ली गई है। दिवाला एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा 20 के अनुसार कम्पनी के प्रबंधन तथा प्रचालनों का प्रबंध ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर आईआरपी/आरपी द्वारा किया जा रहा है।
4. आईबीसी की धारा 25 (2) (i) के साथ पठित धारा 66,43,45 एवं 60 (5) (i) के अंतर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) इलाहाबाद में प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा दाखिल एक आवेदन जिसमें अन्य बातों के अलावे 858 एकड़ भूमि पर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लैण्डर्स के पक्ष में कम्पनी द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित की मुक्ति अथवा डिस्चार्ज की बात की गई है, के अनुपालन में अपने आदेश तिथि 16 मई, 2018 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने 758 एकड़ भूमि पर निर्मित प्रतिभूति हित की मुक्ति अथवा डिस्चार्ज का आदेश पारित किया है तथा आगे फिर कहा है कि गिरवी रखी गई सम्पत्ति आदेश की तिथि से कम्पनी में निहित मानी जायेगी। अब जेएएल के लैण्डर्स तथा जेएएल ने माननीय एनसीएलएटी के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दाखिल किया है। अंतिम सुनवाई 9 जुलाई, 2019 को पूरी कर ली गई तथा आदेश सुरक्षित है।
5. चूंकि, निदेशक मंडल की शक्तियां निलम्बित हैं, उपरोक्त परिणामों की निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। लेकिन, परिणामों की सत्यता एवं पूर्णता की पुष्टि करते हुए श्री मनोज गौर, कम्पनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने उस पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके बाद इन वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल करने के लिये 27 जुलाई, 2019 को आईआरपी द्वारा अभिलेख पर लिया गया है।
6. प्रचालनों से कुल आय में रु. 447.67 करोड़ की कुल राशि के रीअल इस्टेट से राजस्व शामिल हैं (इंड एएस 115 के अनुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिये होम बायर्स को विलम्ब हर्जाने के रूप में निवल रु. 56.71 करोड़ का भुगतान किया गया।)
7. वित्त लागत में रु. 414.44 करोड़ (30 जून, 2019 को संचयी रु. 2790.52 करोड़) की कुल राशि के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये ऋण पर ब्याज शामिल हैं जो आईबीसी के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतिम परिणामों के अधीन है।
8. प्रबंधन ने रिपोर्ट करने की तिथि में वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों तथा देयताओं एवं उसकी वाहक राशियों के कर आधार के बीच अस्थाई अंतरों पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं की समीक्षा की है। लेकिन, चूंकि कम्पनी सीआईआरपी के अधीन है, आगामी भविष्य में कर योग्य लाभ तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों जो निर्धारित होगी की यथार्थतः अनिश्चितता है। तदनुसार, रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 के लिये आस्थगित कर (निवल परिसम्पत्तियों) का विचार नहीं किया गया है।
9. 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के आँकड़े सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा उक्त वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक तिथि तक वर्ष के प्रकाशित आँकड़े के लिये अंकेक्षित आँकड़ों के बीच संतुलक आँकड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं।
10. उसे चालू तिमाही/वर्ष के आँकड़े के साथ तुलनीय बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व तिमाही/वर्ष के आंकड़े पुनर्कार्यरत/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये
(मनोज गौड़)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
DIN: 00008480
अभिलेख पर लिया गया
अनुज जैन
स्थानः नोएडा (अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल)
तिथिः 27 जून, 2019 आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-200142/2017-18/10306

JAYPEE GROUP
Construction
Power
Cement
Hospitality
Real Estate
Fertilizer
Buddh International Circuit
NO DREAM TOO BIG

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

असंवैधानिक और अवास्तविक

ऐसी संसद के सदन को संबोधित करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है जिसमें विपक्ष की जगह खाली पड़ी हो। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2019 को राज्यसभा में जो किया, वह यही था! उन्होंने अपना पहला वित्त विधेयक रखा, राज्यसभा ने (विपक्ष के बिना) इस विधेयक पर 'विचार किया और लौटा दिया', और भारत की अर्थव्यवस्था में सब कुछ अच्छा है। बधाई हो, वित्तमंत्री!

बजट को लेकर जिस तरह के गंभीर सवाल थे, वैसे ही गंभीर सवाल वित्त विधेयक को लेकर हैं।

मनमाना उल्लंघन

पहली बात तो यह कि विधेयक संवैधानिक रूप से ही संदिग्ध है। सरकार ने पूरी बेशर्मी से कानून का उल्लंघन किया। जस्टिस पुत्तास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि धन विधेयक को संविधान की धारा 110 में वर्णित शर्तों के अनुरूप ही होना चाहिए। इस तरह के विधेयक में ही सिर्फ ऐसे प्रावधान होंगे जो करों और भारत के सरकारी खाते या भारत के समेकित कोष से होने वाले भुगतान या उसमें आने वाले धन संबंधी मामलों को देख सकें। फिर भी, सरकार ने वित्त विधेयक (क्रमांक 2) 2019 में इन उपबंधों को शामिल कर लिया है जिन्हें संविधान की धारा 110 शामिल करने से रोकती है। विधेयक का अध्याय छह, जिसका शीर्षक 'विविध' दिया गया है, में ऐसे उपबंध हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, सिक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट जैसे कई अधिनियमों को संशोधित करते हैं। मैंने कम से कम दस ऐसे नियम गिने हैं जिनमें संशोधन किए गए। धारा 110 में जो उद्देश्य बताए गए हैं, उनका न तो अधिनियमों से न ही संशोधनों से कोई संबंध है।

कोई न कोई निश्चित रूप से वित्त (क्रमांक 2) विधेयक, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगा। मुझे हैरानी तो इस बात से है कि सरकार सबसे महत्त्वपूर्ण वित्त और आर्थिक विधेयक को सिर्फ इसीलिए जोखिम में डालने को तैयार है ताकि कुछ गैर-वित्तीय कानूनों के संदेहास्पद संशोधनों पर बहस को टाला जा सके।

और तेज रफ्तार!

दूसरा यह कि पिछले हफ्ते (21 जुलाई) छपे मेरे लेख 'पांच, दस, बीस खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर' में आंकड़ों को लेकर किसी को भी कोई खामी नहीं मिली है। सरकार ने बहुत ही महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2018-19 में हासिल वास्तविक वृद्धि दर और नए साल के लिए रखी गई अनुमानित दर के आंकड़े इस प्रकार हैं-

	वृद्धि दर (फीसद में)	
	2018-19	2019-20
आयकर	7.16	23.25
सीमा शुल्क	-8.60	32.20
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.06	15.55
जीएसटी	3.38	44.98

इतने ऊंचे राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार कैसे प्रस्ताव करती है? खासतौर से तब जब आइएमएफ, एडीबी और आरबीआइ ने भारत की वृद्धि दर के बारे में अपने अनुमान घटा कर सात फीसद कर दिए हैं और जो वैश्विक वृद्धि दर का 3.2 फीसद है। हर अर्थशास्त्री, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ है (हाल में डा. कौशिक बासु) ने एक बार फिर गिरावट को लेकर चेताया है जो कि 2018-19 की चारों तिमाहियों (8.0, 7.0, 6.6 और 5.8 फीसद) में बनी रही थी। ऐसे में सरकार कैसे उम्मीद करती है कि राजस्व संग्रह तेजी से बढ़ कर दो अंकों वाली ऊंची वृद्धि दर को छू लेगा, जबकि 2018-19 में यह एक अंक में था?

मुझे लगता है कि सरकार मौजूदा करदाताओं को और निचोड़ेगी। सरकार आयकर, जीएसटी और दूसरे कर अधिकारियों को पहले ही जरूरत से ज्यादा अधिकार दे चुकी है। अब और ज्यादा नोटिस जाएंगे, और ज्यादा निजी पेशी के लिए समन भेजे जाएंगे, और ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी, और ज्यादा मुकदमे चलेंगे, और ज्यादा जुर्माने के आदेश निकलेंगे, और ज्यादा सख्त आकलन वाले आदेश आएंगे, अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने के मामले बढ़ेंगे, संक्षेप में, करदाताओं का और ज्यादा उत्पीड़न होगा।

राज्यों को ठेंगा

तीसरी बात यह कि करों में से क्या राज्यों को उनका हिस्सा मिल रहा है? चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व (जीटीआर) में से राज्यों को बयालीस फीसद हिस्सा देने को कहा था। इस वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह केंद्रीय करों का बयालीस फीसद हिस्सा राज्यों का संवैधानिक अधिकार बन गया है और यह केंद्र सरकार की संवैधानिक बाध्यता भी है। वित्त आयोग का यह फैसला 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि के लिए लागू है। लेकिन इस फैसले के बावजूद राज्यों को हकीकत में जो दिया गया, वह काफी कम है। इसे इस सारणी में देखा जा सकता है-

वर्ष	राज्यों को दिया गया जीटीआर (प्रतिशत में)
2015-16	34.77
2016-17	35.43
2017-18	35.07
2018-19 (वास्तविक)	33.05
2019-20 (बजट अनुमान)	32.87

बयालीस फीसद का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने का कारण करों पर लगने वाले उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) को लेकर मनमानी रही है। वित्त आयोग का फैसला उपकर और अधिभार पर लागू नहीं है और इसीलिए राज्यों को इनका हिस्सा नहीं दिया जाता है। यह संकट की एक स्थिति है।

दोहरा संकट तब खड़ा होता है जब बजट या संशोधित अनुमानों की तुलना में केंद्र सरकार के कुल राजस्व संग्रह में गिरावट आती है। 2018-19 में जीटीआर (कुल केंद्रीय राजस्व) का बजट अनुमान 22,71,242 करोड़ रुपए था, और संशोधित अनुमान 22,48,175 करोड़ रुपए था, लेकिन वास्तविक संग्रह सिर्फ 20,80,203 करोड़ रुपए ही रहे। जब कर संग्रह ही इतना कम होगा तो राज्य को उनके निर्धारित हिस्से से कम ही मिलेगा।

कृपया वित्तमंत्री के जवाब को देखें या रिकार्ड टटोलें। क्या उन्होंने ऐसे किसी भी मुद्दे पर कुछ बोला है जो मैंने इस लेख में उठाए हैं, या राज्यसभा में उचित और तर्कसंगत बहस होने पर उठाए जाते?

अपना मोर्चा

करगिल युद्ध को बीस साल हो गए हैं। शहीदों को नमन। साथ में उन सारे शहीदों को भी नमन, जिन्होंने इससे पहले हुए तमाम युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हर वह वीर, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, हमारी कृतज्ञता का हकदार है और वे भी, जो देश के लिए लड़ते हुए घायल हुए थे। इन वीर जवानों की वजह से ही यह देश महफूज है और हम-आप जैसे नागरिक अमन-चैन के माहौल में सांस ले रहे हैं।

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

> अनाम पंडित कहता है कि जैसे बुरी तरह से घिरा हुआ सैनिक, जिसे बचाव की कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ कर अपनी वीरता का प्रणाम देता है, उसी तरह हम शहरी भी घिर जाते हैं। युद्ध में जैसे हमले होते हैं वैसे आम जिंदगी में भी होते हैं और उनका मुकाबला हमको एक घिरे हुए सैनिक की तरह करना चाहिए।

अंग्रेजी के एक उपन्यास 'हाउ ग्रीन वाज माई वैली' में एक पात्र अपने पिता से पूछता है कि कोई लड़का मर्द कब बन जाता है? वे जवाब देते हैं- जब मर्द होने की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि हम सब जब भी विषम परिस्थितियों से घिर जाते हैं, तो अचानक हमारी चेतना में व्यापक तब्दीली आ जाती है। हम एक पल में अपने मन में सालों से पल रही दुर्बलता को लांघ कर वीर हो जाते हैं। लड़के को मर्द बनने में वास्तव में एक पल ही लगता है। मर्दानगी की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें क्रमागत उन्नति (एवोलुशन) की कोई गुंजाइश नहीं है।

करगिल युद्ध से दस साल पहले सीमा सुरक्षा बल को श्रीनगर में एक जले हुए घर की राख के ढेर में एक डायरी मिली थी। यह डायरी एक अनाम कश्मीरी पंडित की थी, जो 1990 में चल रहे जिहादी कहर में फंस गया था। इस गुमनाम पंडित ने श्रीनगर में व्याप्त घोर हिंसा की वजह से अपने परिवार को जम्मू भेज दिया था, पर खुद नहीं जा पाया था। वैसे भी शुरुआती दौर में उसे विश्वास था कि पंडितों के खिलाफ हिंसा क्षणिक उन्माद है और जल्द ही घाटी की नसों में बसी कश्मीरियत इस उन्माद को शांत कर देगी। पंडित को अपने संमिश्रित समाज से बड़ी उमीदें थी।

उन दिनों श्रीनगर में लगे कर्फ्यू से त्रस्त होकर, जिसमें आवाजाही पर कड़ा पहरा था, इस गुमनाम पंडित ने डायरी लिखनी शुरू की थी। किसी और से बातचीत करने का जरिया तो था नहीं, इसीलिए उसने डायरी के जरिए खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था। डायरी उसकी रोजमर्रा के अकेलेपन और कटते सामाजिक संबंधों का दर्दनाक दस्तावेज है। यह शायद उसी तरह का दस्तावेज है जैसे कि सुप्रसिद्ध 'डायरी ऑफ ऐनी फ्रैंक' है, जिसमें नाजी जर्मनी में घट रही यहूदियों के खिलाफ हिंसा और नफरत का मार्मिक वर्णन है।

श्रीनगर का यह अनाम पंडित अपने चारों तरफ फैले माहौल से पहले तो निराश और व्याकुल होता है, फिर एकदम सुप्त होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पर किसी एक क्षण में उसकी अंदर की मर्दानगी जाग जाती है। वह वीर हो जाता है। डायरी में वह लिखता है कि मैं आतंकवाद का जवाब बंदूक से तो दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बंदूक नहीं है। पर मेरे पास कलम तो है। मैं अपनी डायरी में इनके हर एक जुर्म को दर्ज करूंगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हर आम शहरी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने-अपने मोर्चे पर डटे रहना चाहिए। मेरा मोर्चा मेरी जमीन है और कलम मेरा हथियार है।

वह पूछता है कि जब एक सैनिक युद्ध में दुश्मनों से घिर जाता है, तो क्या वह भाग जाता है? अनाम पंडित कहता है कि जैसे बुरी तरह से घिरा हुआ सैनिक, जिसे बचाव की कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ कर अपनी वीरता का प्रणाम देता है, उसी तरह हम शहरी भी घिर जाते हैं। युद्ध में जैसे हमले होते हैं वैसे आम जिंदगी में भी होते हैं और उनका मुकाबला हमको एक घिरे हुए सैनिक की तरह करना चाहिए। हमें अपना मोर्चा संभाले रहना चाहिए, चाहे दुश्मन की फौज कितनी बड़ी क्यों न हो और बमबारी कितनी भी भीषण क्यों न हो।

वह कहता है कि मैं जिस माहौल में पला-बढ़ा हूं और जिसकी जमीन मेरे बाप- दादाओं ने तराशी थी, उसको मैं कैसे दबाव में त्याग दूं? डर के मैं क्यों भाग जाऊं या आतंक के सामने क्यों समर्पण कर दूं? मैं अकेला हूं। मेरे पास भीड़ नहीं है और न ही बंदूक है। पर मेरे पास हौसला है। मेरे पास मेरी कलम है। मैं हौसला नहीं खोऊंगा। वह कहता है कि मेरी बिरादरी ने गलत किया। वे डर गए। भाग गए। दुबक कर बैठ गए। उनको एहसास नहीं था कि वीरता बंदूक की मोहताज नहीं होती है, बल्कि हौसले से पैदा होती है। वास्तव में हर शहरी उतना ही शूर वीर है, जितना कि सरहद पर दुश्मन से जंग करता हुआ सिपाही। सिपाही अपना हौसला बनाए रखता है और इसलिए जीत कर आता है। हम अपना हौसला खो देते हैं और हमारा दुश्मन हमें हरा देता है।

डायरी से जाहिर है कि एक सहमा हुआ नागरिक अचानक हीरो (नायक) में तब्दील हो जाता है। वह अपनी जंग खुद लड़ने का जिम्मा ले लेता है। सिर्फ कलम से लैस वह हिंसक भीड़ के खिलाफ मुस्तैदी से खड़ा हो जाता है। वह डर को परे कर देता है। वह वीर हो जाता है। हालात पर गवाही देकर वह अपना मोर्चा जीत लेता है। एक पल में लड़का मर्द बन जाता है।

कई साल पहले एक बुजुर्ग ने हमसे कहा था- गुंडा गुंडे से नहीं डरता, उसको बस इसका खौफ रहता है कि अगर कहीं किसी शरीफ आदमी से उसका सामना हो गया, तो वह क्या करेगा? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की नीव शायद इसी अनुभव पर रखी गई थी- बुराई और झूठ से असहयोग, दबंगई से असहयोग, दमन से असहयोग हमारा-आपका मोर्चा है। इस मोर्चे पर हमें डटे रहना है, क्योंकि लोकतंत्र के नागरिक की वीरता का परिचायक उसकी सतत सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और अमिट रोशन खयाली है।

आर्थिक दिशा बदलने की जरूरत

मुझे उस समाजवादी दौर की सारी बातें अच्छी तरह याद हैं, जब इस विचारधारा के नाम पर देश को गुरबत की बेड़ियों में जकड़ कर रखा था हमारे शासकों ने। शासक नहीं, मालिक थे ये लोग, इसलिए कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह इनके हाथों में थी। डबल रोटी और डालडा से लेकर खिलौने, घरेलू सामान, गाड़ियां, बिजली का सामान सब बनते थे सरकारी कारखानों में, जिनको चलाते थे सरकारी अधिकारी। गुणवत्ता की परवाह कम थी इन अफसरों को और अपनी सरकारी नौकरियों की ज्यादा, सो उस दौर की पहचान थी घटिया 'मेड इन इंडिया' चीजें। मजाक-सा बन गया था 'मेड इन इंडिया', क्योंकि सब जानते थे कि अगर किसी वस्तु के ऊपर ये तीन शब्द दिखें तो घर लाते ही टूट सकती है। जिनके पास थोड़े-बहुत पैसे थे, विदेशी चीजों के पीछे भागते थे, जिनको तस्कर लाया करते थे दुबई और हांग कांग से और चोरी-छिपे बेचते थे।

जहां तक सार्वजनिक सुविधाओं की बात है, तो ये भी रद्दी हुआ करती थीं, क्योंकि इनको बनाया गया था हम आपके लिए नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के मकसद से। याद है मुझे कि एक समय था जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में ग्राहकों से ज्यादा मुलाजिम हुआ करते थे। एयपोर्ट इतने बेकार थे हमारे कि विदेशों से जब लोग आते थे तो एयपोर्ट को देखते ही जांच लेते थे कि किसी गरीब, पिछड़े देश में आ गए हैं।

विदेशी निवेशक न होने के बराबर थे और देसी निवेशक पूरी तरह अधिकारियों और राजनेताओं के नियंत्रण में हुआ करते थे। लाइसेंस राज का जमाना था। लाइसेंस देना या न देना राजनेताओं और आला अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर था। यह हाल रहा भारत देश का 1991 तक, जब कंगाली की कागार पर पहुंच गया था देश। सो, प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने मजबूरी में लाइसेंस राज समाप्त किया और निजी निवेशकों के लिए रास्ता खोला अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए।

नतीजा यह कि आज भारत में दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट, अस्पताल, स्कूल, होटल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज गर्व से कह सकते हैं हम 'मेड इन इंडिया', इसलिए कि दुनिया की बेहतरीन चीजें अपने देश में बनती हैं और सस्ते दामों पर बिकती हैं। मेरे विदेशी दोस्त दिल्ली और मुंबई आते हैं खरीदारी करने। इस परिवर्तन के पीछे हैं हमारे देसी उद्योगपति और व्यापारी। ये न होते तो शायद आज भी भारत का बुरा हाल होता। इसलिए जब मुंबई में मुझे निराशा का माहौल दिखता है, तो चिंता होने लगती है।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> दशकों लंबे समाजवादी दौर ने साबित कर दिया है कि न राजनेता व्यवसाय करने में सफल रहे हैं, न सरकारी अधिकारी। उस दौर ने यह भी साबित करके दिखाया है कि सरकारी कारखाने कभी मुनाफा नहीं कमा सकते हैं और सरकारी आम सेवाएं कभी विश्व स्तर की नहीं बन सकती हैं।

आज चिंताजनक निराशा दिखती है मुंबई में। पिछले साल से निराशा के आसार दिखने लगे थे। एक विदेशी संस्था ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के मुताबिक 2018 में पांच हजार भारतीय करोड़पति देश छोड़ कर चले गए थे। पिछले दिनों मुंबई में निराशा दोगुनी इसलिए हो गई है, क्योंकि बजट से जो नई आर्थिक दिशा की उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया है। अब चाहे बड़े उद्योगपति हों या छोटे व्यापारी, सब निराश दिखते हैं। उनकी निराशा का कारण है कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों में समाजवादी सोच की बू आने लगी है। सबूत है कि कारपोरेट टैक्स इस बजट के बाद चालीस फीसद से ऊपर चला गया है। वित्तमंत्री से जब इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह कर सिर्फ उन पांच हजार लोगों को देना होगा, जिनकी वार्षिक आमदनी दो करोड़ रुपए से ज्यादा है। शायद जानती नहीं हैं निर्मलाजी कि इन्ही पांच हजार लोगों की बदौलत भारत में इतना परिवर्तन आया है कि हम आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने देख रहे हैं।

इस पांच हजार की गिनती में आते हैं ऐसे लोग, जो इतनी बेहतरीन चीजें बना रहे हैं कि कई देशों में निर्यात होती हैं उनकी 'मेड इन इंडिया' चीजें। इस गिनती में आते हैं वे लोग, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत में विश्व स्तर के उद्योग हैं, विश्व स्तर की कारीगरी और विश्व स्तर की आम सेवाएं। इनमें निराशा आज दिखने लगी है इतनी कि प्रधानमंत्री को स्वयं चिंता होनी चाहिए। बजट के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पेशेवर निराशा फैलाने वालों से सावधान रहने को कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। स्पष्ट करना चाहती हूं कि मुंबई में जिन लोगों में मैंने मायूसी देखी है पिछले दिनों, वे पेशेवर निराशा फैलाने वाले नहीं हैं।

मायूस हैं आज तो सिर्फ इसलिए कि जिन आर्थिक सुधारों की उनको इस बजट से उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनावों में इतनी शानदार जीत के बाद उनको विश्वास था कि मोदी अब अर्थव्यवस्था को उस दिशा में लेकर जाएंगे जरूर, जिससे संपन्नता आ सकती है। मोदी ने कई बार खुद कहा है कि उनका मकसद सिर्फ गरीबी हटाना नहीं है, देश को संपन्न बनाना है। यह संपन्नता कैसे आएगी, जब उन लोगों को दंडित किया जाएगा, जिनके बिना देश में न धन पैदा हो सकता है और न संपन्नता आ सकती है?

दशकों लंबे समाजवादी दौर ने साबित कर दिया है कि न राजनेता व्यवसाय करने में सफल रहे हैं, न सरकारी अधिकारी। उस दौर ने यह भी साबित करके दिखाया है कि सरकारी कारखाने कभी मुनाफा नहीं कमा सकते हैं और सरकारी आम सेवाएं कभी विश्व स्तर की नहीं बन सकती हैं। इसलिए समझ में नहीं आता है कि इतना शानदार जनमत हासिल करने के बाद मोदी क्यों नहीं देश की आर्थिक दिशा बदलने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं। क्या भूल गए हैं कि समाजवादी आर्थिक सोच ने कई देशों को इतना बर्बाद किया है कि चीन और रूस जैसे मार्क्सवादी देश भी अपनी आर्थिक दिशा बदलने पर मजबूर हुए हैं।

स्त्री-विरोधी मानसिकता

शीला दीक्षित का निधन हुआ तब जाकर उनके चिर विरोधियों और चैनलों को ज्ञात हुआ कि वे कितनी महान थीं!

एक टिप्पणीकार ने फरमाया : वे सचमुच 'स्थितप्रज्ञ' थीं। उन्होंने अपनी शालीनता (ग्रेस) कभी न छोड़ी।

कुछ चैनल चहके : उन्होंने दिल्ली का चेहरा बदल दिया। कुछ विपक्षी बहके : दिल्ली को विश्व स्तर की नगरी उन्होंने ही बनाया।

कोई पांच-छह साल पहले कुछ इसी किस्म के नेता, एंकर और रिपोर्टर बढ़-चढ़ कर शीला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते दिखते थे, शीला के जाते ही वे अपने कहे को भूलते दिखे और शीला के गुण गाने में व्यस्त हो गए। अपनी संस्कृति यही है :

महान बनना है तो पहले मर जाइए और चुनाव आते हों तो अवश्य ही मर जाइए!

चंद्रयान-दो अंततः छोड़ ही दिया गया और भारत दुनिया का चौथा चंद्रमागामी देश बन गया। पर इस बार खबर चैनलों की देशभक्ति कम बरसी। इस बार उतना 'हाइप' न नजर आया, जितना पहले वाले प्रक्षेपण के 'असफल राउंड' में दिखा।

लगता है कि टीएमसी में प्रशांत किशोरीय 'फैक्टर' काम करने लगा है, तभी तो इस बार ममता दीदी ने कोलकाता की रैली में प्रधानमंत्री जी का नाम एक बार भी नहीं लिया, बल्कि सिर्फ भाजपा को कोसा। एक पत्रकार की टिप्पणी रही कि ममता दीदी समझ गई हैं कि प्रधानमंत्री की 'पापुलरिटी' 'टॉप' पर है, उन पर 'अटैक' उलटा पड़ेगा, इसलिए बच के चलो।

इस बीच शिया नेता कल्बे जब्बाद ने कह डाला कि अगर सरकार ने मुसलमानों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो हथियार खरीद कर देंगे। इसके बाद वही हुआ, जो खबर चैनलों में होता रहता है कि चैनलों में एक ओर हिंदुत्ववादी विराज गए, जो इसे सीधे धर्मयुद्ध के खुले ऐलान की तरह बताने लगे। दूसरी ओर कुछ इस्लामवादी भी मैदान में आ गए, जो इस हथियारबंदी के ऐलान को सही बताने लगे।

लेकिन सप्ताह की सबसे मजेदार खबर ट्रंप ने बनाई। इमरान के साथ बैठे हुए ट्रंप ने कह दिया कि कश्मीर को लेकर कुछ दिनों पहले उनको मध्यस्थ बनने को कहा गया था और वे इसके लिए तैयार हैं।...

इस बयान का आना था कि जो भक्त एंकर कल तक अमेरिका में इमरान की उपेक्षा पर खुश थे, अचानक ट्रंप को 'सीरियल लायर' और 'जेनेटिकली झूठा' बताने लगे और आंकड़े देने लगे कि ट्रंप तो जन्मना झूठिस्तानी हैं, कि आठ सौ दिनों में ट्रंप ने दस हजार सात सौ सत्तानबे बार से अधिक झूठ बोला है।

ट्रंप की बात पर संसद में विपक्ष उत्तेजित रहा कि सफाई दी जाए कि कश्मीर के मसले पर ट्रंप से थर्ड पार्टी बनने को कहा गया कि नहीं कहा गया? विदेश मंत्री ने संसद में बयान देकर साफ किया कि ऐसी कोई 'रिक्वेस्ट' नहीं की गई है। कश्मीर हमारे लिए एक द्विपक्षीय मुद्दा है।

इसी बीच उनचास सेलीब्रिटी बुद्धिजीवियों ने पीएम को एक चिट्ठी लिख कर 'जय श्रीराम' के नाम पर अल्पसंख्यकों और दलितों की मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कहा गया। दस्तखत करने वालों में एक से एक तोप-तमंचे रहे, जैसे अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, शुभा मुद्गल, आशीष नंदी, अडूर गोपाल कृष्णन...

लेकिन इस बार 'लिबरलों' के पत्र के 'एकतरफा' नजरिए की जैसी ठुकाई हुई वैसी न कभी देखी न सुनी। टाइम्स नाउ ने आंकड़ा देकर बताया कि लिंचिंग एकतरफा नहीं हुई। अगर कहीं मुसलिमों की लिंचिंग हुई है, तो हिंदुओं की भी हुई है। ये लिबरल सिर्फ 'एकपक्ष' की बात करते हैं, 'दूसरे पक्ष' की नहीं करते। यह सब बेहद पक्षपातपूर्ण है। आप लिंचिग मात्र के खिलाफ क्यों नहीं बोलते?

पर यह कैसा दैव दुर्विपाक कि इधर सेलीब्रिटीज कुछ सुर्खरू हुए ही थे कि बंगाल के हुगली के एक कॉलेज की खबर ने उनको ढेर कर दिया। चैनलों की खबरें बताती रहीं कि 'जय टीएमसी' न कहने पर टीएमसी के छात्रों के हाथों एक प्रोफेसर की लिंचिंग होते होते रह गई।

उधर कंगना रानौत से लेकर प्रसून जोशी जैसे 'बासठ' फिल्मी हस्तियों ने एक दिन पहले वाले 'सुपर उनचास' पर लिंचिंग के मुद्दे पर 'सेलेक्टिव' होने का आरोप लगाया और जम के लताड़ा।

मगर जिस 'क्वालिटी' की 'रस लंपटता' आजम खान ने संसद में दिखाई, उसकी तुलना नहीं।

कुछ पक्षधर कहते रहे कि वे शायरी कर रहे थे, लेकिन गालिब किसी गली छाप के हाथ पड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। देखते-देखते चैनलों की बहसों में आजम खान की गली छाप, 'यौनवादी', 'स्त्री-विरोधी' रस-लंपटता का हंस कर साथ देने वाले अखिलेश की भी सात पुश्तें नप गईं।

आजम खान के जिस 'सेक्सिस्ट कमेंट' आग लगाई वो कुछ इस तरह से घटा : चेयर मैडम जी ने आजम से कहा कि आप हमारी तरफ देख कर बात करें। इस पर आजम खां ने कुछ इस तरह कहा कि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं तो आपको इतना देखूं कि देखता ही रहूं... फिर कहा कि आप इतनी प्यारी लगती हैं कि दिन भर आंखों में आंखें डाल कर बैठा रहूं।

आजम खां को शायद 'गालिब' समझ अखिलेश न केवल हंसते रहे, बल्कि उनको 'डिफेंड' करते रहे। अगले रोज मायावती ने उनको ट्वीट कर ठोका और मांग की कि सिर्फ संसद से नहीं, सारी महिलाओं से माफी मांगें आजम खान। यही नहीं, बहस के वक्त चेयर में रहीं रमा देवी जी ने स्वयं कहा कि आजम खान अपने कहे पर माफी मांगें! संसदीय बहस में भाजपा की स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारामन ने आजम खान के 'सेक्सिस्ट' व्यवहार की जम कर आलोचना की। लेकिन एक महिला सांसद ने उनका पक्ष लेते हुए कहा कि वे उर्दू शायरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जुबान में कुछ मिठास ज्यादा है।...

'मिठास' का मतलब क्या 'रस लंपटता' है?

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

> कुछ पक्षधर कहते रहे कि वे शायरी कर रहे थे, लेकिन गालिब किसी गली छाप के हाथ पड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। देखते-देखते चैनलों की बहसों में आजम खान की गली छाप, 'यौनवादी', 'स्त्री-विरोधी' रस-लंपटता का हंस कर साथ देने वाले अखिलेश की भी सात पुश्तें नप गईं।

नई दिल्ली

किताबें मिलीं

गांधी का साहित्य और भाषा चिंतन

हिंदी और हिंदी साहित्य से गांधीजी का हार्दिक संबंध था। इंग्लैंड में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद गांधीजी को यह बहुत खलने वाली बात लगी कि जिस भारत में अनेक समृद्ध भाषाएं दीर्घकाल से विद्यमान रही हैं, वहां पर शिक्षा का माध्यम एक विदेशी भाषा को रखा जाय। यह न तो दक्षता-निर्माण की दृष्टि से उचित था, न राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं अस्मिता की दृष्टि से। इस मुद्दे पर अंग्रेजी को आधुनिकता के लिए अपरिहार्य मानने वाले अनेक भारतीय बौद्धिकों से बिल्कुल अलग हट कर गांधीजी ने स्वदेशी भाषाओं का पक्ष लिया और हर प्रांत में वहां की संबद्ध भाषा में शिक्षा दिए जाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया।

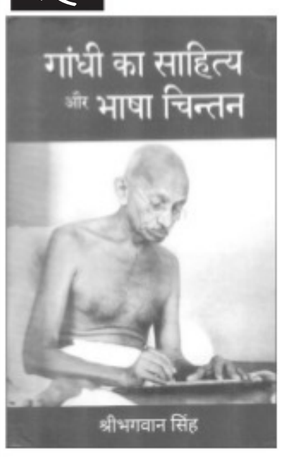

भाषा के अलावा साहित्य का भी गांधी के चिंतन में महत्त्वपूर्ण स्थान था। जहां उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने समय के देशी-विदेशी कई छोटे-बड़े साहित्यकारों के लेखन को प्रभावित किया, वहीं उनके चिंतन के निर्माण में साहित्य की भी काफी नियामक भूमिका रही। उन्हें भारत के प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इसके अतिरिक्त विदेशी साहित्यकारों को भी उन्होंने यथेष्ट रूप में पढ़ा था। रूसी साहित्यकार टॉल्सटॉय का उन पर प्रभाव सर्वविदित है। लेकिन उन पर उससे अधिक भारत के मध्यकालीन भक्त कवियों- नरसी मेहता, अखा भगत, भोजा भगत, मीरांबाई, तुलसी, कबीर आदि का प्रभाव पड़ा था। साथ ही साहित्य पढ़ने के क्रम में साहित्य के संबंध में गांधीजी का अपना दृष्टिकोण भी विकसित हुआ था। उनसे प्रभावित साहित्यिक रचनाशीलता को लेकर तो हिंदी में काफी काम हुआ है, लेकिन उनके साहित्य संबंधी सरोकारों को लेकर बहुत कम चर्चा हुई है। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय गांधीजी के इसी पत्र से संबद्ध है।

श्रीभगवान सिंह ने अपनी इस पुस्तक में हिंदी और हिंदी साहित्य तथा इनसे संबद्ध विषयों पर गांधीजी के गहन विमर्श की व्यापक प्रस्तुति के साथ ही अपना मौलिक चिंतन भी हम सबसे साझा किया है और कतिपय बहुप्रचारित मिथकों का सच उजागर किया है।

गांधी का साहित्य और भाषा चिंतन : श्रीभगवान सिंह; सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी; 130 रुपए।

कथा कहे बलराम

बलराम की तरह ही हैं उनकी कहानियां- सादगी, सहजता और सच्चाई। वे अक्सर आडंबररहित सहजता की छाप छोड़ती हैं। भोगी हुई यातना भी उनके यहां प्रदर्शन के लिए नहीं है। बलराम की कुछ कहानियां ऐसी हैं, जिनमें रचनाशीलता सहज वेग के साथ उतरी और कथाकार के रूप में उनकी सामर्थ्य, सार्थकता और संभावनाओं को उजागर कर गईं। बलराम की कहानियां पढ़ने के बाद ग्राम परिवेश ही उनका सृजन परिवेश लगता है।

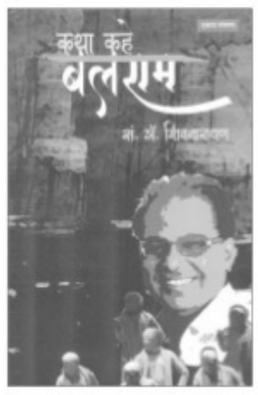

बलराम को कहानी कहना आता है, उनकी अपनी खास शैली है। कहानियां सहज, बहुत सहज ढंग से शुरू होती और मैदानी नदी-सी शांत-गंभीर बहती चली जाती हैं।

अर्थ, समाज, राजनीति, पारिवारिक संबंध और व्यवस्था के कुचक्रों के उलझाव में फंसे किशोर, युवा और वृद्ध, बलराम की कहानियों के प्रायः मुख्य पात्र होते हैं। गांव के दुष्चक्रों से निकल कर ये पात्र शहर और महानगर में फैले और- और बड़े दुष्चक्रों में फंस जाते हैं। इस तरह कहानी की मामूली-सी घटना से निकल कर ये पात्र सामाजिक सोद्देश्यता लेकर ज्वलंत आधुनिक समस्याओं तक जा पहुंचते हैं।

बलराम की कहानियों में अंतर्वस्तु की विविधता है, लेकिन अत्मनिरपेक्ष नहीं। उनके नायकों में अक्सर लेखक का संघर्ष सातत्य नैतिक विजन का काम करता है। वह हारता है और धूल झाड़ कर खड़ा हो जाता है। अपमान, उपेक्षा, मानसिक उत्पीड़न, संबंधों में बिखराव और टूटने-जुड़ने के बावजूद उनके व्यक्तित्व का विघटन नहीं होता।

कथा कहे बलराम : संपा. डॉ. शिवनारायण; भावना प्रकाशन, 109-ए, पटपड़गंज, दिल्ली; 500 रुपए।

अघोर पुरुष

स्वामीनाथ पांडेय रचित उपन्यास 'अघोर पुरुष' जीवनीपरक उपन्यासों की साहित्य-परंपरा का महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास के केंद्रीय व्यक्तित्व हैं काशी क्षेत्र की अघोर परंपरा के सिद्ध-पुरुष संत कीनाराम। इस उपन्यास का देशकाल है मुगलकालीन भारतीय इतिहास का वह काल-खंड, जिसमें अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति के विपरीत मुगल साम्राज्य की अंतर्कलह और औरंगजेब की कट्टर सांप्रदायिक नीति हिंदुस्तान के सामाजिक ढांचे को छिन्न-भिन्न कर रही थी। एक तेजस्वी और समावेशी इतिहास-पुरुष के आगमन का इससे उपयुक्त समय भला क्या हो सकता था।

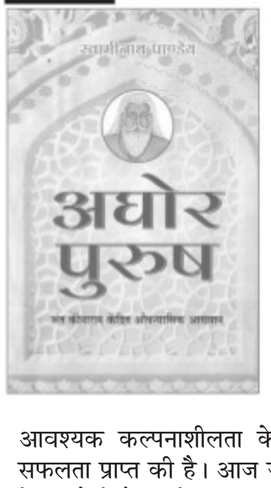

लोक विश्रुत संत कीनाराम के आख्यान को केवल जनश्रुतियों-किंवदंतियों और अपर्याप्त जीवन-वृत्त के बल पर रचना संभव नहीं था। इसलिए लेखक ने शोधपरक दृष्टि के साथ आवश्यक कल्पनाशीलता के समावेशन से एक उद्देश्यपूर्ण कृति रचने में सफलता प्राप्त की है। आज जब संत-समाज की राजनीतिक संलग्नता सवालों के दायरे में है, अघोर पुरुष का केंद्रीय व्यक्तित्व एक ऐसा संत है जिसके चिंतन और चिंता का विषय परलोक नहीं, इहलोक है; जिसकी लीलाभूमि मात्र तीन लोक से न्यारी काशी नहीं, यह समूचा महादेश है; और उसकी विचारभूमि के केंद्र में है महादेश भारत की सामाजिक संस्कृति। सिद्ध-पुरुष संत कीनाराम की जीवन-कथा के माध्यम से सांस्कृतिक अस्मिता का देशज विमर्श रचता तथा उसका संगत और समीचीन समालोचन प्रस्तुत करता है यह उपन्यास है।

अघोर पुरुष : स्वामीनाथ पांडेय; प्रतिश्रुति प्रकाशन, 7 ए, बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता; 330 रुपए।

सिंहावलोकन

इस किताब में मेले, रंगमंच, सिनेमा, मिथक और भाषा जैसे घटकों में कला, संस्कृति, धरोहर, इतिहास, परंपरा के आंचलिक वैशिष्ट्य की पहचान होती है। इस दृष्टि से यहां विविधरंगी छत्तीसगढ़ के उत्तरी सरगुजा अंचल और दक्षिणी बस्तर अंचल के समावेशी संतुलन का ध्यान रखते हुए सांस्कृतिक कारकों के कई अनछुए लेकिन महत्त्वपूर्ण पक्षों को रेखांकित किया गया है। साथ ही प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर प्रदेश के आंचलिक परिप्रेक्ष्य को राष्ट्रीयता और वैश्विक संदर्भों में भी यथास्थान स्पर्श किया गया है। संग्रह में वैचारिक टिप्पणियां तथा पुरातत्व से संबंधिक गंभीर किंतु रोचक लेख भी हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की विशिष्टता के साथ विश्वजनीन सभ्यता-संस्कृति के प्रतिमानों का आत्मीय स्पंदन महसूस किया जा सकता है।

पुस्तक में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एकमेव होकर डूबने-उतराते समष्टि की झलकियां मिलती हैं और वहीं पथ आलोकित करती हैं। सभ्यता शिशु ठहरता है अपने पूर्वकृत संचित से प्रारब्ध करने का मार्ग प्रशस्त करने और क्रियमाण पग बढ़ाता है। यह सिंहावलोकन, देश के भेद और काल के प्रवाह में बोध की समग्रता का आग्रह है।

सिंहावलोकन : राहुल कुमार सिंह; यश पब्लिकेशंस, 1/10753, सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, दिल्ली; 175 रुपए।

शिक्षा नीति का प्रारूप

लंबी प्रतीक्षा के बाद नई शिक्षा नीति का प्रारूप शिक्षाविदों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों की समीक्षा के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। उसमें संविधान में वर्णित शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप ही बिंदु रखे गए हैं। पर इससे पहले की शिक्षा नीतियों के आलोक में इस शिक्षा नीति पर इसलिए विचार आवश्यक है कि पुरानी नीतियों में शिक्षा संबंधी मुख्य उद्देश्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए प्रस्तावित शिक्षा नीति में किन बिंदुओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, इस बार की चर्चा इसी पर। - संपादक

मातृभाषा और शिक्षक

जगमोहन सिंह राजपूत

लंबी प्रतीक्षा के बाद शिक्षा की नई नीति का प्रारूप देश के समक्ष रखा गया है। इस पर फिर से सुझाव मांगे गए हैं। प्रारूप का प्रारंभ 'विजन' से होता है : 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारत केंद्रित शिक्षा-व्यवस्था की परिकल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को निरंतर एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान-समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है।' इसे पढ़ कर यह याद आना स्वाभाविक है कि लक्ष्य तो पिछली तीनों शिक्षा नीतियों- 1968, 1985 और 1992- का भी इससे अलग नहीं था, भले कहने की शब्दावली अलग रही हो। अगर भारत के भविष्य का निर्माण कोठारी आयोग के अनुसार 1964-66 में उसके स्कूलों की कक्षाओं में हो रहा था, तो आज भी ऐसा ही होना अपेक्षित है। यह सत्य सर्व-स्वीकार्य होना चाहिए।

समिति के अध्यक्ष के अनुसार प्रारूप बनाने के पहले ही यह संभावना उभरी थी कि 'आउट ऑफ बॉक्स' वैचारिकता सामने आने वाली है। ऐसा दिखाई भी देता है, मगर बहुत कुछ ऐसा भी लगातार सामने आया है, जिसे पहले भी कहा जा चुका है और कई बार दोहराया गया है। मुख्य प्रश्न फिर एक बार यही उभरता है कि अजादी के बाद देश को जिस प्रकार की शिक्षा और उसकी व्यवस्था करने वाला तंत्र चाहिए था, वह नीति-निर्धारकों को ज्ञात था, बार-बार नीति संबंधी दस्तावेजों का भाग भी बना, मगर क्रियान्वयन के स्तर पर अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल सकी और महत्त्वपूर्ण सुझाव और संस्तुतियों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा सका? संखाएं बढीं, मगर गुणवत्ता, कर्मठता, मानवीय मूल्य, स्वीकार्यता और साख घटते चले गए! चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास परीक्षा में अंकों की दौड़ में पीछे छूटते गए। बहुत कुछ बिखरता चला गया।

परिस्थितियां ही ऐसी बनीं, जिनमें यह तो होना ही था। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अठारह और माध्यमिक स्कूलों में पंद्रह फीसद शिक्षकों के पद 2016 में खाली थे। इसके अलावा अस्थायी, केवल थोड़े से मानदेय पर कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या भी दस-ग्यारह लाख थी! जो नियमित अध्यापक पदस्थ थे, उनसे पढ़ाने के अलावा क्या-क्या करवाया जाता रहा है, इसे सभी जानते हैं। परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों की साख लगातार गिरती गई, निजी स्कूलों की ओर दौड़ बढ़ती गई। नीति प्रारूप में अपेक्षा है कि निजी स्कूल अपने को पब्लिक स्कूल नहीं कह सकेंगें! यह लोगों को अच्छा लगा है। मगर इससे चुनौतियां घटेंगी नहीं।

संविधान के मूल-स्वरूप में 'चौदह साल तक के' हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार को सौंपा गया था। सरकारों ने इसे उस गंभीरता से नहीं लिया, जिस साहसपूर्ण ढंग से संविधान निर्माताओं ने इसके महत्त्व को समझा और स्वीकार किया था। संविधान के छियासीवें संशोधन में अनुच्छेद 21-ए जोड़ा गया और शिक्षा के मूल अधिकार को छह से चौदह वर्ष में सीमित कर दिया गया। नीति प्रारूप में इसे सुधारने की संभावना उभरी है। स्कूल-पूर्व शिक्षा सरकारी विद्यालयों में नहीं थी, निजी स्कूलों में यह आकर्षण का मुख्या केंद्र थी। शिक्षा के मौलिक अधिकार और उसमें मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने की आवश्यकता और अनिवार्यता को सबसे पहले अत्यंत सशक्त ढंग से तो 8 दिसंबर, 1948 को संविधान सभा में डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। उनके शब्द आज भी बच्चों की प्रारम्भिक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्णता से व्यक्त करते हैं: 'अगर प्राथमिक शिक्षा को लाभप्रद तथा प्रभावपूर्ण बनाना है तो उसे बच्चों को मातृभाषा में ही देना होगा। अन्यथा प्राथमिक शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा और वह निरर्थक हो जाएगी।'

शिक्षा में प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा माध्यम की व्यावहारिक स्वीकार्यता बहुत पीछे छूट गई है। अब तो इसका अनुपालन केवल वहीं हो रहा है, जहां पालकों को अंग्रेजी माध्यम के 'पब्लिक स्कूल' या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनकी आर्थिक परिधि के दायरे के बाहर हैं। और यह आज का उठाया गया प्रश्न नहीं है। गांधीजी अपने व्यक्तिगत अनुभव और वैश्विक परिदृश्य के विश्लेषण के बाद इस पर कितने संवेदनशील थे, इसे नीति को अंतिम स्वरूप देने वालों को अवश्य सामने रखना चाहिए : 'अगर मुझे एक निरंकुश शासक के अधिकार प्राप्त होते तो मैं अपने बालक-बालिकाओं की विदेशी माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर रोक लगा देता और उन सभी अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को निकाल बाहर करता, जो इस परिवर्तन को तुरंत स्थान दे पाने में असमर्थ होते। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी के लिए प्रतीक्षा न करता। परिवर्तन के पश्चात वे तैयार होती रहतीं। यह एक ऐसा दोष है, जिसका जड़-मूल से इलाज आवश्यक है।'

चर्चा

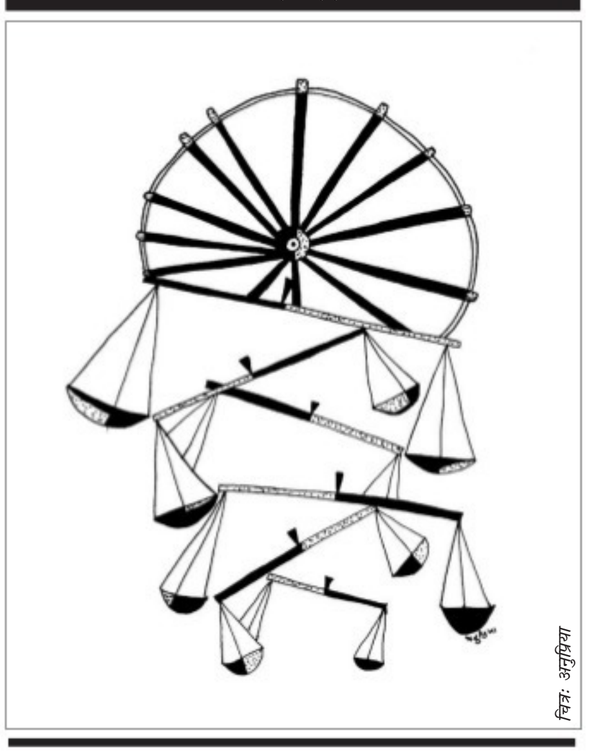

चित्र: अनुप्रिया

वैश्विक स्तर पर यह शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, मानविकी और समाजशास्त्र के विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, मगर भारत में जो दृष्टिकोण और परिस्थितियां बनी हैं, उनमें मातृभाषा की महत्ता की पुनर्स्थापन के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।

वैश्विक स्तर पर यह शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, मानविकी और समाजशास्त्र के विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, मगर भारत में जो दृष्टिकोण और परिस्थितियां बनी हैं, उनमें मातृभाषा की महत्ता की पुनर्स्थापन के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। साथ ही बाजार में और रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी के एकाधिकार के बरक्स मातृभाषाओं को बराबरी पर खड़ा करना होगा। बच्चों का मूलभूत अधिकार तो यों भी कहा जा सकता है कि प्रारंभ में घर से स्कूल जाने पर उसे 'घर जैसा वातावरण' मिले। उसके सबसे बड़े कारक हैं : घर की भाषा, और संवेदनशील आत्मीयता बिखेरता अध्यापक! इनकी अनुपस्थिति उसकी मासूमियत पर क्रूर प्रहार के समान ही मानी जानी चाहिए। इसी कारण विश्व भर में प्रारंभिक कक्षाओं में महिला अध्यापिकाओं को प्रमुखता देने का चलन है।

स्कूल जाने के कुछ महीने के अंदर ही माता-पिता को यह ज्ञात हो जाता है कि बच्चे पर स्कूल और अध्यापक का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वह पहली बार उन्हें कहता है कि सर/ गुरुजी/ मिस ने जो कहा वही सही है, आपका कहा या बताया नहीं, तब जान लेना चाहिए कि बच्चा अपना आदर्श सबसे पहले स्कूल में ही अपने अध्यापकों में खोजता है। इसीलिए हर अध्यापक को अपने आचार्य होने का भान सदा सामने रखना चाहिए, और इसी कारण उनका आचरण केवल अनुकरणीय हो सकता है, अन्य कुछ भी नहीं! अध्यापकों से अपेक्षाओं, उनके प्रशिक्षण, सेवाकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, आगे बढ़ने के अवसरों का प्रावधान, नवाचार के लिए प्रोत्साहन जैसे पक्षों पर की गई संस्तुतियां विचारपूर्ण और तर्क-संगत लगती हैं। इसके क्रियान्वयन की संभावनाएं अनेक आशंकाओं को जन्म अवश्य देती हैं। अगर यह मनोयोग से क्रियान्वित हो सकीं, तो भारत की स्कूल शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा।

शिक्षकों पर लिखे गए अध्याय में उद्देश्य को इन शब्दों में पिरोया गया है : 'स्कूल शिक्षा के सभी स्तर के सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता वाले, प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा हो।' उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ तो अध्यापक ही होंगे, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रारूप समिति ने अनेक सार्थक और सटीक सुझाव दिए हैं। शिक्षा और शिक्षकों की वर्तमान स्थिति तथा परिस्थिति से परिचित सभी लोग इसे एक पवित्र और निर्मल सदिच्छा ही कहेंगे।

योग्यतम व्यक्ति को ही शिक्षक बनाना चाहिए, इसे सभी मानेंगे। यह भी निर्विवाद है कि अध्यापक वही बने, जिसकी गहन रुचि इस कार्य में हो; यानी जो पूर्णरूपेण ज्ञानार्जन के लिए समर्पित हो तथा नया ज्ञान सीखने, खोजने तथा बांटने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता हो। उसके सामने, उसके अपने कार्यक्षेत्र में उसे पूर्ण स्वायत्तता होनी ही चाहिए। सच्चा अध्यापक वही बन सकता है जो 'यावद्जीवेत अधीयते विप्रः' का अर्थ ही नहीं, उसमें निहित भाव तथा उत्तरदायित्व बोध को भी आत्मसात कर सके! इसके लिए आवश्यक है कि उसे पुस्तकें उपब्ध हों, समय मिले, नवाचार करने के लिए साधन संसाधन उपलब्ध हों! उसे एक अदना-सा सरकारी कर्मचारी ही मान कर हेय दृष्टि से न देखा जाय। शिक्षक छात्र अनुपात ऐसा हो कि अध्यापक अपने विद्यार्थी को पहचान सके यानी उसकी व्यक्तिगत रुचियों, प्रतिभा विकास की संभावनाओं तथा आवश्यकताओं से परिचित हो और एक-पर-एक संवाद बनाए रखे। अध्यापक को स्थानीय समुदाय से संपर्क बनाने तथा अपने विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति की समझ प्राप्त कने के लिए समय और प्रोत्साहन चाहिए। यह भी आवश्यक है कि गैर-शैक्षिक कार्यों का बोझ और उससे पड़ने वाला दबाव अध्यापक पर न हो।

प्रारूप समिति ने इस सबसे सहमति व्यक्त की है, और यह माना है कि इस समय शिक्षकों की स्थिति 'निम्न स्तर' पर है, साथ ही यह भी कहा है कि 'वर्तमान समय में निस्संदेह शिक्षकों के स्तर में गिरावट आई है।' व्यवस्था को यह समझना आवश्यक है कि अगर अध्यापक के पास उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो वह एक अबोध 'व्यक्ति को व्यक्तित्व' में कैसे बदल पाएगा, भले ही वह उन्हें परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए तैयार कर दे!

शिक्षा नीति बनाम राजनीति

रमेश दवे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप अब लोक-संवाद और तमाम शिक्षाविदों, बौद्धिकों और पेशेवर शिक्षकों के विचार-विमर्श के लिए जारी तो हो गया है, लेकिन उसके गुण-दोषों पर अच्छी चर्चा और प्रारूप में नीति के बजाय, राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा ही पहले भी हुआ था, जब तत्कालीन नीति को शिक्षा के तालिबानीकरण की संज्ञा दी गई थी।

अब प्रश्न है कि शिक्षा चाहे सरकारी स्कूल, कॉलेजों में दी जाए या मदरसों, शिशु मंदिरों में, क्या शिक्षा की कोई जाति या धर्म है? क्या शिक्षा कोई क्षेत्र-विशेष की राष्ट्र भाषा, राजभाषा या किसी विचारधारा का नाम है? शिक्षा के तो कई रूपक हैं। अंग्रेजी में एक पुस्तक भी है 'मेटाफर्स ऑफ एजुकेशन'। हम इन रूपकों से शिक्षा का रूप निर्धारित करने के बजाय पार्टीवादी राजनीति क्यों करते हैं? सरकार किसी भी दल, किसी भी विचारधारा की हो, अच्छे को अच्छा कहने और खराब को खराब कहने का दल-निरपेक्ष बौद्धिक साहस हमारे अंदर क्यों नहीं? हमारी आंखों में जो दलवादी मोतियाबिंद है, उस जाले को साफ करना, शिक्षा की पहली जरूरत है।

आमतौर पर शिक्षा के दो क्षेत्र माने गए हैं- एक है स्थानीय, जिसे लोकल या लोकेशन आधारित कहा गया है और दूसरा है ग्लोबल यानी लोकव्यापी, सर्वव्यापी या विश्वव्यापी। जैसे गांधी के लिए शिक्षा के मूल्य थे- सत्य और अहिंसा। दुनिया की कोई शिक्षा नीति सत्य और अहिंसा के मूल्य को निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये 'इटर्नल' या सार्वकालिक मूल्य माने गए हैं। कुछ शिक्षाविद मानते हैं कि सार्वकालिक मूल्य कुछ नहीं होते। प्रत्येक मूल्य मनुष्य की चेतना, परिवेश, विचार और उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश जैसे मूल्य मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य को क्रूर बनाने के बजाय, उसकी संवेदना को जाग्रत कर सकते हैं। आक्रोश हो तो अवश्य लेकिन अहिंसक हो, विरोध हो जरूर मगर सविनय अवज्ञा की तरह हो, असहमति हो मगर असहयोग आंदोलन की तरह हो।

शिक्षा के कितने भी विचार-संस्करण बना लिए जाएं, अगर मनुष्य की चेतना का संवेदन-तंत्र शिक्षा से स्पंदित नहीं होता, मनुष्य में बेहतर मनुष्य बनने, शिक्षक में बेहतर शिक्षक बनने और संस्थाओं को बेहतर, लोकतांत्रिक, उदार और बेहतर-संसाधनों से युक्त होकर तैयार नहीं करता, तो वह शिक्षा उन मूल्यों का निर्माण कैसे करेगी, जो सैकड़ों की संख्या में लिखे गए हैं और राष्ट्रीय संस्थाओं में मूल्य-शिक्षा विभाग ही रच दिए गए हैं? वास्तव में सच पूछा जाए, तो हमारी शिक्षा ने हमें ईमानदार न तो स्वयं के प्रति बनाया, न अपने विचारों के प्रति, न नीतियों के प्रति और न अपने काम के प्रति। जब लाख-दो लाख का प्रतिमाह वेतन पाने वाले प्राध्यापक कक्षाओं में नहीं जाते, न स्वयं पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, तो ऐसे प्राध्यापक शिक्षा के मूल्यों की चेतना कैसे जाग्रत करेंगे? अपनी बेईमानी से ईमानदार पीढ़ी का निर्माण कैसे करेंगे? ऐसे भी कुलपति देखे गए हैं, जो अपने विश्वविद्यालयों से गायब रह कर नैक, नेट, यूजीसी आदि के कामों से कमाऊ दौरे करते रहते हैं। क्या ऐसी आचरण-संहिता नहीं हो सकती कि कुलपति, प्राध्यापक अपने विश्वविद्यालय में रहें और अन्य कार्यों, निरीक्षण आदि के लिए पूर्णकालिक घुमंतू शिक्षाविद या विशेषज्ञ मूल्यांकन-कर्ता रखे जाएं? जब कुलपति, प्राध्यापक ही गैरहाजिर रहेंगे, तो छात्रों से हाजिर रहने की उम्मीद कैसे की जाएं?

मूल्यों के कागजी पिटारे बनाने से क्या होगा? संस्कृति, सभ्यता के भग्नावशेषों में भटकाने से क्या होगा? विचारधाराओं के कंबल ओढ़ कर शिक्षा की ठंडक भगाने से भी क्या होगा! शिक्षा से तो पैदा होना चाहिए मनुष्य का आत्मविश्वास, अपनी शक्ति और हुनर से रोजगार पैदा कर लेने की बौद्धिक क्षमता और मनुष्य से मनुष्य के संवेदनशील संपर्क और संबंध। शिक्षा संस्थाओं में जितनी शिक्षा दी जाती है, उससे अधिक तो बाहरी वातावरण, घर, परिवार, परिवेश और अनुभव से सीखा जाता है।

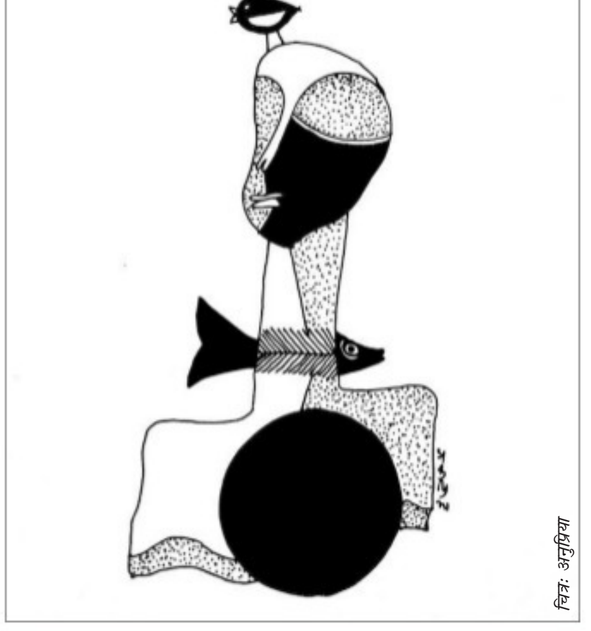

चित्र: अनुप्रिया

शिक्षा जिस दिन मुक्त विचारों का मानवीय संस्कार बनेगी उस दिन सरकार या राजनीति से नीति पैदा न होकर मनुष्यता की संस्कृति और संविधान की कृति से शिक्षा रची जाएगी और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, पाठ्यक्रम हो, पाठ्य-पुस्तक हो, उन्हें इजलास में मुल्जिम बन कर खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

अगर हमारे पुरखे अपने गणित-ज्ञान से खगोल खंगाल कर पंचांग रच गए, तो उनके आगे का काम ही तो विज्ञान ने किया। शिक्षाशास्त्र ऐसा क्यों न हो कि वह जो पहले था वह कितना सही, गलत, विश्वसनीय-अविश्वसनीय और शोधपरक था, उसका सही विश्लेषण हो सके और आगे के लिए ऐसे उपकरण तैयार हो सकें, जिनसे लगे कि शिक्षा का अर्थ केवल संस्कृति के कुंज में विहार करना नहीं, बल्कि विज्ञान के विवेक-विमान पर उड़ कर आसमान छूना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने का दायित्व जिन संस्थाओं को दिया जाता है, वे भी दुराग्रह से ग्रस्त होती हैं। अगर किसी संस्था प्रमुख को किसी विचारधारा विशेष के कोष्ठक में बंद करके काम करवाना होता है, तो उसी विचारधारा के तथाकथित शिक्षाविद, शिक्षक, विचारक, बौद्धिक नीति-निर्धारक और पाठ्यक्रम लेखक के रूप में बुलाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय संस्था के निदेशक ने अगर संस्था को इतना सक्रिय कर दिया कि मीडिया और अखबार में हर दिन वह संस्था हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बन गई, तो ऐसा निदेशक किसी प्रकार के पार्टीवादी खांचे में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वह कितना भी सक्रिय, ईमानदार और विचारधारा-निरपेक्ष रहा हो। जब उसका उत्तराधिकारी कोई तेजस्वी, विचारक और शिक्षाविद निदेशक बनता है, तो वह कितनी भी कल्पनाशील, बौद्धिक मेधा और क्षमता वाला हो, उसकी आस्था नीति के बजाय राजनीतिक विचारधारा से हो जाती है और उसके कार्यकाल में या तो पूर्व-निदेशक के समय के लोगों को निरस्त या बहिष्कृत कर दिया जाता है या फिर जातिगत समानता, परिचय, विचारधारागत समानता के आधार पर ही बुलाया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ऐसे लोग शिक्षाविद, बौद्धिक सक्रिय अध्यापक और कल्पनाशील, संवेदनशील, विशेषज्ञ नहीं होते, वे प्रखर होते हैं, जन-संवेदी होते हैं, मगर विचारधारा से मुक्त उदार, उदात्त और निरपेक्ष अपने को नहीं रख पाते।

ऐसा क्यों है? हम शिक्षा को लेकर राजनीति के बजाय नीति से संचालित क्यों नहीं होते, अपने-अपने विचार-विधान के बजाय संविधान से संचालित क्यों नहीं होते, धर्म के बजाय कर्म से संचालित क्यों नहीं होते, संस्कृति के नाम पर संप्रदायवाद की कट्टरता के बजाय लोकतंत्र के प्रति सच्ची आस्था से प्रेरित क्यों नहीं होते? सच पूछा जाए तो पश्चिमी विचारधाराओं और अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा का मॉडल हमारे अंदर इस कदर धंस गया है कि उसका हर विकल्प हमारे यहां विफल हो जाता है। राज्य स्तर पर स्थिति इतनी भयानक है कि वहां केवल विचारधारा भक्त ही शिक्षा नीति पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का काम कर सकते हैं।

शिक्षा जिस दिन मुक्त विचारों का मानवीय संस्कार बनेगी उस दिन सरकार या राजनीति से नीति पैदा न होकर मनुष्यता की संस्कृति और संविधान की कृति से शिक्षा रची जाएगी और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, पाठ्यक्रम हो, पाठ्य-पुस्तक हो, उन्हें इजलास में मुल्जिम बन कर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि जन-विवेक के संवेदन की अदालत में राजनीतिक ओछेपन से मुक्त नीति शिक्षा का सच्चा कलेवर गांधी के स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वदेशी, सर्वत्रमय वर्जन और सत्य-अहिंसा की भारतीय भूमि पर खड़ी होगी। विज्ञान, तकनीकी, सूचनातंत्र, नए-नए उपकरण आदि के बावजूद शिक्षा को केवल यांत्रिक नहीं बनाया जा सकता। यह सही है कि नीति तो सरकार बनाती है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि सरकार अगर नीति को दलगत राजनीति से बनाती है, तो फिर ऐसी नीति में संविधान की सुगंध कैसे होगी? शिक्षा नीतियां, शिक्षा-आयोग पहले भी बने, कई बातें अच्छी भी थीं। यह भी सच है कि अंग्रेजों के मॉडल से पूरी तरह हटा नहीं जा सकता, मगर नीति में कम से कम मानवीय संवेदन और नैतिक दायित्व की झलक तो हो। नई नीति के प्रारूप पर अनेक शिक्षाविदों में मतभेद हैं, मगर क्या ये मतभेद नीति से हैं या नेताओं से यह विचार करना जरूरी है।

नई दिल्ली

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ

भाजपा ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव

बंगलुरु, 27 जुलाई (भाषा) ।

कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पार्टी सूत्रों ने शनिवार को कहा कि अगर वह स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी यह कदम उठा सकती है। उन्होंने बताया कि कुमार को पद छोड़ने के लिए सरकार की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर परंपरागत रूप से सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ही बैठते हैं। भाजपा ने शुक्रवार को ही कर्नाटक में सत्ता संभाली है।

भाजपा के एक विधायक ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, 'अगर वह खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे।' विधायक ने कहा, 'हमारा पहला एजेंडा विश्वास प्रस्ताव को जीतना है और सोमवार को वित्त विधेयक पारित कराना है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं या नहीं।' विधायक ने पूछा कि विपक्षी पार्टी से कोई अध्यक्ष कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, 'एक बार जब हम सदन का विश्वास जीत लेते हैं तो उसके बाद हम अविश्वास प्रस्ताव लाने पर काम करेंगे।' कर्नाटक में पलटे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पक्ष में आंकड़े जुटाने की है। शपथ ग्रहण करने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि हम 29 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। राज्य में कांग्रेस और जद (सेकु) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद मंगलवार को गठबंधन की सरकार गिर गई थी।

> *केआर रमेश कुमार* अगर स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा यह कदम उठा सकती है।

राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

जयपुर, 27 जुलाई (भाषा) ।

राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। राज्य में बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से राज्य का सीकर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वहां अनेक इलाकों में पानी भरा है और बीते दो दिन में पांच लोगों की मौत हो गई है।

सीकर के जिला कलेक्टर रामचंद्र देनवाल ने बताया कि जिले में बारिश से हुए हादसों में पांच लोगों की मौत हुई है। हालांकि शनिवार को बारिश नहीं होने से लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार से लेकर शनिवार सुबह तक वनस्थली टोंक, जयपुर और अजमेर में क्रमशः 99.8, 84 और 64.2 मिमी. बारिश दर्ज की गई।

वहीं सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू और बीकानेर में क्रमशः 42, 31, 2.4 और 1.8 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

कारोबारी सतीश बाबू गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सना सतीश बाबू को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया। उससे कुछ घंटों तक पूछताछ की गई और जांच में 'सहयोग ना करने' पर उसे हिरासत में ले लिया गया।

बाबू द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर ही पिछले साल सीबीआइ के शीर्ष अधिकारियों के बीच खींचतान की खबरें आई थीं। जिसके बाद सीबीआइ प्रमुख को हटाया गया था। गौरतलब है कि मोइन कुरैशी मामले में सना सतीश बाबू को पहले गवाह के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन बाद के घटनाक्रम के साथ वह आरोपी बन गया। प्रवर्तन निदेशालय कुछ वित्तीय लेन-देन समेत कुरैशी के साथ उसके संपर्क को संदिग्ध मान रही है और इसलिए वह उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। वह रिश्वत के एक मामले में शामिल है और उसने कुरैशी को अवैध रूप से धन दिया है।

धनशोधन मामला

पहले गवाह के तौर पर बुलाया गया, लेकिन बाद में आरोपी बन गया बाबू।

ईडी ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिली-भगत करके कथित भ्रष्टाचार करने के मामले में धन शोधन निवारण कानून के तहत कुरैशी के खिलाफ 2017 में आपराधिक मामला दर्ज किया था। ईडी ने जांच के तौर पर कुरैशी को गिरफ्तार भी किया था और उसकी संपत्तियां कुर्क की थी। ईडी इस मामले में पूर्व सीबीआइ निदेशक एपी सिंह की भी जांच कर रही है।

सीबीआइ ने अपने तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और नंबर दो माने जाने वाले राकेश अस्थाना के बीच तनातनी के दौरान बाबू की ही शिकायत पर अपने पूर्व विशेष निदेशक अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी। बाबू ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद सीबीआइ ने अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

सीबीआइ को दिए अपने बयान में बाबू ने कहा था कि उसने कुरैशी से जुड़ी जांच में किसी तरह की कार्रवाई ना करने के लिए अस्थाना को दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। यह धन राशि दिसंबर 2017 से लेकर 10 महीने की अवधि में दी गई। बाबू ने जब अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था तब अस्थाना के नेतृत्व में सीबीआइ का विशेष जांच दल (एसआइटी) उससे पूछताछ कर रहा था।

बाबू की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीबीआइ ने अस्थाना और एजंसी के कुछ अधिकारियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में अस्थाना ने तत्कालीन सीबीआइ निदेशक वर्मा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था और बाबू को बचाने और एसआइटी को उसके खिलाफ कार्रवाई ना करने देने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई।

चार साल से रिहाई की राह देख रहे चार कछुए

पेज 1 का बाकी

को तैनात भी किया गया है। राजपूत कहते हैं कि कछुओं को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया था। अदालत के निर्देश के बाद ही उन्हें वन विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए अदालत से अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा है। इस मामले को लेकर वन्यजीवों के जानकारों का मानना है कि जब आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है तब कछुओं को भी उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ देना चाहिए।

विलासपुर निवासी वन्यजीवों के जानकार मंसूर खान कहते हैं कि वन विभाग को अदालत में अर्जी दाखिल करना चाहिए जिससे कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके और यह समझ से परे है कि जब इस मामले के आरोपी जेल से बाहर हैं तब कछुओं को हिरासत में क्यों रखा गया है

राष्ट्र की सुरक्षा पर न कोई दबाव, न कोई प्रभाव

पेज 1 का बाकी

हमारी प्राथमिकता है। जल, थल, नभ सभी जगह हमारी सेना अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य है और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है।'

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि करगिल युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारे पड़ोसी को लगता था कि करगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे यह उन्होंने नहीं सोचा था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते पांच साल में सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आजादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था उस ओआरओपी (वन रैंक, वन पेंशन) को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। इस बार सरकार बनते ही पहला फैसला शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का किया गया है। इसके अलावा 'नेशनल वॉर मेमोरियल' भी आज हमारे वीरों की गाथाओं से देश को प्रेरित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि युद्ध सरकारें नहीं लड़ती हैं। युद्ध पूरा देश लड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजयगाथा पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो देश के लिए मरने-जीने की परवाह नहीं करते हैं, वे अजर अमर होते हैं। सैनिक आने वाले दिनों के लिए खुद को मिटा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें करगिल जाने का अवसर मिला था। जब युद्ध जीते थे, तब भी वह करगिल गए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं 20 साल पहले करगिल गया था, जब युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठे अपना खेल खेल रहे थे। हमारे जवान मौत का सामना कर रहे थे, तिरंगा ले जाने वाले हमारे जवान सबसे पहले घाटी तक पहुंचना चाहते थे।'

उन्होंने कहा, करगिल में विजय हमारे बेटों और बेटियों की बहादुरी की जीत थी। यह भारत की ताकत और धैर्य की जीत थी। यह भारत की पवित्रता और अनुशासन की जीत थी। यह हर भारतीय की उम्मीदों की जीत थी।

मोदी ने कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948, 1965 और 1971 में उसने यही किया, लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छलनी कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज युद्ध का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास गवाह है- भारत कभी आक्रांता नहीं रहा है। मानवता के हित में शांतिपूर्ण आचरण हमारे संस्कारों में हैं। हमारा देश इसी नीति पर चला है। भारत में हमारी सेना की छवि देश की रक्षा की है। विश्व में हम मानवता और शांति के रक्षक हैं।

सीबीआइ के सामने पेश होऊंगा संसद सत्र संपन्न होने के बाद : डेरेक

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सीबीआइ को सूचित किया है कि वह सात अगस्त को संसद सत्र संपन्न होने के बाद एजंसी के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें डराया-धमकाया नहीं जा सकता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने राज्यसभा सदस्य को सारदा पोंजी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि डेरेक से तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' के खातों में हुए कुछ वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की जा सकती है। वह पार्टी के आधिकारिक समाचारपत्र के प्रकाशक हैं। डेरेक ने कहा कि पूर्व में, जब संसद का सत्र चल रहा था तो मुझे नोटिस भेजा गया। मैंने सीबीआइ को तत्काल लिखा और बताया कि क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए मैं सत्र संपन्न होने के बाद पेश होऊंगा।

हालांकि, जब मुझे सीबीआइ से मिलना था तो उससे एक दिन पहले उन्होंने मुझे सूचित किया कि मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। मैंने इसकी पुनः पुष्टि करते हुए उनको एक पत्र भी भेजा।

सीबीआइ गिरफ्तार बंगाली फिल्म निर्माता श्रीकांत मोहता के घोटाले में आरोपी कंपनी 'रोज वैली' के प्रमोटरों के साथ संबंधों की जांच कर रही है। मोहता ने कथित तौर पर रोज वैली के प्रमोटरों के साथ 25 करोड़ रुपए का सौदा किया था और संदेह है कि इस धन का एक हिस्सा 'जागो बांग्ला' के खाते में गया।ब्रायन ने कहा कि फरवरी से मुझे उनकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली।

अब इस संसद सत्र के दौरान मुझे नोटिस दिया गया और एक अगस्त को उनके सामने पेश होने को कहा गया है। मैंने उन्हें पत्र भेजा है और कहा है कि मैं उनसे सात अगस्त को संसद सत्र संपन्न होने के बाद मिलूंगा।

उन्होंने कहा कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे डराया-धमकाया नहीं जा सकता। फरवरी में संसद सत्र संपन्न होने पर मैं सीबीआइ के सामने पेश होने पर सहमत हो गया था, लेकिन सीबीआइ ने मुझसे न मिलने का विकल्प चुना। इस बार भी मैं उनसे मिलने को तैयार हूं।

हाईटेंशन तार की चपेट में आया कांवड़ियों का ट्रक

पेज 1 का बाकी

डाक कांवड़ समूह हरिद्वार से जल लेने ट्रक से जा रहा था। जैसे ही लोग ट्रक में सवार होकर आगे बढ़े तो जैतपुर इलाके में ही रोड पर हाईटेंशन तारों की चपेट में ट्रक आ गया। जैसे ही ट्रक हाईटेंशन तारों की चपेट में आया एक जोरदार धमाके की आवाज़ हुई और लोगों की चीखपुकार मचने लगी। कई कांवड़िए करंट से बुरी तरह झुलस गए।

आनन फानन में लोगों को एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बिज्जू नामक एक युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां लंबी दूरी तक हाईटेंशन की तारें बहुत नीचे आ गई हैं जिनमें 11 हजार वोल्टेज की लाइन है। लोगों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से शांत रहने की अपील की है।

मुठभेड़ में तीन महिला नक्सली सहित सात ढेर

पेज 1 का बाकी

जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। बाद में जब पुलिस दल ने घटनास्थल की तलाशी ली तब वहां से तीन महिला नक्सलियों सहित सात नक्सलियों के शव, एक इंसास राइफल, 303 बोर की चार राइफल और बड़ी संख्या में भरमार बंदूक व देशी हथियार बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस दल ने घटनास्थल से नक्सली शिविर में मौजूद अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कराई जा रही है। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।

बचाव बदलापुर के पास शनिवार को बाढ़ग्रस्त महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते नौसेना के जवान।

बाढ़ में फंसी ट्रेन से बचाए 1050 यात्री

पेज 1 का बाकी

और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने हिस्सा लिया। यात्रियों को बचाने के लिए दिल्ली से एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों की विशेष टीमें भेजी गई थीं। नौसेना के एक सी-किंग हेलिकॉप्टर व एक एमआई-35 हेलिकॉप्टर को भी राहत अभियान में लगाया गया।

यात्रियों को बचाने का अभियान 17 घंटे तक चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में फंसी ट्रेन के यात्रियों को बचाने के अभियान में लगी एनडीआरएफ, सैन्य बलों और अन्य एजंसियों के काम की शनिवार को प्रशंसा की। शाह ने ट्वीट किया कि एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना, रेलवे और राज्य प्रशासन की टीमों ने सभी यात्रियों को बचा लिया। केंद्र सरकार ने पूरे अभियान की निगरानी की।

राहत और बचाव अभियान में नौसेना की सात टीमें, भारतीय वायुसेना के दो हेलिकॉप्टर, सेना की दो टुकड़ी के अलावा स्थानीय प्रशासन के लोग जुटे थे। ट्रेन से निकालकर सभी यात्रियों को बदलापुर स्टेशन पहुंचाया गया। रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि यात्रियों को 19 डिब्बे वाली विशेष ट्रेन के जरिए कोल्हापुर भेजा गया।

भारी बारिश के कारण रेल पटरियों पर पानी भरने से यह ट्रेन ठाणे जिले में वंगानी के निकट फंस गई थी। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्रियों को दोपहर बाद तीन बजे तक बचा लिया गया। यह ट्रेन शुक्रवार की रात को मुंबई से कोल्हापुर के लिए रवाना हुई थी लेकिन यह वंगानी से आगे नहीं जा सकी, जहां इसे शनिवार तड़के पहुंचना था।

एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान के मुताबिक, पहले 9 गर्भवतियों समेत महिलाओं व बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद बुजुर्गों और फिर पुरुष यात्रियों को बचाया गया। इन यात्रियों की मदद के लिए भारतीय नौसेना के जवानों के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 200 जवानों को दिल्ली से भेजा गया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से बात की और उन्हें राहत अभियान में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ राहत सामग्री और विशेषज्ञ गोताखोर भेजे गए। नौसेना ने आठ राहत दल तैनात किए। नौसेना ने ट्वीट किया, 'मुंबई और आसपास के इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के बाद नौसेना ने प्रशासन की सहायता के लिए राहत सामग्री, नौकाओं और लाइफ जैकेट के साथ आठ राहत दलों को भेजा।'

मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सिर्फ मुंबई में 150 से 180 मिलीमीटर बारिश हुई है और वहां शनिवार को भी भारी बारिश हुई।

इस दौरान लोगों को बाहर न निकलने और समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में आंधी आने की भी आशंका जताई गई है। अगले 48 घंटों में उत्तरी कोंकण इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर घटाकर पांच फीसद की

पेज 1 का बाकी

से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस को किराए पर लेने में जीएसटी में छूट देने का भी फैसला किया गया। यह भी एक अगस्त से प्रभावी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक की अध्यक्षता की। इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं।

जीएसटी परिषद ने कुछ अन्य फैसले भी लिए हैं। परिषद ने सेवाओं के एक्सक्लूसिव (अलग) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कर भुगतान के विकल्प का लाभ उठाने के लिए जीएसटी सीएमपी-02 फॉर्म में सूचना भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। जून तिमाही के लिए (एकमुश्त कर जमा योजना के तहत) जीएसटी सीएमपी-08 फॉर्म में स्व-आकलन के आधार पर कर संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा भी 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

ईडी अधिकारियों को चकमा दिया कमलनाथ के भांजे ने

पेज 1 का बाकी

किए जाने थे।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, पुरी ने जांच अधिकारी से शौचालय जाने के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन वापस नहीं लौटे। अधिकारियों ने तब मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। जांच एजंसी पूछताछ के लिए अब फिर से समन भेजने पर विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहन नीता और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया फर्म मोजर बेयर के सीएमडी दीपक पुरी के पुत्र रतुल हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। रतुल पुरी ने अदालत में अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले भाजपा के दो विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब ईडी उन्हें (पुरी) गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि उनके मामा राज्य के मुख्यमंत्री हैं।

पुरी ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। पुरी को राहत दिए जाने का आग्रह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल भाग नहीं रहा है। वकील ने पुरी की ओर से अदालत से कहा, 'आप (ईडी) मेरा पासपोर्ट ले सकते हैं।

मुझे जब भी बुलाया जा रहा है, मैं ईडी के समक्ष पेश हो रहा हूं। मैं 22 बार पेश हो चुका हूं और आप अचानक से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं।

मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। कल जब मैं वहां था तो मुझे पता चला कि वे मेरे घर पहुंच गए हैं और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं।'

केंद्र ने भेजे और दस हजार जवान

पेज 1 का बाकी

सुचारू संचालन के लिए तैनात अन्य बलों की 20 अन्य बटालियनों के अतिरिक्त होंगे। यात्रा 15 अगस्त को समाप्त होगी। अधिकारियों के अनुसार नई तैनातियों से राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में भी मदद मिलेगी जो किसी भी समय होने की संभावना है।

गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल गोपनीय यात्रा पर घाटी के दौरे पर बुधवार को श्रीनगर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सुरक्षा और खुफिया एजंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें की थीं। इनमें राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, डीजीपी दिलबाग सिंह, आइजी एसपी पाणि शामिल थे। कश्मीर दौरे के दौरान दिल्ली से खुफिया ब्यूरो के आला अधिकारियों की टीम भी डोभाल के साथ थी। जम्मू-कश्मीर में अभी राज्यपाल शासन है। इससे पहले 24 फरवरी को देश भर से केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को कश्मीर भेजा गया था। तब कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुरक्षा बलों का अतिरिक्त इंतजाम जरूरी है। अभी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के करीब 40 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।

पाक जैश कमांडर मुन्ना लाहौरी ढेर

पेज 1 का बाकी

था। मारा गया दूसरा आतंकवादी लाहौरी का साथी व स्थानीय आतंकवादी था। मुठभेड़ के बाद से प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।

लाहौरी जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह में लोगों की भर्ती भी करता था और आइईडी बनाने के लिए जाना जाता था। मुन्ना लाहौरी की मौत के साथ ही सुरक्षा बलों ने 17 जून के पुलवामा आइईडी विस्फोट का बदला ले लिया। मात्र 19 साल का मुन्ना बेहद खतरनाक इरादे लेकर घुसपैठ कर भारत आया था।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर जिले के बोनबाजार क्षेत्र में आतंकवादियों के मौजूद होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र का घेराव कर के तलाश अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसका बलों ने माकूल जवाब दिया और दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। मौके से हथियार और गोला बारूद सहित मुठभेड़ स्थल से कई दस्तावेज मिले हैं।

दक्षिण कश्मीर के ही पुलवामा जिले में पिछले 17 जून को 44 राष्ट्रीय राइफल्स के काफिले के पास विस्फोट में इस्तेमाल आइईडी को 19 वर्षीय इसी आतंकी कमांडर ने तैयार किया था। इस विस्फोट में सेना के दो जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।

अधिकारियों के मुताबिक, उसे पाकिस्तान में प्रशिक्षण मिला हुआ था। वह बड़े पैमाने पर हथियारों और विस्फोटकों के साथ पिछले साल कश्मीर में दाखिल हुआ था। मुन्ना और उसके साथियों ने पुलवामा-शोपियां में अपना अड्डा बनाया था। यहां मुन्ना कश्मीरी युवाओं को स्थानीय सामान के इस्तेमाल से आइईडी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। वह पुलवामा की तरह के और हमले करने की योजना बना रहा था।

माछिल में घुसपैठ नाकाम, जवान शहीद

पेज 1 का बाकी

में शनिवार को पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) से आतंकवादियों के एक समूह के घुसपैठ का प्रयास करने के बाद सतर्क सैनिकों ने उनके प्रयास को विफल कर दिया।' इस अभियान में एक सैनिक शहीद हो गया।

नई दिल्ली

हांगकांग में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे

हांगकांग, 27 जुलाई (एएफपी)।

हांगकांग पुलिस ने चीन की सीमा के समीप पिछले सप्ताह लोकतंत्र समर्थकों पर हमला करने वाले संदिग्ध ट्राइड गैंग के विरूद्ध शनिवार को रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। इससे इस प्रमुख वित्तीय केंद्र में अफरातफरी और बढ़ गई। सीमा के समीप येउन लोंग शहर में दंगारोधी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ भिड़ंत हो गई और कुछ प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे थे और उन्होंने एक पुलिस वाहन को घेर लिया।

पिछले शनिवार को लाठी-डंडों से लैस सफेट टी-शर्ट लोगों के एक गिरोह ने येउन लोंग स्टेशन पर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और वहां खड़े लोगों पर हमला किया था। तब से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है।

यह दुस्साहसी हमला पिछले सात हफ्ते से जारी अप्रत्याशित राजनीतिक हिंसा को हवा देने वाला ताजा घटनाक्रम है। इस हमले में घायल हुए 45 लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी थी। इस हिंसा में किसी कमी का संकेत नहीं है क्योंकि चीन समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

रविवार की हिंसा पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरतने को लेकर पुलिस आलोचना का शिकार हुई है। उस पर सरकार समर्थक भीड़ के साथ मिलीभगत या उसकी ओर आंख मूंद लेने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है। हांगकांग हाल के इतिहास में सबसे बुरे संकट में फंस गया है। लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं तथा जगह-जगह पुलिस और कट्टर प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं।

यह प्रदर्शन उस विवादास्पद विधेयक के साथ शुरू हुआ जिसमें चीन में प्रत्यर्पण की अनुमति होगी। इसके बाद व्यापक लोकतांत्रिक सुधारों की मांग उठने लगी। येउन लोंग हांगकांग का एक ऐसा नया ग्रामीण क्षेत्र है जहां आसपास के कई गांवों के ट्राइड के साथ संबंध हैं तथा वे चीन समर्थक सत्ता प्रतिष्ठान के समर्थक हैं।

रामफोसा ने गुप्ता बंधुओं से मुलाकात पर शपथपत्र किया सार्वजनिक

जोहानिसबर्ग, 27 जुलाई (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने एक शपथपत्र सार्वजनिक किया है जिसमें उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच कर रहे जोंडो आयोग को विवादास्पद गुप्ता बंधुओं के साथ अपनी बैठक के बारे में बताया है। रामफोसा ने कहा कि उनके मुताबिक गुप्ता बंधुओं के साथ उनकी केवल एक ऐसी मुलाकात हुई जिसे अहम माना जा सकता है। उस बैठक में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ गुप्ता बंधुओं के संबंध और जेट एअरवेज का एक विमान गुप्ता परिवार द्वारा वाटरक्लूफ वायुसेना अड्डे पर उतारे जाने के मामलों पर बात की थी।

भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा में बाढ़ से 600 लोगों की मौत

संयुक्त राष्ट्र, 27 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से करीबन 600 लोगों की मौत हो गई और 2.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम 600 लोग मानसून संबंधी घटनाओं में मारे गए हैं।

हक ने कहा कि मानवीय मदद मुहैया कराने वाले संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के अनुसार 'भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमां में मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ से 2.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें से पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए।' भारत में, तीन सबसे प्रभावित राज्यों असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना और समन्वय समर्थन प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

ढाई करोड़ लोग प्रभावित

मानवीय मदद मुहैया कराने वाले संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के अनुसार 'भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमां में मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ से 2.5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए, जिनमें से पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए।' भारत में, तीन सबसे प्रभावित राज्यों असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना और समन्वय समर्थन प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की एजंसी ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और रेलवे के कारण कई इलाकों में पहुंच अब भी संभव नहीं है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी जरूरत साफ पानी, बीमारियां फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता संबंधी चीजों की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और विस्थापन केंद्रों में बच्चों के खेलने के लिए साफ स्थान है।

भारत में असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में एक करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं, जिनमें 43 लाख बच्चे हैं। स्थिति के बिगड़ने से इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका है।

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public at large that my client Mr. Dharmendra Dandotiya is intending to purchase the Second Floor, built on property No.-64, area 52 Sq. Yds. Out of Khasra No.-122 Min, situated at Girdhari Enclave, Sahibabad, Ghaziabad, U.P., from Mrs. Soni Saxena, who is the owner of aforementioned property vide registered Sale Deed No. 6082, Vol. 13232, Book No.-1, pages 271-314, dated 10/09/2015.

The aforementioned property is free from all kind of charge, mortgage, lien, encumbrances whatsoever and my client is intending to mortgage the aforementioned property with Hero Housing Finance Ltd.

If any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 7 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma Court , Delhi-110032
Mob.9871603366

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public at large that my client Mr. Narender Singh Chauhan is the absolute owner in possession of built up property No. B-26, area 34 Sq. Yds. Rect. No. 17, Killa-15/1, B Block, South Anarkali, Khureji Khash, Shahdara, Delhi-110051, vide registered Relinquishment Deed dated 01/06/2019. Previous document relating to this property i.e. 1-Original G.P.A./ATS/WILL all dated 28/12/1993 executed by Mrs. Santosh Rani Chopra in favour of Mr. Kuldeep Narang have been misplaced somewhere in Delhi. My client has duly lodged a missing report in this regard vide LR No. 1311906/2019 with Delhi Police on 25/07/2019. The aforementioned property of my client is free from all kind of charge, mortgage, lien, encumbrances and my client is intending to mortgage his aforementioned property with Hinduja Housing Finance Ltd. "If any person found the aforementioned missing documents or any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 7 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma Court, Delhi-110032
Mob.9871603366

बजाज फायनेन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः मुंबई-पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र-411035
शाखा कार्यालयः 8वीं, 10वीं एवं 13वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाईट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली 110034

सार्वजनिक सूचना

मोहित छाबड़ा/ बिना छाबड़ा

सूचना यहाँ दी गई है कि निम्नलिखित दस्तावेजः
आवंटन पत्र दिनांक 21 अगस्त 2012
रसीद नं.-00157/1013, दिनांक 30 अक्टूबर 2013, रु.12,32,160/- (रु. बारह लाख बत्तीस हजार एक सौ साठ मात्र)
डीएलएफ द्वारा पत्र दिनांक 01 मार्च 2013 (बंधक करने की अनुमती)
डीएलएफ न्यू गुड़गांव होम डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा निष्पादित बिल्डर क्रेता समझौता दिनांक 7 सितंबर 2013.
अपार्टमेंट क्रेता समझौता पत्र दिनांक 09 जनवरी 2013 का कुरियर आवंटन.
कुरियर लेटर रिमाईंडर द्वितीय की दिनांक 09 सितंबर 2013, मांग पत्र रु. 15,67,837.63/- (रु. पन्द्रह लाख सड़सठ हजार आठ सौ सैंतीस एवं तिरेसठ पैसे मात्र)
कुरियर लेटर रिमाईडर की द्वितीय दिनांक 05 दिसंबर 2013, मांग पत्र रु. 16,58,487.56/- (रु. सौलह लाख अठावन हजार चार सौ सित्यासी एवं छप्पन पैसे मात्र)
मांग पत्र दिनांक 11 जून 2014, रु.54,03,823/- (रु. चौपन लाख तीन हजार आठ सौ तेईस मात्र)
रसीद नं. 00186/1012, दिनांक 29 अक्टूबर 2012, रु. 17,14,321/- (रु. सत्रह लाख चौदह हजार तीन सौ इक्कीस मात्र)
रसीद नं. 00068/0812, दिनांक 14 अगस्त 2012, रु. 7,75,000/- (रु. सात लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

अपार्टमेंट नं. पीएमसी092, सेक्टर-82ए गुड़गांव, दी प्राईमस-डीएलएफ गार्डन सिटी, गुड़गांव जो मोहित छाबड़ा/बिना छाबड़ा के नाम पर है, जिसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए 'सुरक्षा हित' के लिए प्रस्तुत किया गया था, उसके खो जाने/गलत होने की सूचना मिली है और इसके संबंध में डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन बिल्डर यानि डीएलएफ को किया गया है। यदि किसी को इस तरह के डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करने में आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सही/-
(अधिकृत स्वाक्षरी)

कैलिफोर्निया में गुरद्वारे के ग्रंथी से मारपीट

वाशिंगटन, 27 जुलाई (एएफपी)।

कैलिफोर्निया के एक गुरद्वारे में गुरुवार रात एक ग्रंथी पर कथित तौर पर हमला किया गया। इस घटना को घृणा अपराध के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रंथी अमरजीत सिंह ने स्थानीय समाचार पत्र 'फ्रेस्नो बी' को बताया कि एक घुसपैठिया गुरुद्वारा परिसर में बने उनके मकान में खिड़की का शीशा तोड़ कर घुस आया और उन्हें मुक्का मारा, देश वापस जाने को कहा और गालियां दीं।

सिंह 'मोडेस्टो केरेस' स्थित गुरद्वारे में ग्रंथी हैं। उन्होंने ने समाचार पत्र को बताया कि नकाबपोश हमलावर ने उनकी गर्दन पर मुक्का मारा और कहा, 'देश, देश, देश, वापस जाओ, वापस जाओ, देश।' उन्होंने बताया कि हमलावर ने उन्हें गालियां भी दीं और उसके हाथ में खिड़की तोड़ने के लिए कुछ था।

भारतीय पर नस्ली टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति को चार सप्ताह जेल की सजा

सिंगापुर, 27 जुलाई (भाषा)।

चीनी मूल के सिंगापुर के एक नागरिक को चांगी हवाईअड्डे पर कार्यरत एक भारतीय नागरिक के खिलाफ नस्ली टिप्पणी करने के मामले में चार सप्ताह कारावास की सजा सुनाई गई है और 1000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

'चैनल न्यूज एशिया' ने बताया कि इसके अलावा पिछले साल विलियम ऑ चिन चाई (47) उसके लिए लिफ्ट का दरवाजा खुला रखने वाली एक महिला के पैर पर चढ़ गया जिससे उसका पैर चोटिल हो गया। उसने एक अन्य घटना में 'सिंगटेल शॉप कॉमसेंटर' में दो लोगों पर नूडल्स भी फेंके थे।

बच्चे को चेन से बांधने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

पेशावर, 27 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान में अपनी चाय की दुकान में काम कराने के लिए नाबालिग बेटे को कथित तौर पर चेन से बांधने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नाबालिग बच्चे को चाय की दुकान में काम करते हुए दिखाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए।

बीएलबी लिमिटेड

CIN: L67120HR1981PLC051078

पंजी. कार्या.: एससीओ (दुकान सह कार्यालय) नं0. 22, स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी, एक्सटेंशन नं0. 1, नियर सेक्टर 31-32, फरीदाबाद-121003, हरियाणा
फोन नं0. 011-49325600
ईमेल आईडी: infoblb@blblimited.com, वेबसाइट: www.blblimited.com

सूचना

एतद्द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण और धनवापसी), नियमावली, 2016 की धारा 124 की उप-धारा 6 के प्रावधानों के अनुसरण में **सूचना** प्रकाशित की जा रही है (इसमें आगे "नियमावली" कही गई है)। उपरोक्त नियमावली में, अन्य विषयों के साथ, कंपनी के ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में 7 लगातार अथवा अधिक वर्षों से शेयरधारक द्वारा लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) के डीमेट खाते में अंतरित किए जाने का प्रावधान दिया गया है।

कंपनी, उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, उन संबंधित शेयरधारकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संचार की प्रक्रिया में है, जिनके शेयर उक्त नियमावली के तहत उक्त डीमेट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। शेयरधारकों से ऐसे शेयरधारकों की सूची के लिए, फोलियों नंबर या डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी के साथ-साथ गैर-नकदीकृत लाभांश के विवरण तथा आईईपीएफ अथॉरिटी के पक्ष में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों के विवरण की जाच के लिए कंपनी की वेबसाइट ("www.blblimited.com") पर "Investor Relations" सेक्शन देखने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त नोट करें कि नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, कंपनी भौतिक शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के बदले में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी, इस प्रकार मूल शेयर प्रमाणपत्र, जो शेयरधारक(कों) के नाम में पंजीकृत है, स्वतः निरस्त हो जाएगें तथा अ-परक्राम्य माने जाएंगे, तथा इसके अतिरिक्त डीमेट रूप मे शेयरों के धारक लाभार्थी शेयरधारक(कों) के मामले में, कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में उक्त शेयरों के अंतरण के लिए, कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा, उन डिपोजिटरीज को सूचना देगी, जहां शेयरधारक(कों) का खाता है।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारक(कों) से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कंपनी आईईपीएफ नियमावली के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शेयर अंतरित कर देगी और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 29 अक्टूबर, 2019 को या उससे पहले दावें प्रस्तुत करे।

आईईपीएफ को अंतरित अ-दावित लाभांश राशि के संबंध में और उसी प्रकार उपरिवर्णित नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नही होगा।

शेयरधारक नोट करें कि दावा नहीं किए गए शेयर और लाभांश, जो आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जा चुके हैं, आईईपीएफ प्राधिकरण की वहां ऊपर वर्णित नियमावली में दी गई प्रक्रिया तथा निर्धारित दस्तावेज और प्रपत्र प्रस्तुत करके वापस प्राप्त किए जा सकते है।

यदि शेयरधारक(कों) को उपरोक्त विषय-वस्तु तथा नियमावली के बारे में कुछ पूछताछ करनी है ये कंपनी के कंपनी सचिव को हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय मकान नं 4760-61, तृतीय तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 में फोनः 011-49325600 ईमेलः csblb@blblimited.com पर संपर्क कर सकते है

कृते **बीएलबी लिमिटेड**
हस्ता/-
वर्षा यादव
(कंपनी सचिव)

तिथि: 27.07.2019
स्थानः नई दिल्ली

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजी. कार्या. पताः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
9894204 एवं 10167923	श्री सुधीर गोयल (ऋणधारक) एवं श्रीमती आरती गोयल (सह-ऋणधारक)	27 फर. 2019 को रु. 49,70,330/-	22 जुलाई, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः सम्पूर्ण कॉमर्सियल अपार्टमेन्ट/शॉप यूनिट, नं. 102, न्यू ग्रेन मार्केट, तहसील लाउडा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136132, सुपर बिल्ट अप एरिया का माप 1312.5 वर्ग फीट, चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः 17 फीट रोड, दक्षिणः गली एवं फड़, पूर्वः शॉप नं. 101, पश्चिमः शॉप नं. 103

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 28.7.2019
स्थानः कुरुक्षेत्र, हरियाणा

जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि.

गृहे पोष्यम् विराजते

कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालयः नेशनल इंस्युरैन्स बिल्डिंग, छठा तल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400020, टेली.: (022) 22851765/66/67
दिल्ली क्षेत्र कार्यालयः यूजीएफ-10ए-ई, कंचनजंगा बिल्डिंग, सेक्टर-18, नोएडा, उ.प्र.-201301,
18 बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नं.: 011-23737669, 23327548, 41522024, 41522025

संदर्भः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

क्रम सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/ ऋण फाइल सं.	गिरवी रखी गई संपत्ति का पता	बकाया देयता 31.7.2019 को (राशि (रु. में)	भेजी गई मांग सूचना की तिथि	बकाया देयता (मांग सूचना के अनुसार) (राशि (रु. में)
1.	DL0110610003066 श्रीमती ईशा अरोड़ा	फ्लैट नं. 506, दूसरा तल, प्लॉट नं. 55-56, ख. नं.-506, शक्ति एन्क्लेव निकट शालीमार प्लेस ग्राम-बुराड़ी दिल्ली-110084	1,984,782	06.02.2019	2,078,681.00
2.	DL0110610004086 श्रीमती आरती करणवाल	फ्लैट नं. एसएफ-बी, दूसरा तल, प्लॉट नं.- 49 ख. नं. 503, शक्ति एन्क्लेव निकट शालीमार प्लेस ग्राम-बुराड़ी दिल्ली-110084	2,229,703	06.02.2019	2,195,546.00
3.	UP0110610003280 श्री राजन सिंह/ श्रीमती अमृता	दूसरे तल का फ्लैट, प्लॉट नं. 40, ख. नं.-1534, कृष्णा कुंज कॉलोनी, ग्राम-रईसपुर, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र.	2,158,446	11.02.2019	2,131,273.00
4.	UP0110610002598 श्रीमती महक/ श्री नरेश राजपूत	फ्लैट नं. 301, दूसरा तल, प्लॉट नं. डी-17, साई उपवन, ख. नं.-157 ग्राम-युसुफ चक्शाबेरी, जी.बी. नगर, उ.प्र.	1,377,434	11.02.2019	1,384,325.00
5.	DL0110610004633 श्री सत्यप्रकाश (द्वारा सांविधिक उत्तराधिकारियों)	फ्लैट नं. यूजीएफ-02, ऊपरी भू तल, ख. नं.-535, शक्ति एन्क्लेव, शालीमार बैंक्वेट हॉल, ग्राम बुराड़ी, दिल्ली-110084	2,797,972	11.02.2019	2,749,701.00
6.	DL0110610002970 श्री भूपेन्दर कुमार	फ्लैट नं. -एफएफ-02, प्रथम तल, (बैक साइड एलएचएस)प्लॉट नं. 17 एवं 17ए, ख. नं.-105/25, गली नं. 9, राजापुरी, सरिता कोचिंग सेन्टर के निकट, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	1,147,015	11.02.2019	1,215,469.00
7.	HR0110610002573MR नितिन कुमार/श्रीमती रेखा	दूसरे तल का फ्लैट, छत के अधिकार के साथ बैक साइड, प्लॉट नं. 126, अशोका एन्क्लेव-1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरि.	2,399,897	11.02.2019	2,486,250.00
8.	HR0110610004701 श्रीमती सरिता कुमारी/श्री विकास कुमार सिंह	भू तल का फ्लैट, प्लॉट नं. डी-126-ए, एडनबर्ग, सिटी-1, सेक्टर-91, फरीदाबाद, हरि.	3,092,625	11.02.2019	3,197,669.00
9.	UP0110610004295 श्री देवेन्द्र शर्मा	एच नं.-33, ख. नं.-167/1, शंकर विहार, फेज-II, शिव मंदिर के निकट, ग्राम-चिपियाना बुजुर्ग, बी.एस.रोड, दादरी, जी.बी. नगर, उ.प्र.	1,671,061	22.02.2019	1,728,936.00
10.	DL0111300103120 श्री प्रेम राकेश	एच.नं.-3, ख.नं. 332/1, 333/2, 334/3, कपार्ट, करतार एन्क्लेव, दौलत राम कॉलोनी, दादरी, जी.बी. नगर, उ.प्र.	620,236	22.02.2019	665,487.00
11.	DL0111300103909 श्री स्वामी प्रसाद दयानंद	फ्लैट नं. एफ-3, प्रथम तल, प्लॉट नं. 9/2/20, सेक्टर-9, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.	359,765	22.02.2019	435,602.00
12.	DL0111300105667 श्री देवेन्दर कुमार अग्रवाल	आवंटित होने वाली फ्लैट, श्री कृष्ण सीजीएचएस लि., प्लॉट नं.- 11, सेक्टर-21 डी, फरीदाबाद, हरियाणा	4,129,456	25.02.2019	4,029,592.00
13.	HR0110610002727 श्री संतोष कुमार	आवंटित होने वाली फ्लैट, जय मा सीजीएचएस, प्लॉट नं.- 23, सेक्टर- 65, फरीदाबाद, हरि.	2,270,030	25.02.2019	2,245,143.00
14.	UP0110610002962 श्री अनुज शर्मा/ श्रीमती नीतू	फ्लैट नं. यूजीएफ-1, ऊपरी भू तल, प्लॉट नं. 5/1, ख.नं. 1579, एमआई, कैलाशपुरम-II, ग्राम- रईसपुर, जिला गजियाबाद, उ.प्र.	1,697,208	11.02.2019	1,771,381.00
15.	DL0110610005718 श्री गौरव आनंद	एच.नं.- 143, ख.नं.- 87/1, वार्ड नं. 27, पीएनबी बैंक के निकट, ग्राम बरवाला, दिल्ली-110039	2,762,504	22.02.2019	2,709,620.00
16.	DL0110610003213 श्री अजय शॉ/ श्रीमती रुचि समिता	ऊपरी भू तल, का फ्लैट (बैक साइड) प्लॉट नं. डी-29/4, तथा 29, पोर्शन नं.-8, ख.नं.- 1151/1, ग्राम मेहरौली, दिल्ली-110030	2,955,317	17.09.2018	3,079,812.00
17.	DL0111300104542 श्रीमती अर्चणा कुमारी/ श्री ओमबीर सिंह	एच.नं.- 471, ब्लॉक- जी, सेक्टर-अल्फा-II, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.	289,684	11.02.2019	392,981.00
18.	UP0110610002813 श्री रविन्दर कुमार	फ्लैट नं. सी, भू तल, प्लॉट नं.- ई- 41-42, फ्रान्ट बैक आउटर साईड, ख.नं.-156 ए, साई उपवन, ग्राम- युसुफपुर, चक्साहाबेरी, जी.बी. नगर, उ.प्र.	1,016,057	08.06.2019	1,061,998.00
19.	UP0110610002843, श्री अमित शर्मा	फ्लैट नं. ए-103, 1 तल, प्लॉट नं. 69-72, आशियाना मेंशन, टावर नं. ए, ख. नं.-157ए, साई सिटी कॉलोनी, ग्राम-साहाबेरी, जी.बी. नगर, उ.प्र.	1,259,731	08.06.2019	1,304,929.00
20.	DL0110610005746, श्री बलराज शर्मा	फ्लैट नं. एसएफ-201, दूसरा तल, प्लॉट नं.-ए-1/3, ख.नं.-488/1, ग्राम-मोलरबंद, बदरपुर, दिल्ली-110044	2,212,667	08.06.2019	2,255,144.00
21.	UP0110610003698, श्रीमती श्वेता शुक्ला/श्री ईश्वर शुक्ला	फ्लैट नं. एसएफ-1, दूसरा तल, छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नं. 200, ख.नं.-1553, कैलाश पुरम-II, ग्राम रईसपुर, गाजियाबाद, उ.प्र.	1,192,625	08.06.2019	1,279,301.00
22.	HR0110610002661, श्री सती कान्त नायक/श्रीमती अब्रीति राय	फ्लैट नं.-203, प्रथम तल, प्लॉट नं.-6, ख.नं. 138, मैन दयाल बाग रोड, शिव दुर्गा बिहार, ग्राम-लक्करपुर, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरि.	2,620,202	08.06.2019	2,669,034.00
23.	UP0110610004952, श्री सतीश कुमार	फ्लैट नं. एसएफ-4, दूसरा तल, प्लॉट नं.-सी-1/36, डीएलएफ, अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.	1,639,089	07.06.2019	1,698,703.00
24.	UP0110610004598, श्री राजकुमार सिंह/श्रीमती जुगबीरी	फ्लैट नं.-156, प्रथम तल, अराधना टिवन होम्स, सेक्टर-10, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.	1,014,283	07.06.2019	1,081,845.00
25.	UP0110610001848, श्री राम किशन राणा	भू तल का फ्लैट, प्लॉट नं.-142, ब्लॉक-एफ, सेक्टर-3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.	1,409,006	08.06.2019	1,486,254.00
26.	UP0110610001192, श्री दिनेश कुमार सैनी	फ्लैट नं.-एफएफ-2, प्रथम तल, प्लॉट नं. सी-2/8, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.	701,765	08.06.2019	765,663.00
27.	UP0110610003338, दिनेश तिवारी	फ्लैट नं.-एफएफ-1, प्रथम तल, प्लॉट नं. ई-22, ख.नं.-362, वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.	959,017	07.06.2019	1,040,531.00
28.	HR0110610002277 श्री संजीव कुमार/ श्रीमती अर्चणा कुमारी	दूसरे तल का फ्लैट (लेफ्ट हैंड साईड) प्लॉट नं.-76, सूर्या नगर, सेक्टर-91, बाई पास रोड, फरीदाबाद, हरि.	1,786,422	07.06.2019	1,824,422.00
29.	DL0110610005631 श्री मोह.अली/श्रीमती रजनी गिरि	फ्लैट नं. यूजी-1, ऊपरी भू तल, महिमा अपार्टमेन्ट, ख. सं.-147, वार्ड नं. 7, शालीमार बैंक्वेट हॉल, ग्राम-बुरारी, दिल्ली-110084	1,765,373	07.06.2019	1,808,861.00
30.	DL0110610005276 श्री विनोद कुमार	प्रथम तल, का फ्लैट, ख. नं.-693/1, 694/3, सम्पूर्ण, बिना छत, के अधिकार के, गली नं. 3, कंडक्टर कॉलोनी, वार्ड नं.-7, ग्राम बुराड़ी, दिल्ली-110084	1,063,179	07.06.2019	1,109,117.00
31.	DL0110610004437 श्री मोह. शमशेर	फ्लैट नं. एसएफ-4, दूसरा तल, प्लॉट नं. 8-9, ख. नं. 480-481, गली नं.-6, शक्ति एन्क्लेव, ग्राम बुराड़ी, दिल्ली-110084	1,836,613	08.06.2019	1,878,773.00
32.	HR0110610002152 श्री रत्नेश कुमार/श्रीमती अंजली	भू तल का फ्लैट (राइट हैंड साईड) प्लॉट नं. सी-3528, ग्रीनफिल्ड कॉलोनी, सूरज कुंड, फरीदाबाद, हरि.	2,137,923	08.06.2019	2,246,644.00
33.	DL0110610004510 श्रीमती अनीता दूबे, पत्नी श्री राकेश दूबे	यूजीएफ-01 का फ्लैट, ऊपरी भू तल, प्लॉट नं. 8-9, गली नं.-6, शक्ति एन्क्लेव, ग्राम बुराड़ी, दिल्ली-110084	2,272,207	08.06.2019	2,360,071.00
34.	UP0110610004006 श्री मोह. कोसर	फ्लैट नं. एसएफ-03, दूसरा तल, ख.नं.-418 में, कृष्णा होम्स, ग्राम-महिउद्दीनपुर, ग्राम-कनवानी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.	1,829,413	08.06.2019	1,894,884.00
35.	UP0111300104911 श्री कृष्ण कंसल	फ्लैट नं. एसएफ-05, दूसरा तल, प्लॉट नं. केएच-70, कवि नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.	638,028	08.06.2019	687,553.00

1. हमारी स्वीकृति पत्र के अनुसार आप सभी को उपरोक्त संबंधित सम्पत्तियों पर आवासीय परियोजना के निर्माण/ खरीद के लिए संक्षिप्त-कालिक ऋण स्वीकृत किया गया था। उसका संबंधित पुनर्भुगतान हमारे पक्ष में इक्विटैबल मार्टगैज के निर्माण द्वारा प्रतिभूत था। उक्त संबंधित ऋण जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि. के पक्ष में आपके द्वारा निष्पादित अलग-अलग ऋण अनुबंध में निगमित नियमों एवं शर्तों के अनुसार तत्परता के साथ उक्त संक्षिप्त कालिक ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए आपकी ओर से एक्स्प्रैस कोवेनैन्ट के द्वारा स्वीकृत की गई है। आपने उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त की तथा उसका उपयोग किया, लेकिन, उक्त संक्षिप्त-कालिक ऋण/खाता में पुनर्भुगतान अनियमित हो गया है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमने कई बार आप सभी को सूचना दी तथा उक्त बकाया ऋण के विषय में आपको अवगत कराया, लेकिन, आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तथा उसका अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार आप व्यावसायिक रूप से इन्सॉल्वैन्ट्स हैं।
2. अतएव, जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत इस सेवा के अंतर्गत आप सभी को एतद्द्वारा निर्देश देता है कि भुगतान एवं/ अथवा उगाही तक शेष मूलधन बकाया पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा दंड ब्याज के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिनों के भीतर उपरोक्त कॉलम सं. 4 में वर्णित जीआईसी एचएफ लि. के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा हम उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, कृपया इसका ध्यान रखें।
3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की उप-धारा 13 के अनुसार जीआईसी एचएफएल लि. की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप में अंतरण नहीं कर सकेंगे, अन्यथा आप उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के भागी होंगे, आप कृपया यह भी जान लें।
4. यह सूचना कानून के लागू होने वाले किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी उपयुक्त समझे ऐसी अन्य कोई कार्रवाई अथवा कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जीआईसी एचएफएल के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है। इस सूचना को जारी करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 12 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधोहस्ताक्षरी जीआईसी एचएफएल के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी हैं।

आपका विश्वासभाजन,
जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि. के लिए
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 28.07.2019
स्थानः दिल्ली

'अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का फायदा उठा सकता है भारत'

कोयंबटूर, 27 जुलाई (भाषा)। कपड़ा उद्यमियों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से भारत के कपड़ा उद्योग के लिए अच्छी संभावनाओं का द्वार खुल गया है। इंडियन टेक्सप्रेन्योर फेडरेशन के संयोजक प्रभु दामोदरन ने शनिवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कपड़े का निर्यात 260 अरब डॉलर का हो गया है।

आंध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

कर्जदार की बिक्री के बारे में सूचना हेतु नोटिस (30 दिन का नोटिस)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(2)/8(6)

क्र.सं.	ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता के नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं कब्जा लेने की तिथि	निश्चित रिजर्व मूल्य	बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण
1.	किच्छा शाखा – ऋणी– ए) ऋणी – मैसर्स बालाजी कीसना स्टेट, (प्रो० श्री अरुण कुमार तिवारी) निवासी पुलभट्टा किच्छा यूएस नगर बी) सह–दायित्व: श्रीमती सन्तवना तिवारी पत्नि श्री अरुण कुमार तिवारी, एच0 नं0 303, इन्द्रा नगर, बरेली	मांग नोटिस की तिथि 04.09.2018 कब्जे की तिथि 14.12.2018	रू0 5.25 लाख	आवासीय खुली भूमि श्रीमती सतवंत तिवारी पत्नि श्री अरुण कुमार तिवारी (संपत्ति के मालिक) से संबंधित खसरा नंबर 943 मिन प्रा0 प्लॉट नंबर 27, गांव– सनेरा, दरऊ रोड, परगना रुद्रपुर तहसील–किच्छा, जिला–उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, क्षेत्रफल 115.20 वर्ग मीटर। सीमाएँ पूर्व: प्रा0 प्लॉट नंबर 21 और नाला, पश्चिम: प्रा0 प्लॉट नंबर 28, उत्तर: प्रा0 प्लॉट नं 22, दक्षिण: 20 फीट रोड
2.	मुरादाबाद शाखा: ऋणी श्री नरेश चंद्र शर्मा, पुत्र रमेश चंद्र शर्मा, सीतापुरी दास सराये निकट, डबल फाटक मुरादाबाद 244001, सह आवेदक: श्रीमती कश्मीरी देवी पत्नि नरेश चंद्र शर्मा, दुर्गेश नगर, निकट पुष्पेन्द्र की दुकान, सीतापुरी दास सराये निकट, डबल फाटक मुरादाबाद गारंटर: श्री दिनेश सिंह राघव पुत्र महेन्द्र सिंह राघव, भादरा द्रोपदी रतन, स्कूल वाली मन्दिर, के पास शहर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, उ0प्र0 244001	मांग नोटिस की तिथि 02.08.2018 कब्जे की तिथि 19.11.2018	रू0 15.43 लाख	भूमि और भवन – श्रीमती कश्मीरी देवी पत्नि नरेश कुमार शर्मा (संपत्ति के मालिक) से संबंधित, खसरा नंबर 217 में स्थित है, क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर। ए–जी +1 दक्षिण मुखी घर मोहल्ला भटुरा आटर चंगी दुर्गेश नगर निकट डबल फाटक मुरादाबाद 244001 और सीमायें– पूर्व: जगदीश प्रसाद का मकान अब मकान मालिक रोशन लाल सैनी, पश्चिम: प्रॉपर्टी राम किशोर, उत्तर:जगदीश प्रसाद की प्रॉपर्टी, दक्षिण: रास्ता 8 फीट चौड़ा मुकीर की संपत्ति की बाद
3.	मुरादाबाद शाखा: ए) ऋणी – श्री मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद मतीन, काटा बाग, असालापुरा, निकट अन्सारी पार्क, मुरादाबाद, 2) श्रीमती मुजमील जहा पत्नि मोहम्मद मतीन असालापुरा, निकट अन्सारी पार्क, काटा बाग मुरादाबाद, बी)गारंटर श्री इसरार हुसैन पुत्र अन्जर हुसैन ,असालापुरा, निकट अन्सारी पार्क, काटा बाग मुरादाबाद	मांग नोटिस की तिथि 01.09.2018 कब्जे की तिथि 19.11.2018	रू0 9.34 लाख	भूमि और भवन – आवासीय श्रीमती मुजम्मिल पत्नि स्वर्गीय मो मतीन और मो0 वसीम पुत्र स्वर्गीय मौ मतीन से संबंधित (संपत्ति का मालिक), लगा हुआ उत्तर फैंसिंग जी + 3 बिल्डींग, पुराना मकान नं 54, शगुफा रानी वाली गली, निकट अंसारी पार्क, काटा बाग, असलातपुरा, मुरादाबाद। क्षेत्रफल 35.167 वर्ग मीटर। सीमाऐं :– पूर्व : अब्दुल माजिद का मकान, पश्चिमः अब्दुल वाहिद का मकान, उत्तरः 3.28 मीटर चौडा रास्ता, दक्षिणः स्व0 बर्कतउल्ला वालो का मकान
4.	शास्त्री नगर शाखा: ए) ऋणी : श्री अदालत अली पुत्र औसाफ अली निवासी मकान नं 350, शास्त्री नगर, सेक्टर 11, मेरठ, उत्तर प्रदेश –250004 बी) सह–दायित्वः श्री मुशर्रफ अली पुत्र अदालत अली निवासी मकान नं 351/11, सेक्टर –11, शास्त्री नगर एलएलआरएम मेडीकल कॉलेज, मेरठ 250004	मांग नोटिस की तिथि 01.01.2019 कब्जे की तिथि 02.05.2019	रू0 24.00 लाख	भूमि और भवन – आवासीय प्लॉट नं के –189, लोहिया नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित श्री अदालत अली पुत्र श्री औसाफ अली (संपत्ति का मालिक) से संबंधित है । क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर। सीमाऐं :– पूर्व : 9 मीटर फिर प्लॉट नंबर के–188, पश्चिमः 9 मीटर फिर प्लॉट नं के–190, उत्तरः 6 मीटर फिर अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 6 मीटर फिर रोड 6 मिटर चौड़ा।
5.	शताब्दी नगर शाखा– ए) ऋणी श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री सतेन्द्र शर्मा मकान सं0 पी 340 ई डब्ली एस पल्लवपुरम फैस 2, मोदीपुरम, मेरठ–250110 बी) सह आवेदकः श्रीमती राज रानी पत्नि श्री सतेन्द्र शर्मा मकान सं0 पी 340 ई डब्ली एस पल्लवपुरम फैस 2, मोदीपुरम, मेरठ–250110 सी) गारंटर : श्री संदीप भल्ला पुत्र श्री ईन्द्रजीट भल्ला, दुकान सं0 27, पल्लव टॉवर, पल्लवपुरम, फेज –2, मेरठ–250110	मांग नोटिस की तिथि 05.09.2018 कब्जे की तिथि 05.01.2019	रू0 35.00 लाख	भूमि और भवन – आवासीय राहुल शर्मा (संपत्ति का मालिक) स्थित आवासीय एल आई जी प्लाट स0 एम एस 33, पल्लवपुरम, फैस 2 परगना दौराला तहसील सरधना, रूडकी रोड, मेरठ –250110 । सीमाऐं:– पूर्व : 6 मिटर रोड 4.50 मीटर चौड़ा, पश्चिमः 6 मिटर जलाट सं0एमएस 36, उत्तरः 14 मिटर प्लॉट नंबर एमएस –32, दक्षिणः प्लॉट नं एम एस –34
6.	बिजनौर शाखाः ऋणी : मैसर्स वाकर इन्डस्ट्री (पार्टनर श्री बिजेन्द्र चौधरी और श्री प्रफुल्ल कुमार राय) डी 6 औद्योगिक राज्य नगीना रोड, एनआईआर बिजली घर, बिजनौर 246701, पार्टनर –1 श्री बिजेंद्र चौधरी पुत्र मामराज सिंह 22/1 नई बस्ती बी –14, बिजनौर , यूपी –246701, पार्टनर –2 श्री प्रवर कुमार राय पुत्र नर सिंह राय, बी –14, नई बस्ती बी –14, बिजनौर , यूपी –246701, गारंटरः – श्री लोकेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद, मोदला डान्सी , बिजनौर , यूपी –246701	मांग नोटिस की तिथि 02.08.2018 कब्जे की तिथि 11.12.2018	रू0 43.50 लाख	भूमि और भवन – लीज भूमि पर कारखाना, श्री बिज्नेड़ा चौधरी और श्री पूर्ण कुमार राय (संपत्ति का मालिक), स्थित प्लॉट नंबर डी –6 औद्योगिक एस्टेट बिजनौर, ग्राम– रशीदपुर गढ़ी परगना, तहसील–बिजनौर, जिला बिजनौर । क्षेत्रफल 223.00 वर्गमीटर । सीमाऐं:– पूर्व :– औद्योगिक प्लॉट डी–7, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लाट सी –2, दक्षिणः प्लाट डी –5
7.	रुद्रपुर शाखा– ऋणी : मैसर्स मेटल आर्ट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत पताः मकान सं0 291 ए, मुखानी मानपुर पचीम, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, फैक्टरी पताः खाता नं 436,409, और 420, तुलसी द्वार के पास, शिमला पिस्टोर, रुद्रपुर, जिला– यू एस नगर, गारंटरः ए) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्रीराज कुमार पांचाल निवासी सत्यलोक कॉलोनी, गली नं0 07, वृंदावन विहार, डहरिया (मुखानी), मानपुर पशिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड–263139, बी) श्री रोहित कुमार पुत्र श्रीराज कुमार पांचाल निवासी सत्यलोक कॉलोनी, गली नं0 07, वृंदावन विहार, डहरिया (मुखानी), मानपुर पशिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड – 263139., सी) श्री राज कुमार पांचाल पुत्र श्री बाल मुकुंद, निवासी सत्यलोक कॉलोनी, गली नं0 07, वृंदावन विहार, डहरिया (मुखानी), मानपुर पशिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड – 263139	मांग नोटिस की तिथि 23.10.2018 कब्जे की तिथि 02.02.2019	संपत्ति सं0 1 रू0 25.74 लाख संपत्ति सं0 2 रू0 25.74 लाख संपत्ति सं0 3 रू0 18.00 लाख संपत्ति सं0 4 रू0 17.30 लाख संपत्ति सं0 5 रू0 59.76 लाख	1. आवासीय प्लाट श्री कृष्ण कुमार, (संपत्ति का मालिक), स्थित आवासीय प्लॉट खाता नं 725, खेत न . 504 (भाग), ग्राम मुखानी, तेहरू हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। क्षेत्रफल 114.42 वर्गमीटर (1231.16 वर्ग फीट) । सीमाऐं:– पूर्व भूमि विपिन शर्मा की, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट कृष्ण कुमार का , दक्षिणः भूमि राजीव कुमार शर्मा की। 2. श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार, (संपत्ति का मालिक) से संबंधित आवासीय प्लॉट, खाटा नं 725, खेत न. 504 (भाग), ग्राम मुखानी, तेहरू हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। क्षेत्रफल 114.42 वर्गमीटर (1231.16 वर्ग फीट) । सीमाऐं :– पूर्व : अन्य की भूमि , पश्चिमः 30 फीट रोड, उत्तरः गुप्ता जी का घर, दक्षिणः रोहित कुमार का प्लॉट। 3. श्री कृष्ण कुमार, (संपत्ति का मालिक) से संबंधित आवासीय प्लॉट, खाता संख्या 1576 में बाउंड्री वाल के साथ स्थित, खेत नंबर 1468 न्यूनतम (भाग) ग्राम मुखानी वृंदावन विहार कॉलोनी, बिरला कॉलेज रोड हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। क्षेत्रफल 83.64 वर्गमीटर (900 वर्ग फीट) । सीमाऐं:– पूर्व 19 फीट रोड, उत्तरः कृष्ण कुमार का प्लॉट, पश्चिमः सहजी की भूमि, दक्षिणः रोहित कुमार का प्लॉट। 4. आवासीय भूखंड श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राज कुमार, (संपत्ति का मालिक) से संबंधित है, जो कि खाता नंबर 1576 में बाउंड्री वॉल के साथ स्थित है, खेत नंबर 1468 मिन (भाग) ग्राम मुकेश बृंदावन विहार कॉलोनी , बिरला कॉलेज रोड हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड । क्षेत्रफल 83.64 वर्गमीटर (900 वर्ग फीट)। सीमाऐं:– पूर्व : 19 फीट रोड, उत्तरः कृष्ण कुमार का मकान, पश्चिमः साहजी की भूमि, दक्षिणः रोहित कुमार का प्लॉट। 5. श्री कृष्ण कुमार, (संपत्ति का मालिक) से संबंधित आवासीय मकान , नं 29 ए में खाता नं0 1576, खेत नंबर 1468 (भाग), ग्राम मुखानी बृंदावन विहार कॉलोनी बिरला कॉलेज रोड हल्द्वानी में ग्राउंड फ्लोर एरिया पर 200.74 वर्गमीटर (2159.96 वर्ग फीट) का निर्माण किया गया । सीमाऐं :– पूर्व :सड़क, उत्तरः 18 फीट चौड़ी रास्ता,
8.	रुद्रपुर ब्रांच– ऋणी :– मैसर्स जेबी टूल्स इंडिया, प्रोप0 श्री भीष्म कुमार पुत्र श्री फौजदार प्रसाद, ए 19 तपस्या विहार कॉलोनी गंगापुर रोड उधम सिंह नगर जिला , 2. भीष्म कुमार पुत्र श्री फौजदार प्रसाद, ए 19 तपस्या विहार कॉलोनी गंगापुर रोड उधम सिंह नगर जिला, गारंटरः– 1. श्री गिरीश चंद्र सामल, पुत्र नारायण सामल, 16 कल्याणी व्यूशाम टॉकीज रोड, रुद्रपुर उत्तरांचल –263153	मांग नोटिस की तिथि 06.06.2018 कब्जे की तिथि 19.09.2018	सम्पत्ति सं0 1 रू0 27.17 लाख सम्पत्ति सं0 2 रू0 16.13 लाख	1. आवासीय भवन स्थित मकान सं0 ए–19, खेत नंबर 6/1 मिन टेप तपस्या विहार कॉलोनी, गांव बिगबाड़ा, परगना रुद्रपुर, तहसील किच्छा जिला यूएस नगर, श्री भीष्म कुमार पुत्र श्री फौजदार प्रसाद (संपत्ति का मालिक) के नाम पर, क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर। सीमाऐं:– पूर्व : प्रा0 प्लॉट नंबर ए –20, पश्चिम : प्रा0 प्लॉट नंबर ए –18, उत्तरः प्रा0 प्लॉट नंबर ऐ 21, दक्षिणः 25 फीट रोड 2. आवासीय भूमि और भवन प्लॉट नंबर 36/3 मीन, ग्राम बिगबाड़ा, परगना रुद्रपुर, जिला यू एस नगर, श्री गिरीश चंद्र सामल और श्री भीष्म कुमार (संपत्ति का मालिक) के नाम पर । क्षेत्रफल 164.40 वर्ग मीटर |सीमाऐं:– पूर्व 16 फिट कॉलोनी का रोड, पश्चिमःप्रा0 प्लॉट नंबर 25, उत्तरः प्रा0 प्लॉट नंबर 69, दक्षिण : चाक रोड
9.	रुद्रपुर शाखा– ए) ऋणी – मैसर्स एल एम जी एंटरप्राईजेज, प्रोप0 श्री मणि भूषण कश्यप, निवासी शिमला बहादुर, नियर टीन पाणि धाम, रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर, उत्तरांचल 263153 2.श्री मणि भूषण कश्यप पुत्र अजीत कुमार निवासी जीथा एन्क्लेव फुलसुंगा गंगा पुर रोड रुद्रपुर यूएस नगर उत्तराखंड 263153. बी) सह–आवेदकः सोनाली सिंह पत्नि श्री मणि भूषण कश्यप निवासी जेथा कॉलोनी सी 11 प्लूटिनियम टॉवर तुलसींग टॉवर गंगा पुर रोड, रुद्रपुर यूएस नगर उत्तराखंड 263153 सी) गारन्ट/सह–स्वामीः श्री जसदीप सिंह पुत्र तेजेंद्र सिंह कांग निवासी वार्ड नंबर 1 डिबडिबा वार्ड नंबर 1 निकट वसुंधरा अपार्टमेंट बिलासपुर रामपुर उत्तर–प्रदेश , 2. श्री पंकज कुमार गुप्ता पुत्र मृत्युंजय प्रसाद निवासी सुमन कंप्यूटर केयर वार्ड, नंबर 18 निकट जेपीएस प्रेपरोटरी स्कूल दरिया नगर, रुद्रपुर – 263153, जिला यूएस नगर, उत्तराखंड	मांग नोटिस की तिथि 06.09.2018 कब्जे की तिथि 19.09.2018	रू0 16.00 लाख	भूमि और भवन– श्री मणि भूषण कश्यप (संपत्ति के स्वामी) से संबंधित, अर्ध शहरी भूमि खेत नं 87, प्रा0 प्लॉट नंबर 222, गॉव–कोलरा, तहसील – रुद्रपुर, जिला– उधमसिंह नगर उत्तराखंड (81.32 वर्गमीटर)सीमाऐं :– पूर्व : प्रा0 प्लॉट नंबर 211, पश्चिमः रास्ता 6.09 मीटर, उत्तरः प्राइवेट प्लॉट नंबर 223 , दक्षिणः रास्ता 7.62 मीटर
10.	देहरादून शाखा– ऋणी – मैसर्स हरसुख कन्स्ट्रक्शन सीओ (प्रोपराइटर श्री बृज कुमार) निवासी जी –16, एच –17 प्रथम तल जनपत कम्प्लेक्स विंदल ब्रिज चकराता रोड, देहरादून, , सह–ऑब्लाजेंटः श्री अरचना चौधरी पत्नि बृज कुमार निवासी नं 8/7/13 एचआईजी एमडीडीए कॉलोनी, पीओ रजपुरा, देहरादून, गारंटर – श्री अमित कुमार पुत्र करमा सिंह निवासी मकान सं0 81, कनवली रोड निकट एसबीआई	मांग नोटिस की तिथि 01.12.2018 कब्जे की तिथि 05.04.2019	रू0 39.50 लाख	भूमि और भवन–आवासीय श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नि श्री बृज कुमार (संपत्ति के मालिक) से संबंधित, स्थित खसरा नं 149 खाता नं 104 (पुराना खसरा नं0 324,325, और 326) राजपुर और कनल रोड, आनंद माई आश्रम, किशनपुर, देहरादून के पीछे उत्तर में फ्रीहोल्ड और पूर्व मुहाना । सीमाऐं:– पूर्वः रास्ता 13 फीट चौड़ा रास्ता (इंटरलॉकिंग टाइल्स लेन), पश्चिमः हरि दत्त पाडें की सम्पत्ति, उत्तरः 13 फीट रोड (सीसी लेन), दक्षिणः विक्रेता का आवासीय दो मंजली
11.	देहरादून शाखाः ऋणीः– श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नि पुरुषोत्तम सिंह थलवसाई एन्क्लेव, निकट साईं मंदिर बालावाला, देहरादून श्री पुरुषोत्तम सिंह थलवाल पुत्र स्वर्गीय ईदर सिंह साई एन्क्लेवनेर, साईं मंदिर बालावाला, देहरादून, गारंटर– श्री नाथी सिंह निवासी मकान सं0 59 उत्तरांचल एन्क्लेव– लीहारीपुर, नवाडा देहरादून	मांग नोटिस की तिथि 01.02.2019 कब्जे की तिथि 21.05.2019	रू0 38.00 लाख	भूमि और भवन – श्री परशुराम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री इंदर सिंह (संपत्ति का मालिक) से संबंधित है, जो खसरा नंबर 988 मिन नकरुंडा परगना पचवा दून जिला देहरादून में स्थित है। क्षेत्रफल 125.26 वर्ग मीटर। सीमाऐं:– पूर्वः श्रीमती सुमन ममगिन एसएम 30 फिट भूमि , पश्चिमः 25 फीट चोडी रोड एसएम 30 फीट, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रोड एसएम 45 फीट, दक्षिण : राजेंद्र प्रसाद जिडियाल एसएम 45 फीट की संपत्ति
12.	मेरठ शाखाः ऋणी ए)मैसर्स शान्ति इन्टरप्राईजेज (प्रोपराइटर के माध्यम से श्री तेजेंद्र सिंह, निवासी 72/5, तिलोक रोड, बेगम बाग, मेरठ –250004 इ) श्री तेजिंदर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, निवासी 72/5 तिलक रोड, बेगम बाग, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250004. सह–आज्ञाकारी / बंधक क) श्रीमती परमजीत कौर पत्नि तेजेंद्र सिंह, निवासी 72/5, तिलक रोड, बेगम बाग, मेरठ, उत्तर प्रदेश –250004	मांग नोटिस की तिथि 01.12.2018 कब्जे की तिथि 05.03.2019	रू0 55.80 लाख	आवासीय फ्लैट, स्थित प्लॉट नंबर–ए –42, सेकेंड फ्लोर, मोती प्रयाग कॉलोनी, गढ़ रोड, ग्राम रायसना, परगना और तहसील –मेरठ । क्षेत्रफल 177.15 वर्ग मीटर। श्रीमती परमजीत कौर से संबंधित । सीमाऐं :– पूर्व : 30फिट = 0'' अन्य की संपत्ति, पश्चिमः 30–0'' रोड 30 फीट चौड़ी, उत्तरः 75''–0' प्लॉट नंबर–ए –44, दक्षिणः 75'–0'' प्लॉट लैंड नंबर –42
13.	मेरठ शाखाः ऋणी – मैसर्स मलीक इन्टरप्राईजेज (के माध्यम सेः श्री प्रशांत कुमार, मकान संख्या– 3/63, शारदापुरी, फैस –1, सेक्टर –3, मेरठ, उत्तर प्रदेश –250001, श्री प्रशांत कुमार पुत्र मुन्ना सिंह, बी –5, पुलिस लाइंस मेरठ, उत्तर प्रदेश –250001, सह–दायित्व– श्रीमती अनीता तोमर पत्नि मुन्ना सिंह, बी –5, पुलिस लाइंस मेरठ, उत्तर प्रदेश –250001, मोर्टगॉर– श्रीमती अनीता तोमर पत्नि मुन्ना सिंह, बी –5, पुलिस लाइन्स मेरठ, उत्तर प्रदेश –250001	मांग नोटिस की तिथि 01.02.2019 कब्जे की तिथि 01.05.2019	रू0 57.00 लाख	भूमि और भवन – श्रीमती अनीता तोमर पत्नि मुन्ना सिंह (संपत्ति का मालिक) से संबंधित, आवासीय मकान नंबर –3 / 63, शारदपुरी, चरण– 1, सेक्टर –3, मेरठ, उत्तर प्रदेश मे स्थित है । क्षेत्र 162 वर्ग मीटर। सीमाऐं :– पूर्वः 9.0 मीटर मकान सं0 –3/60, पश्चिम : 9.0 मीटर रास्ता और 9.0 मीटर चौड़ा, उत्तरः 18.00 मीटर मकान सं0 –3/62 और दक्षिण 18.00 मीटर मकान नंबर –3/ 64।
14.	मेरठ शाखा– ऋणीः– मैसर्स श्री बाके बिहारी इन्टरप्राईजेज (के माध्यम सेः प्रो0 श्री कर्णेश शर्मा, 733/735, गंगोल मोड़,ईडीडीआई, मेरठ, उत्तर प्रदेश श्री कर्णेश शर्मा पुत्र हरि नंदन शर्मा, गॉव–आच्रौनदा, परगना, तहसील / जिलाः मेरठ I, सह–मुख्यय श्री मनोज कुमार राणा पुत्र श्री कालू राम राणा, मकान मो –257, मधुबन कॉलोनी, परिवहन, नगर, मेरठ,	मांग नोटिस की तिथि 01.01.2019 समाचार पत्रों मे प्रकाशित तिथि 03.02.2019 कब्जे की तिथि 01.05.2019	रू0 69.00 लाख	6 कमर्शियल शॉप, क्षेत्रफल 134.06 वर्ग मीटर फर्स्ट फ्लोर पर स्थित और एक हॉल क्षेत्रफल 150.31 वर्ग मीटर सेकंड फ्लोर पर स्थित कुल क्षेत्रफल 284.37 वर्ग मीटर में कुल 150.31 वर्ग मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि खसरा –130 एम, इंद्रप्रस्थ एस्टेट सेखरी आवास समिति लिमिटेड फेज– कमर्शियल प्लॉट पर बना है रुड़की रोड, राजस्व गॉव पिलाना, सोफीपुर मेरठ, श्री कर्णेश शर्मा पुत्र श्री हरि नंदन शर्मा (संपत्ति का मालिक) और सीमाऐं: पूर्व : 21 मीटर / प्लॉट नंबर–ए –1, पश्चिमः 21.92 / इंद्रप्रस्थ रोड रोड, उत्तर : 9.70 मीटर/ 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः 16 मीटर / गणपति एन्क्लेव।
15.	मेरठ शाखारू ऋणी :– मैसर्स डीई दिल्ली इलेक्ट्रानिक्स (प्रोप के माध्यम सेः मि संजय साहू), सी–4, शालीमार गार्डन एक्स–2, गौर प्लाजा के सामने , साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. श्री संजय साहू पुत्र श्री अनिल कुमार साहू,निवासी सी –91, एफ –3, शालीमार गार्डन, एक्सट– 2, विल– पसौंडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बंधक – श्री संजय साहू पुत्र श्री अनिल कुमार साहू, निवासी सी –91, एफ –3, शालीमार, गार्डन, एक्सट– 2, विल– पसौंडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गारंटर– श्रीमती रूचि राठौर पत्नि संजय साहू, पुत्री– ऋषि राठौर,मकान नंबर –137, गली नंबर –1, कंचन भवन के पास, महेंद्र नगर, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश –202001	मांग नोटिस की तिथि 01.02.2019 कब्जे की तिथि 02.05.2019	रू0 30.50 लाख	आवसीस फ्लैट श्री संजय साहू (संपत्ति का मालिक) के लिए संबंधित फ्लैट जीएफ –2 (एमआईजी) ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं– सी–331, शालीमार गार्डन एक्सट– 2, विलेज– पसौंदा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश । क्षेत्रफल 65.49 वर्गमीटर। सीमाऐं :– पूर्व : प्लॉट नंबर–सी –332, पश्चिमः महालक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की भूमि, उत्तरः सड़क 60 चौड़ी, दक्षिणः सेवा लेन।
16.	मेरठ शाखारू ऋणी : – मैसर्स राज इन्टरप्राईजेज (प्रोपराइटर श्री राज कुमार देननाथ वर्मा, प्लॉट नं0 281, 16 ए इंडस्ट्रियल एरिया साइट–4, ग्राउंड फ्लोर, साहिबाबाद गाजियाबाद यूपी 201010, 2. श्री राज कुमार देननाथ वर्मा पुत्र दीनानाथ वर्मा, फ्लैट–नं– 532, सेक्टर –3, वसुंधरा, आई. ई साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010, सह– दायित्वय श्रीमती गुड़िया वर्मा पत्नि श्री राज कुमार देननाथ वर्मा, सी–105, डीएल एफ कॉलोनी, ब्रह्मपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201010	मांग नोटिस की तिथि 01.01.2019 कब्जे की तिथि 02.05.2019	रू0 31.50 लाख	आवासीय फ्लैट नंबर एफएफ –1, पहली मंजिल (बिना छत के), प्लॉट नंबर 532 पर फ्लैट, सेक्टर 3, आवासीय कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी, आई ई साहिबाबाद, गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद । श्री राज कुमार दीना नाथ वर्मा पुत्र श्री दीना नाथ वर्मा (संपत्ति के मालिक),। सीमाऐं:– पूर्वः प्लॉट नंबर –531, पश्चिमः प्लॉट नं –533, उत्तरः प्लॉट नंबर –527 और दक्षिणः रोड 9 मीटर चौड़ा।
17.	मेरठ शाखाः ऋणी :– श्री विनय अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल, निवासी सी –6, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर –18 बी, शालीमार गार्डन, एक्सट– 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201005 सह–आज्ञाकारी और बंधकः श्रीमती बबिता अग्रवाल पत्नि श्री अनिल कुमार अग्रवाल, निवासी सी –6, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर–बी –18, शालीमार गार्डन एक्सट– 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201005।	मांग नोटिस की तिथि 01.11.2018 कब्जे की तिथि 07.03.2019	रू0 40.00 लाख	कमर्शियल कवर्ड स्पेस नं एस –4, शालीमार एक्स्ट –2, प्लॉट नंबर बी –18, गाँव– पसौंडा, परगना– लोनी, जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल 20.90 वर्ग मीटर। श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नि अनिल कुमार अग्रवाल (संपत्ति का मालिक) से संबंधित । सीमाऐं:– पूर्व : सेवा लेन, पश्चिमः फिर 100 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः फिर सड़क 40 चौड़ी, दक्षिणः फिर प्लॉट नंबर–बी –17

जबकि आपने मेरे/बैंक द्वारा धारा 13(2) के तहत उपरिवर्णित दिनांक की माँग सूचना के माध्यम से मांग किए जाने के बावजूद आप की तरफ बकाया राशि का भुगतान करने में चूक की है। उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरिवर्णित सम्पत्तियों का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त किया जा चुका है। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किए जाने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव निम्नवर्णित सम्पत्ति को इस सूचना की तिथि से 30 दिन के बाद ई-निलामी द्वारा बेचा जाना आवश्यक हो गया है।

नीलामी की तिथि और समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा जो अलग से जारी की जाएगी और सम्पत्ति उच्चतम बोली प्रदाता को बेची जाएगी। चूंकि यह सम्पत्ति प्राइवेट बिक्री द्वारा भी अथवा जनता से कोटेशन आमंत्रित करने द्वारा भी, हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन बेची जा सकती है। यदि आपके पास प्राइवेट बिक्री या जनता से कोटेशन आमंत्रित करने द्वारा सम्पत्ति बेचने का कोई प्रस्ताव है, उसकी सूचना मुझको इस पत्र/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर दी जा सकती है।

ऐसा करने में असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा मैं ऊपर वर्णित अनुसार निविदा आमंत्रण/सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा सम्पत्ति/मशीनरी की बिक्री की कार्यवाही आरम्भ कर दूंगा। इसके अतिरिक्त कृपया सूचित हो कि यदि आप मांग सूचना में विनिर्दिष्ट देय राशि का भुगतान उस पर अनुवर्ती ब्याज तथा बैंक द्वारा वहन की गई लागत एवं खर्चों सहित उपरोक्तानुसार बिक्री की तिथि को अथवा उससे पहले कर देते है, तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। (अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार विमोचन का अधिकार प्राप्त है)

दिनांकः 27.07.2019 — मुख्य प्रबन्धक/प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए भारत की अपनी सुनियोजित नीति : अमिताभ कांत

अहमदाबाद, 27 जुलाई (भाषा)।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और बैटरी समेत इसके कलपुर्जों के लिए एक सुनियोजित योजना लागू कर रखी है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों को अपनाने से शहर स्वच्छ होंगे, आयात कम होगा और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा।

अमिताभ कांत ने कहा कि देश के बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के विनिर्माण के लिए भारी अवसर हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों) को जितनी तेजी से अपना लिया जाए, प्रदूषण और भीड़भाड़ कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना व रोजगार सृजन में उतनी ही अधिक मदद मिलेगी। कांत ने यहां यातायात की स्वस्थ सुविधाओं के विषय पर यहां आयोजित एक संगोष्ठी को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन, खासकर दुपहिया और तिपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों और बैटरी का भारत में निर्माण प्रोत्साहित करने की सुनियोजित योजना है। हमारा लक्ष्य है कि हमें पहले प्रयास करना चाहिए कि दुपहिया, तिपहिया वाहनों और बसों के 80 फीसद कलपुर्जे भारत में ही बनें और बैटरी के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा अभी देश में बिजली से चलने वाले दुपहिया, तिपहिया और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कांत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का चालन बढ़ने से प्रदूषण कम होने के साथ पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत में अभी प्रति 1000 आबादी पर 20 वाहन हैं। ऐसे में भारत के लिए पेट्रोलियम ईंधन पर आधारित परंपरागत वाहनों को पीछे छोड़ कर इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेज छलांग लगाने के भारी अवसर हैं। कांत ने कहा कि सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी और सिलिकान आधारित बैटरी की नई तकनीक पर काम चल रहा है। भारत को बैटरी के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्य में तेजी से जुड़ने और बैटरी विनिर्माण बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत है।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्य सचिव जेएन सिंह ने पत्रकारों से अलग से बातचीत में कहा कि उनका राज्य इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में देश को दिशा दिखाने को तैयार है। इसके लिए धोलेरा को एक महत्त्वपूर्ण कस्बे के रूप में उभर रहा है। एक बड़ी कंपनी यहां बैटरी का एक बड़ा कारखाना लगाने की घोषणा करने वाली है। उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरी कारखाने की स्थापना के बारे में टाटा केमिकल्स के साथ बातचीत पूरी होने वाली है। ऐसे वाहनों की 40 फीसद लागत अकेले बैटरी पर आती है।

सरस — अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.अलवर
ALWAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. ALWAR (RAJ.)
ISO 9001:2008 & HACCP CERTIFIED ORGANIZATION

क्रमांक - अ.डे. / विपणन / टी.पी.टी / 2019 / 34103-08 — दि. 26.07.2019

ई–निविदा सूचना

गुड़गांव रूट (गुड़गांव, सोहना, मानेसर, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली क्षेत्र) पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ आपूर्ति ट्रांसपोर्टेशन के कार्य हेतु इच्छुक पार्टियों से एक वर्ष के लिए ई- निविदा http://eproc.rajasthan.gov.in, वेबसाईट पर एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें / अमानत राशि / महत्वपूर्ण दिनांक इत्यादी संघ की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in (UBN -CDF1920SLRC00530) पर दिनांक 30.07.2019 से देखी जा सकती है।

प्रबन्ध संचालक

UPSIDA — कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
निर्माण खण्ड-पंचम, ई.पी.आई.पी., शास्त्रीपुरम, आगरा

ई–निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जनपद आगरा के औद्योगिक क्षेत्र ई.पी.आई.पी. प्रशासनिक काम्प्लेक्स का रिपेयरिंग/मरम्मत कार्य लागत रू0 15.00 लाख, जिसके लिए सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं निकायों में 'सी' एवं उच्चतम श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 29.07.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 27.08.2019 को सायं 5:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, जिन्हें दिनांक 28.08.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे खोला जायेगा। निविदा दाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मूल प्रतियां दिनांक 27.08.2019 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट **www.upsidc.com** पर स्थित ई–लिंक एवं यूपीएलसी की **website : https://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
निर्माण खण्ड-पंचम, आगरा

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परियोजना) नरेला का कार्यालय
जोनल कार्यालय भवन, नरेला, दिल्ली-110040

एन.आई.टी.सं. ईई(पीआर.)/नरेला/टीसी/2019-20/07 दिनांक: 26.07.2019

निविदा दस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने की प्रारंभ तारीख : 29.07.2019 अपराह्न 5:00 बजे
निविदा दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख : 10.08.2019 अपराह्न 2:00 बजे तक
वित्तीय बोली खोलना : 13.08.2019 अपराह्न 12:15 बजे तक

कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (परियोजना) नरेला द्वारा अनुमोदित एवं पात्र संविदाकारों से सीलबंद प्रतिशत/मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दरें मान्य रहने की अवधि 5 महीने है।

क्र.सं.:1 कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 39एन में मुंडका गाँव में गणपति धर्म कांटा से बरसाती नाले तक बी/डब्ल्यू उपलब्ध करवाकर नाले का सुधार और विकास लेखा शीर्ष:-**XL-VIII-S**, **अनुमानित लागत (रू):** 9988400/-, **निविदा राशि (रू):** 9237426/-, **धरोहर राशि (रू) :** 184748/-, **निविदा लागत:** रू 1000/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 4 महीने।

क्र.सं.:2 कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 35एन में माजरी गाँव में भुरा ऑटो सेंटर से मास्टर भगत सिंह हाउस और ओंकार हाउस से राजेन्द्र हाऊस तक आर.एम.सी. उपलब्ध करवाकर सड़क का सुधार और विकास लेखा शीर्ष:-**XL-VIII-S**, **अनुमानित लागत (रू):** 5028400/-, **निविदा राशि (रू):** 4650371/-, **धरोहर राशि (रू):** 930007/-, **निविदा लागत:** रू 500/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 4 महीने।

क्र.सं.:3 कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 32एन में पॉकेट 24 सेक्टर 24 में चार दीवारी का विकास तथा आर.एम.सी. उपलब्ध करवाकर बची हुई गलियों का सुधार और विकास लेखा शीर्ष:-**XL-VIII-S**, **अनुमानित लागत (रू):** 9137800/-, **निविदा राशि (रू):** 8450762/-, **धरोहर राशि (रू):** 169015/-, **निविदा लागत:** रू 1000/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 4 महीने।

विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को वेबसाइट http://www.tenderwizard.com पर देखा जा सकता है। निविदा दस्तावेज दि.न.नि. के अनुमोदित/पात्र संविदाकरों द्वारा बोली लगाने हेतु वेबसाइट http://www.tenderwizard.com पर उपलब्ध है।

-हस्ता-
R.O. No. 44/North/DPI/2019-20 — अधिशासी अभियंता (परियोजना) नरेला

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता नरेला (एम-I) का कार्यालय
जोनल कार्यालय भवन, नरेला, दिल्ली-110040

सं.: ईई/एम-I/नरेला/2019-2020/4 दिनांक: 26.07.2019

निविदा दस्तावेज बिक्री/डाउनलोड करने की प्रारंभ तारीख : 26.07.2019 अपराह्न 17.30 बजे
निविदा दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख : 14.08.2019 अपराह्न 12.00 बजे तक
वित्तीय बोली खोलना : 19.08.2019 अपराह्न 12.15 बजे तक

ऑनलाइन निविदा देने की समय-सारणी के लिए कृपया वेबसाइट http://mcdetenders.com देखें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा सदृश क्षेत्र में अनुभव वाले पात्र पंजीकृत संविदाकारों से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु सीलबंद प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिन्हें समय-सारणी के अनुसार प्राप्त किया जाएगा तथा अधिशासी अभियंता (एम-I) का कार्यालय/नरेला जोनल भवन, नरेला जोन, दिल्ली-110040 के कार्यालय में दि.न.नि.-ई-निविदा द्वारा वेबसाइट http://mcdetenders.com पर 19.08.2019 को अपराह्न 12.15 बजे खोला जाएगा। पात्र संविदाकारों को अपनी दरें उद्धृत करनी होंगी बशर्ते ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अपनी निविदा को जमा करते समय न तो उन्हें काली सूची में डाला गया हो और न ही इससे विवर्जित किया गया हो।

क्र.सं.: 1, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.1, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 1एन में नरेला में खत्री मेडिकल स्टोर से मेन आर्य समाज रोड और डेयरी तक आर.सी.सी. बॉक्स टाइप नाली उपलब्ध करवाकर नाली का सुधार। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-S, **निविदा राशि:** 5418778/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 108375/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

क्र.सं.: 2, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.2, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 5एन में गाँव बांकनेर में मुनिरपुर रोड से बलबीर हाउस और रामफल हाउस से चौपाल तक सीसी पेवमेंट उपलब्ध करवाकर गली का सुधार और नाली को ऊंचा करना। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-ZF-I, **निविदा राशि:** 5594813/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 111896/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

क्र.सं.: 3, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.3, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 1एन (नरेला) में गाँव मामूरपुर में सीसी पेवमेंट उपलब्ध करवाकर गलियों और नाली का सुधार। उपशीर्ष: मदनलान से सर्वोदय विद्यालय, सतबीर से केहर सिंह और सुरजभान हाउस तक, त्रिलोक से दिनेश हाउस तक। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-ZF-I, **निविदा राशि:** 9057865/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 181157/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

क्र.सं.: 4, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.4, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 5 (बांकनेर) में गाँव लामपुर में सीसी पेवमेंट उपलब्ध करवाकर गलियों का सुधार। उपशीर्ष: अशोक से सुरेन्दर हाउस, विजयपाल से महाबीर हाउस, होशियार सिंह से रमेश हाउस, राज सिंह से कपिल हाउस, पुरण से होशियार हाउस, राजे से निर्मल हाउस, देशराज से महावीर हाउस और चौक तक गली। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-ZF-I, **निविदा राशि:** 6053634/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 121072/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

क्र.सं.: 5, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.5, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 5 (बांकनेर) में गाँव घोगा में सीसी पेवमेंट उपलब्ध करवाकर गलियों का सुधार। उपशीर्ष: दीवान से हरिजन चौपाल और साइड लेन, प्रेम हाउस से फिरनी, हरिओम से राजेश हाउस, बलवान हाउस से फिरनी, राजू प्लॉट से फिरनी और सतबीर से दयानंद हाउस, सतबीर से तुहिया हाउस, मांगे हाउस से मिल, रमेश से ब्रह्म हाउस, पवन से मांगे राम हाउस और ईश्वर से महेन्द्र हाउस तक गली तथा देवी राम से राम कुमार हाउस तक नाली की मरम्मत। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-ZF-I, **निविदा राशि:** 6706735/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 134134/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

क्र.सं.: 6, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.6, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 5 (बांकनेर) में गाँव लामपुर में सूरजमल से मेन लामपुर रोड तक सीसी पेवमेंट उपलब्ध करवाकर गली तथा आर.सी.सी. बॉक्स टाइप नाली उपलब्ध करवाकर आर.सी.सी. नाली का सुधार। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-ZF-I, **निविदा राशि:** 6160219/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 123200/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

क्र.सं.: 7, ईई/एम-I/नरेला/टीसी/ 2019-2020/4.7, कार्य का नाम: नरेला जोन में वार्ड सं. 5 (बांकनेर) में गाँव बांकनेर में दादा मल वाला मंदिर से मेन लामपुर रोड तक सीसी पेवमेंट उपलब्ध करवाकर गली का सुधार तथा नाली को ऊंचा करना। **लेखा शीर्ष:** XL-VIII-ZF-I, **निविदा राशि:** 2669784/-, **धरोहर राशि (रुपये में):** 53395/-, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 6 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 5 महीने, **निविदा लागत:** 1000/-

बोली दस्तावेजों को वेबसाइट http://mcdetenders.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

- हस्ता. -
R.O. No. 45/North/DPI/2019-20 — अधिशासी अभियंता (एम-I), नरेला जोन

वाहन विनिर्माताओं ने किया जीएसटी में कमी का स्वागत

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

वाहन उद्योग जगत ने बैटरी से चलने वाले वाहनों पर माल व सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर पांच फीसद किए जाने का स्वागत किया है। उद्योग जगत ने कहा कि यह देश में ऐसी पारिस्थितिकी तैयार करने में मदद करेगा जो आवागमन के पर्यावरण अनुकूल साधनों को अधिक तेजी से अपनाए जाने को प्रोत्साहित करेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं, विशेषकर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने इसे सरकार का एक और साहसिक कदम बताते हुए सरकार से स्पेयर बैटरी पर भी जीएसटी 18 फीसद से नीचे लाने की मांग की है। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस किम ने हा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद और चार्जरों पर 18 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने के फैसले का स्वागत करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मदद के लिए भारत सरकार का एक और कड़ा कदम। जीएसटी दरें कम होते जाने से तीन वाट और चार वाट के लिए वित्तीय वहनीयता सकारात्मक हो गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी आफ मैन्युफैक्चरर्स आफ इलेक्ट्रिक वीकल्स (एसएमईवी)' ने भी इसकी सराहना की। एसएमईवी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि जीएसटी कम होने से बैटरी और पेट्रोलियम ईंधन से चलने वाले वाहनों के दामों में अंतर घटेगा और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाएंगे। जीएसटी में यह कमी सरकार की ओर से इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। इससे विद्युत चालित और पिस्टन सिलेंडर वाले पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों के बीच का अंतर कम होगा। उन्होंने कहा कि स्पेयर बैटरी पर भी शुल्क घटाया जाना चाहिए जो इस समय 18 फीसद है।

लोहिया आटो इंडस्ट्रीज के सीईओ आयुष लोहिया ने कहा कि कर में कमी की मांग लंबे समय से थी। इसके पूरा होने से इसके निर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। आडी इंडिया के प्रमुख राहिल अंसारी ने कहा कि इस फैसले से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूरे वाहन उद्योग की मदद के उपाय भी करने की जरूरत है। एथर एनर्जी के सीईओ और सहसंस्थापक तरुण मेहता ने कहा कि जीएसटी कम होने से हर इलेक्ट्रिक वाहन की लागत में कमी आएगी।

किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होने में सरकार को संदेह

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने इस बात में संदेह जताया है कि मौजूदा चार फीसद कृषि विकास दर पर 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शुक्रवार को राज्यसभा में किसानों की आय दोगुना करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा– मैं इस बात से सहमत हूं कि इसी विकास दर के साथ किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हम भी इस बात को नहीं मानते हैं।

सपा के रामगोपाल यादव ने पूरक सवाल में पूछा था कि कृषि में शामिल मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन, वानिकी और खेती पर आधारित मौजूदा करीब चार फीसद कृषि विकास दर पर क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? जवाब में रूपाला ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कृषि कार्य में पशुपालन, मधुमक्खी व मत्स्य पालन, बागवानी, वानिकीकरण आदि कार्यों को शामिल करते हुए इसमें किसान सम्मान योजना सहित अन्य कृषि कल्याण योजनाओं के सामूहिक लाभ से किसानों की आय दोगुनी करने की कार्ययोजना लागू की है। इसके बिना मौजूदा कृषि विकास दर पर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वह ऐसा नहीं मानते हैं।

पीएनबी मुनाफे में लौटा, 1,019 करोड़ का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

फंसे कर्ज के लिए प्रावधान में कमी और परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधरने के कारण पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) मुनाफा कमाने की राह पर लौटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 1,018.63 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ा धोखाधड़ी मामला सामने आने के बाद से बैंक पर पिछले डेढ़ साल से दबाव बना हुआ था।

बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2019) में बैंक ने 1,019 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक को 940 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2019) में बैंक को 4,749.64 करोड़ रुपए का बड़ा घाटा हुआ था। इसी तरह 2018-19 में बैंक को कुल 9,975.49 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुरा समय पीछे छूट गया है। आने वाली तिमाहियों में हम और बेहतर करेंगे। हमने कई बदलावों को अमल में लाया है। बैंक ने अपनी प्रणाली और प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर बहुत काम किया है। इससे हमारे कारोबारी परिणामों और हमारी परिसंपत्ति गुणवत्ता में स्थिरता आई है। मेहता ने कहा कि हमने केंद्रीयकृत ऋण प्रक्रिया, दबाव वाली परिसंपत्तियों का कुशल प्रबंधन और बेहतर निगरानी प्रणाली जैसे प्रयास किए हैं।

आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी कुल आय पिछले वित्त वर्ष के 15,072.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,161.74 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। आलोच्य अवधि के दौरान बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बैंक की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) इस दौरान 10.58 फीसद से कम होकर 7.17 फीसद पर आ गई। बैंक का सकल एनपीए भी 18.26 फीसद से कम होकर 16.49 फीसद रह गया।

इस प्रकार मूल्य के आधार पर बैंक का शुद्ध एनपीए घटकर 30,179.66 करोड़ रुपए रह गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 43,872.47 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार सकल एनपीए गिरकर 77,267.29 करोड़ रुपए रह गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 82,888.79 करोड़ रुपए था। फंसे कर्ज के लिए बैंक का प्रावधान समीक्षावधि में घटकर 2,147.13 करोड़ रुपए रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 4,981.99 करोड़ रुपए रखा गया था।

हवाई जहाज की तर्ज पर अब ट्रेनों में भी ब्लैक बॉक्स

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

हवाई जहाज की तरह अब रेल हादसा होने की स्थिति में हादसे के असल कारणों की सटीक जानकारी सरकार को मिल पाएगी। इन जानकारियों की मदद से सरकार दुर्घटनाओं को कम करने के लिए तैयारी करेगी। इसके लिए सरकार ने देशभर की ट्रेनों में लोको कैब ऑडियो वीडियो रिकार्डिंग सिस्टम (एलसीवीएआर) लगाने की शुरुआत कर दी है।

रेल मंत्रालय के मुताबिक अबतक 32 ट्रेनों में यह तकनीक लगाई जा चुकी है। इनमें 25 डीजल और 7 इलेक्ट्रिक ट्रेनें शामिल हैं। जल्द ही इन्हें 470 लोकोमोटिव ट्रेनों में लगाया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक एलसीवीएआर हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स जैसा है। अब तक मंत्रालय के पास ऐसा कोई एडवांस सिस्टम नहीं था।

सूत्रों के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 11 हजार सेल्सियस के तापमान को एक घंटे तक सहन कर सकता है। जबकि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक सहन कर सकता है। देश में 1953-54 में हवाई हादसों की संख्या बढ़ने के बाद इस व्यवस्था को हवाई जहाजों में लागू किया गया था।

- रेल हादसे की स्थिति में चल सकेगा असल कारणों का पता
- अब तक 25 डीजल और 7 यात्री ट्रेनों में लगाया गया
- देश भर की 480 ट्रेनों में लगाने की तैयारी कर रहा है मंत्रालय

इसकी मदद से किसी भी प्रकार का हादसा होने की स्थिति में सभी जानकारियां रिकॉर्ड हो जाती है। विमान में प्रयोग होने वाले ब्लैक बॉक्स में विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल और केबिन के तापमान समेत 88 चीजों की जानकारी रहती है। इसमें करीब 25 घंटे तक की रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

क्या होता है ब्लैक बॉक्स

ब्लैक बॉक्स' विमानों में उड़ान के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम करता है। इस उपकरण को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। आमतौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है।

यह बॉक्स टाइटेनियम से बना होता है और टाइटेनियम के बॉक्स में ही बंद रहता है। ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री में गिरने की स्थिति में भी इसको कम से कम नुकसान होता है।

कैसे काम करता है ब्लैक बॉक्स

जिस जगह पर दुर्घटना होती है उस जगह यह बॉक्स प्रत्येक सेकेंड एक बीप की आवाज करता है। यह आवाज लगातार 30 दिन तक होती है। इस आवाज की मदद से खोजी दस्ता आसानी से इस बॉक्स की तलाश कर पाता है। जानकार बताते हैं कि अगर यह समुद्र में 14 हजार फीट गहरे तक भी चला जाता है तो वहां से संकेत भेजता रहता है।

चार अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप अमेरिका से लाई गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने शनिवार को भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में से पहले चार हेलिकॉप्टर सौंप दिए। चार और हेलिकॉप्टरों की अगली खेप की आपूर्ति अगले हफ्ते की जाएगी।

एएच- 64ई अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप की आपूर्ति हिंडन एअरबेस पर की गई। हेलिकॉप्टरों की यह आपूर्ति इन हेलिकॉप्टरों के लिए करोड़ों डालर का सौदे होने के लगभग चार साल बाद की गई है। बोइंग कंपनी ने कहा कि अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप भारत पहुंच गई है और अतिरिक्त चार हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना को अगले सप्ताह की जाएगी।

कंपनी ने कहा, 'उसके बाद आठ हेलिकॉप्टर पठानकोट वायुसेना स्टेशन जाएंगे, जिससे कि उन्हें सितंबर में वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके।' एएच- 64ई अपाचे विश्व के सबसे उन्नत बहुद्देश्यीय लड़ाकू हेलिकॉप्टरों में से एक हैं, जिसे अमेरिकी सेना उड़ाती है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ 22 अपाचे हेलिकॉप्टरों के लिए करोड़ों डॉलर के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय ने बोइंग से 2017 में 4168 करोड़ रुपए कीमत पर सेना के लिए हथियारों के साथ छह अपाचे हेलीकाप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। यह सेना का लड़ाकू हेलिकॉप्टरों का पहला बेड़ा होगा। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अपाचे बेड़े के जुड़ने से बल की लड़ाकू क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। हेलिकॉप्टर में वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं।

यूपी पुलिस का हथियार लहराते वीडियो वायरल

बस्ती (उप्र), 27 जुलाई (भाषा)

उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने अपराध शाखा की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बस्ती के क्राइम ब्रांच प्रभारी विक्रम सिंह और उनकी टीम आंखों पर काला चश्मा लगाए ऑटोमेटिक हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना भी बज रहा है।

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L74899DL1992PLC050333
Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 Website: www.unominda.com
E-mail: investor@mindagroup.com
Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95
UNO MINDA NK MINDA GROUP

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट www.unominda.com तथा साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
के बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
तरुण कुमार श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

स्थानः दिल्ली
तिथिः 27 जुलाई, 2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

प्रकाशन सूचना
टी. ए. सं0. 01 वर्ष 2019 में
(पुराना ओ. ए. सं0 558/2016 डीआरटी, लखनऊ)

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावलीए 1993, समय-समय पर संशोधितानुसार की नियमावली के उप-नियम (2ए) धारा 5 के साथ पठित ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन)

डायरी संख्या 106 दिनांक : 24/07/2019

केनरा बैंक बनाम मैसर्स कुबेर ब्रश एन्टरप्राईजेज

1. मेसर्स कुबेर ब्रश एंटरप्राइजेज, अपने प्रोपराइटर के माध्यम से नीरू रानी, निवासी गांव मिर्जापुर, शेरकोट, जिला- बिजनौर -246747
2. नीरू रानी पत्नी गौरव कुमार, निवासी गांव मिर्जापुर, शेरकोट, जिला- बिजनौर -246747

सूचित हो कि आवेदक बैंक द्वारा आपके विरूद्ध ऋण वसूली न्यायाधिकरण ,लखनऊ मे ऋण वसूली हेतु **ओ.ए. सं0 558/2016, रू 11,63,466/-** के लिए दायर की गई जो लम्बित थी। जिसे राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी 2017 एस.ओ. 454 (ई) दिनांक 15.02.2017, एस.ओ. 784 (ई) दिनांक 23.02.2018 और शुद्धिपत्र राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 816 (ई) दिनांक 27.02.2018 के अनुपालन मे नई ऋण वसूली न्यायाधिकरण ,देहरादून मे स्थानांतरित किया गया था। उपर्युक्त संदर्भित मामले को **टी.ए. सं 01/2019** के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया था तथा दिनांक **24.07.2019** के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था ।

यह कि, न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण प्रक्रिया द्वारा सूचना देना संभव नहीं है, अतः इस प्रकाशन द्वारा आपको दिनांक 07.09.2019 को प्रातः 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

सूचित हो कि विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर उपस्थित होने में आपकी चूक की स्थिति में बाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **24 जुलाई 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

कांवड़ियों के लिए मुसलिम समाज के लोग बनाते हैं कावड़

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 27 जुलाई।

हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में 50 से ज्यादा मुसलिम परिवार देश के विभिन्न राज्यों से हरिद्वार में सावन माह में चल रहे कांवड़ मेले में आ रहे हिंदू कांवड़ियों के लिए कावड़ बनाने के काम में रात-दिन लगे हुए हैं। इन मुसलिम परिवारों की महिलाएं, लड़कियां और लड़के सभी रात-दिन कांवड़ बनाने के काम में जुटे हुए हैं।

मुसलिम परिवारों का कहना है कि जहां उन्हें कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाने से रोजगार मिलता है, वहीं इससे हिंदू-मुसलिम एकता और ज्यादा मजबूत होती है। हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर में गंगा नहर के किनारे मुसलिम परिवार रात-दिन कांवड़ बना कर बेचते हैं। वहीं दूसरी ओर मुसलिम समाज के लोगों का कहना है कि हम लोग जहां कांवड़ बनाने का काम करते हैं, वहीं हर साल ज्वालापुर के उपनगर में कावड़ियों का स्वागत करते हैं और कांवड़ियों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं और आज भी ज्वालापुर में मुसलिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों के लिए कांवड़ सेवा शिविर लगाया और कांवड़ियों को पानी, जूस और फल बांटे।

समाजसेवी नईम कुरैशी का कहना है कि आजकल कांवड़ मेले के दौरान तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर गंगा की पावन धारा के साथ-साथ हिंदू-मुसलिम एकता की धारा भी बह रही है। राजनीतिक चर्चाओं से कोसों दूर मुसलिम समाज के लोग जहां कावड़ियों के लिए कावड़ बनाने का काम कर रहे हैं और मुसलिम परिवारों के बच्चे-बूढ़े सभी कांवड़ बनाने के काम में लगे हुए हैं। कांवड़ सेवा शिविर के संयोजक सुहैल अख्तर का कहना है कि मुसलिम समुदाय के गणमान्य लोगों ने लाल मंदिर के सामने कांवड़ सेवा शिविर लगाया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलिम समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की। सभी मुसलिमों ने कांवड़ियों को पीने के पानी की बोतलें, जूस के पैकेट और फल वितरित किए।

ESCORTS FINANCE LIMITED
Regd. Office : SCO 64-65, Third Floor, Sector-17A, Chandigarh-160017
CIN : L65910CH1987PLC033652, Website: www.escortsfinance.com;
Email: escortsfinance@escorts.co.in; Phone: 0129-2564116
MC2

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

Rs. in Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30/06/2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30/06/2018 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	-	1.89	4.71
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	12.64	(6.05)	6.80
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	12.64	(6.05)	6.80
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	12.64	(6.05)	6.80
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	10.31	(6.05)	(32.18)
6	Equity Share Capital Paid-up Equity Share Captial (Face value of Rs.10/- each)	4,017.25	4,017.25	4,017.25
7	Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year			(21,867.34)
8	Earnings per share (of Rs.10/- each) for the period (not annualised):	0.0315	(.0151)	0.0169

Notes:

1 The above Standalone Financial were reviewed by the Audit committee and approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 26 July 2019.
2 The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.
3 M/s Escorts Benefit Trust (EBT) in terms of the directions of Hon'ble Delhi High Court to repay the unpaid fixed deposit liability, maintains adequate funds to repay the matured unpaid fixed deposit liability During the quarter ended on 30 June 2019, EBT has settled the claims to the extent of Rs.8.20 lacs by repayment to respective fixed deposit holders. The remaining liability towards unclaimed fixed deposits and interest thereon is Rs. 1076.80 lacs as on 30 June 2019 (Rs.1085.00 lacs as on 31 March 2019).
4 Response to auditor's qualifications on the financial results for the quarter ended 30 June 2019:
(a) Remaining liabilities towards unclaimed matured fixed deposit and interest thereon is Rs.1076.80 lacs as on 30 June 2019 and the same is pending for deposit in Investor Education & Protection Fund. Complete facts have been disclosed in Note 3 above which is self explanatory and does not call for any further comments.
5 The figures for the previous period have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.
6 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and on the Company's website www.escortsfinance.com

By Order of the Board
For **Escorts Finance Limited**
Sd/-
Rajeev Khanna
Whole Time Director
DIN 08471497

Place: Faridabad
Date: 26 July, 2019

बजाज फायनेन्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः मुंबई-पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र-411035
शाखा कार्यालयः 8वीं, 10वीं एवं 13वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाईट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली 110034

सार्वजनिक सूचना

रोहित छाबड़ा/ अमिता छाबड़ा

सूचना यहाँ दी गई है कि निम्नलिखित दस्तावेज :
आवंटन पत्र दिनांक 21 अगस्त 2012
कुरियर पत्र दिनांक 19 जून 2013
डीएलएफ द्वारा पत्र दिनांक 01 मार्च 2013 (बंधक करने की अनुमती)
डीएलएफ न्यु गुडगाँव होम्स प्रा.लि. द्वारा मंजिल क्रेता बिल्डर समझौता दिनांक 19 जून 2013
रसीद क्र.-00158/1013, दिनांक 30 अक्टूबर 2013 को रु. 12,77,698 (रुपये बारह लाख सतत्तर हजार छः सौ अट्ठानवे मात्र)
कुरियर लेटर रिमाईंडर द्वितीय की दिनांक 09 सितंबर-2013 को मांग पत्र रु. 19,07,068.29 (रुपये उन्नीस लाख सात हजार अड़सठ एवं उनतीस पैसे मात्र)
कुरियर लेटर रिमाईंडर द्वितीय की दिनांक 05 दिसंबर-2013 को मांग पत्र रु. 20,12,278.10 (रुपये बीस लाख बारह हजार दो सौ अट्ठहत्तर एवं दस पैसे मात्र)
मांग पत्र की दिनांक 11 जून 2014 को रुपये 59,37,973 (रुपये उनसाठ लाख सैंतीस हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)
रसीद क्र. - 00186/1012, दिनांक 29 अक्टूबर 2012 को रु. 18,05,393 (रुपये अठारह लाख पाँच हजार तीन सौ तेरानवे मात्र)
रसीद क्र. - 00067/0812, दिनांक 14 अगस्त 2012 को रु. 7,75,000 (रुपये सात लाख पिछहत्तर हजार मात्र)
अपार्टमेंट नं. पीएमसी091, सेक्टर-82ए, दी प्राईमस-डीएलएफ गार्डन सिटी, गुडगांव जो रोहित छाबड़ा/अमिता छाबड़ा के नाम पर है, जिसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए 'सुरक्षा हित' के लिए प्रस्तुत किया गया था, उसके खो जाने/गलत होने की सूचना मिली है और इसके संबंध में डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करने के लिए एक आवेदन बिल्डर यानि डीएलएफ को किया गया है। यदि किसी को इस तरह के डुप्लिकेट आवंटन पत्र जारी करने में आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सही/-
(अधिकृत स्वाक्षरी)

लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह होंगे सेना के नए डीजीएमओ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आतंक रोधी अभियानों का खासा अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) होंगे।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, फिलहाल सेना के नगरोटा स्थित 16वीं कोर के जनरल आफिसर कमांडिग के रूप में तैनात लेफ्टिनेंट जनरल सिंह 15 अक्तूबर को नए डीजीएमओ के रूप में पद संभालेंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को पूर्वी कमान का नया जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। डीजीएमओ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा सहित भारतीय सेना के विभिन्न अभियानों की निगरानी करेंगे।

भाजयुमो के 30 कार्यकर्ता हिरासत में

इंदौर, 27 जुलाई (भाषा)

मध्य प्रदेश पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पर मतदाताओं से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भाजयुमो के कार्यकर्ता प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजयुमो कार्यकर्ता कमलनाथ सरकार के खिलाफ जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए हिरासत में ले लिया। इनके खिलाफ उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड में मानव विकास 2019 सहित कई रिपोर्ट पेश

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 27 जुलाई ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 सहित कई रिपोर्टों का विमोचन किया। इनमें ग्रीन एकाउंटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, फ्रेमवर्क फॉर अदर नेचुरल रिसोर्स एंड इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस फॉर उत्तराखंड स्टेट और उत्तराखंड इकॉनोमिक सर्वे 2018-19 रिपोर्ट शामिल हैं। ये रिपोर्ट अर्थ और संख्या, नियोजन विभाग उत्तराखंड द्वारा प्रकाशित की गई हैं। उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2019 इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली के सहयोग से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का मानव विकास सूचकांक 0.718 है। सूचकांक में देहरादून प्रथम, हरिद्वार दूसरे और उधमसिंह नगर तीसरे स्थान पर है।

लैंगिक विकास सूचकांक में उत्तरकाशी प्रथम, रूद्रप्रयाग द्वितीय और बागेश्वर तृतीय स्थान पर रहे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तरकाशी प्रथम, हरिद्वार द्वितीय व चंपावत तृतीय स्थान पर रहे। उत्तराखण्ड राज्य में जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष है। पिथौरागढ़ जनपद में जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक 72.1 वर्ष है।उन्होंने कहा कि मानव विकास रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में उपलब्धियों के साथ मौजूद बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए मार्गदर्शक उपायों को भी समावेशित किया गया है।

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**जिलिअन इन्फ्राप्रॉजेक्ट्स प्रा. लि.**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	19.3.1986
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U27209DL1986PTC023662
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	5वाँ तल, अनुष्का शॉपिंग माल, प्लॉट-2, गर्ग ट्रेड सेन्टर, सेक्टर-11, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	5.2.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	28.7.2019 (संशोधित) (पूर्व की तिथि 22.4.2019 एवं 25.05.2019)
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	विवरण cirp.zillion@gmail.com पर ई-मेल भेज कर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29ए तथा अन्य प्रावधानों के अनुसार विवरण cirp.zillion@gmail.com पर ई-मेल भेज कर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	12.08.2019 (पूर्व की तिथिः 7.5.2019 एवं 10.06.2019)
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	15.08.2019 (पूर्व की तिथिः 10.5.2019 एवं 12.06.2019)
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	20.8.2019 (पूर्व की तिथिः 15.5.2019 एवं 17.06.2019)
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	23.08.2019 (पूर्व की तिथिः 20.5.2019 एवं 20.06.2019)
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	27.08.2019 (पूर्व की तिथिः 15.5.2019 एवं 21.06.2019)
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	विवरण cirp.zillion@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	15.09.2019 (पूर्व की तिथिः 14.6.2019 एवं 10.07.2019)
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	मेल एवं स्पीड पोस्ट द्वारा)
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	15.10.2019 (पूर्व की तिथिः 14.7.2019 एवं 1.8.2019)
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	हरीश तनेजा एवं IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	हरीश तनेजा, 236-एल, मॉडल, टाउन, मखीजा हॉस्पीटल के निकट, सोनीपत-131001 harishtaneja78@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	हरीश तनेजा, 236-एल, मॉडल, टाउन, मखीजा हॉस्पीटल के निकट, सोनीपत-131001 cirp.zillion@@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	आगे विवरण cirp.zillion@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	28.7.2019 (पूर्व की तिथिः 22.4.2019 तथा 22.05.2019)

हरीश तनेजा
रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
IBBI/IPA-002/IP-N00088/2017-18/10229
236-एल, मॉडल टाउन, मखीजा हॉस्पीटल के निकट, सोनीपत-131001

तिथिः 28.7.2019
स्थानः नई दिल्ली

JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED

Regd. Office : Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh)
Corporate Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India)
Website: www.jppowerventures.com **Email:** jpvl.investor@jalindia.co.in **CIN :** L40101MP1994PLC042920

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

Rs. in Lakhs except Earning Per Share

Sr. No.	Particulars	Standalone Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Standalone Quarter Ended 31.03.2019 (Audited)	Standalone Quarter Ended 30.06.2018 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended 31.03.2019 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended 30.06.2018 (Unaudited)	Standalone Year ended 31.03.2019 (Audited)	Consolidated Year ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	103,750	78,641	109,013	108,464	82,847	113,079	387,409	400,481
2	Net Profit /(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(17,952)	(37,037)	(4,622)	(15,801)	(35,661)	(3,036)	(58,613)	(56,005)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(17,952)	(37,037)	646	(15,801)	(35,661)	2,232	(53,345)	(50,737)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(11,683)	(24,427)	414	(9,552)	(23,485)	1,975	(37,788)	(35,706)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(11,680)	(24,411)	413	(9,549)	(23,469)	1,974	(37,776)	(35,694)
6	Equity Share Capital	599,600	599,600	599,600	599,600	599,600	599,600	599,600	599,600
7	Other equity	–	–	–		–	–	299,170	138,833
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)								
	Basic :	(0.19)	(0.41)	0.0069	(0.16)	(0.39)	0.0300	(0.63)	(0.62)
	Diluted :	(0.19)	(0.41)	0.0068	(0.16)	(0.39)	0.0259	(0.63)	(0.62)

Note : The above is an extract of the detailed statement of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** and also on the Company's website i.e. **www.jppowerventures.com.**

For and on behalf of the Board
MANOJ GAUR
CHAIRMAN
DIN 00008480

Place : New Delhi
Dated : 27th July, 2019

JAYPEE GROUP
Construction
Power
Cement
Hospitality
Real Estate
Fertilizer
Buddh International Circuit
NO DREAM TOO BIG

निशानेबाजी को बाहर किए जाने का विरोध

आइओए ने राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने निशानेबाजी को बाहर किए जाने को लेकर 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा और सरकार से मंजूरी मांगी है। खेल मंत्री किरन रिजीजू को लिखे पत्र में आइओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने इस प्रस्ताव पर बातचीत के लिए उनसे मुलाकात का समय मांगा है। इससे पहले आइओए ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की आमसभा से नाम वापस ले लिया था जो सितंबर में रवांडा में होनी है।

आइओए ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए राजीव मेहता और खेल समिति के सदस्य के रूप में नामदेव शिरगांवकर के नाम भी वापस ले लिए थे। 2022 खेलों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखते हुए बत्रा ने 'भारत विरोधी मानसिकता' के लिए सीजीएफ की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के अच्छा प्रदर्शन करने पर हर बार नियमों में बदलाव की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश का उपनिवेश नहीं है।

आइओए प्रमुख ने पत्र में लिखा,'हम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखते हैं ताकि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को समझ में आए कि भारत विरोधी मानसिकता अब नहीं चलेगी। सीडब्लूजी में एक खास मानसिकता रखने वाले लोगों को समझना होगा कि भारत 1947 में आजाद हो चुका है और अब किसी का उपनिवेश नहीं है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है।' उन्होंने लिखा,'हम काफी समय से देख रहे हैं कि भारत जब भी खेलों पर पकड़ बनाने लगता है, तब नियमों में बदलाव की कोशिश की जाती है। अब हमें कड़े सवाल पूछने होंगे और कड़े कदम उठाने होंगे।'

मलिंगा का प्रशंसक हमेशा रहूंगा : बुमराह

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 27 जून।

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वह एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले श्रीलंका के दिग्गज लसिथ मलिंगा के प्रशंसक हमेशा बने रहेंगे। मलिंगा ने गुरुवार को कोलंबो के घरेलू मैदान पर अपने करिअर के अंतिम वनडे में 9.4 ओवर में दो मेडन से 38 रन देकर तीन विकेट झटके। उन्होंने 226 वनडे मैचों में 338 विकेट चटकाए।

बुमराह ने ट्विटर पर लिखा, 'मलिंगा की उत्कृष्ट गेंदबाजी। क्रिकेट के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूं और हमेशा रहूंगा।' मलिंगा और बुमराह को अलग तरह के गेंदबाजी एक्शन के लिए जाना जाता है। दोनों के पास तेज गति से यार्कर डालने की क्षमता है। आइपीएल में लंबे समय से दोनों गेंदबाज मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं।

अपना आखिरी एक दिवसीय खेलने के बाद मलिंगा ने कहा कि मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक दिवसीय से संन्यास लेने का सही समय है। मैं पिछले 15 साल से श्रीलंका के लिए खेल रहा हूं और यह आगे बढ़ने का सही समय है। उन्होंने कहा कि मेरा समय समाप्त हो गया है और मुझे जाना होगा। महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की अगुआई में कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों ने 35 साल के मलिंगा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि मलिंगा शानदार एक दिवसीय करिअर के लिए बधाई, भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मलिंगा के साथ 10 वर्षों तक राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने उनके साथ बिताए शुरुआती दिनों को याद किया। जयवर्धने ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'गॉल में 2002 में 18 साल के जिस नेट गेंदबाज का मैंने सामना किया, वो चैंपियन

"मलिंगा की उत्कृष्ट गेंदबाजी। क्रिकेट के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूं और हमेशा रहूंगा। - जसप्रीत बुमराह

"पिछले एक दशक में मुंबई इंडियंस के लिए एक मैच विजेता को चुनना होगा तो मलिंगा निश्चित रूप से शीर्ष पर होंगे। एक कप्तान के रूप में वह मुझे तनावपूर्ण परिस्थितियों में राहत देते। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।' - रोहित शर्मा

आज अपना आखिरी एक दिवसीय खेल रहा है। आप टीम के लिए योगदान देने वाले चैंपियन और अच्छे दोस्त हैं। आपने श्रीलंका को गौरवान्वित किया है।

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने मलिंगा को पिछले एक दशक का सबसे बड़ा मैच विजेता करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 'अगर मुझे पिछले एक दशक में मुंबई इंडियंस के लिए एक मैच विजेता को चुनना होगा तो यह खिलाड़ी (मलिंगा) निश्चित रूप से शीर्ष पर होगा। एक कप्तान के रूप में वह मुझे तनावपूर्ण परिस्थितियों में राहत देता और वह कभी भी जरूरत के समय विफल नहीं रहा। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं।'

कुसाल परेरा (111) के तेजतर्रार शतक की मदद से श्रीलंका ने पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां बांग्लादेश को 91 रन से हराकर अपने स्टार लसिथ मलिंगा को जीत से विदाई दी। मलिंगा एक दिवसीय में तीन बार हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने 2011 में टैस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

खबर कोना

भारत ए ने वेस्ट इंडीज को छह विकेट से हराया

नार्थ साउंड, 27 जुलाई (भाषा) ।

भारत ए ने पहले अनधिकृत टैस्ट के चौथे और आखिरी दिन शनिवार को वेस्ट इंडीज ए को छह विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 97 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ए को आखिरी दिन 68 रन बनाने थे जो उसने तीन विकेट खोकर 19.3 ओवर में हासिल कर लिए। एक विकेट पर 29 रन से आगे खेलते हुए कल के नाबाद बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन (27) छह गेंद तक ही टिक सके। उन्हें चेमार होल्डर ने चार रन के योग पर आउट कर दिया। कप्तान हनुमा विहारी (19) और श्रीकर भरत (28) ने तीसरे विकेट के लिए 13 ओवर में 49 रन जोड़े। भरत के आउट होने के समय स्कोर तीन विकेट पर 82 रन था। विहारी जब पवेलियन लौटे तब स्कोर चार विकेट पर 90 रन था। ऋधिमान साहा और शिवम दुबे टीम को जीत तक ले गए।

मनिका बत्रा की आरपी एसजी मावेरिक्स को गोवा ने हराया

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) ।

भारत की स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा को अल्टीमेट टेबल टेनिस के तीसरे दिन शनिवार को दोहरे झटके लगे जब उनकी आरपी एसजी मावेरिक्स कोलकाता को गोवा चैलेंजर्स ने 11-4 से हरा दिया। मनिका को अर्चना कामथ ने 3-0 से हराकर महिला एकल में उलटफेर किया। इसके बाद मनिका और बेनेडिक्ट डुडा मिश्रित युगल में भी 1-2 से हार गए। गोवा के लिए स्पेन के अलवारो रोबलेस ने पुरुष एकल और अमलराज एंथोनी/चेंग आई चिंग की जोड़ी ने मिश्रित युगल जीते। भारत के अमलराज ने जर्मनी के बेनेडिक्ट को दूसरे पुरुष एकल में हराया।

राष्ट्रीय शिविर से बाहर हुए तीरंदाज और कोच

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदकधारी तीरंदाज को शनिवार को भारतीय खेल प्राधिकरण के रोहतक केंद्र में लगे जूनियर राष्ट्रीय शिविर से बाहर कर दिया गया। अधिकारियों से अनुमति लिए बिना ही शिविर छोड़कर घर जाने के कारण उनपर यह कार्रवाई की गई है। इस तीरंदाज ने एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीता था। वह 21 से 24 जुलाई तक शिविर से अनुपस्थित थीं। इसी शिविर के एक तीरंदाजी कोच को भी छोड़ने के लिए कहा गया क्योंकि वह भी अधिकारियों को जानकारी दिए बिना इन्हीं तारीखों को अनुपस्थित थे। खेल प्राधिकरण ने इस घटना के संदर्भ में शिविर में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी।

हाई कोर्ट ने तीरंदाजी की सुनवाई दो अगस्त तक टाली

कोलकाता, 27 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दो गुटों द्वारा अलग अलग कराए गए भारतीय तीरंदाजी संघ के चुनावों से संबंधित सुनवाई दो अगस्त तक के लिए टाल दी। विश्व संस्था द्वारा निलंबन लगाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी।

इंग्लैंड की एशेज टीम में आर्चर को मिली जगह

एक बार फिर उप-कप्तान बने बेन स्टोक्स

लंदन, 27 जुलाई (भाषा)।

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को आस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले सप्ताह खेले जाने वाले एशेज श्रृंखला के पहले टैस्ट के लिए शनिवार को घोषित 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। बेन स्टोक्स को एक बार फिर से टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 जुलाई को खेले गए फाइनल में स्टोक्स की पारी से इंग्लैंड ने मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की।

चौबीस साल के आर्चर इसी साल इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने के पात्र बने हैं। अब वह एक अगस्त से एजबेस्टन में खेले जाने वाले श्रृंखला के पहले टैस्ट मैच से पदार्पण कर सकते हैं। विश्व कप के दौरान वह हालांकि चोटिल थे लेकिन बारबडोस स्थित अपने घर में समय बिताने के बाद वह फिट घोषित कर दिए गए। उन्होंने अपनी काउंटी टीम ससेक्स के लिए शुक्रवार को मैदान में वापसी की। सरे के खिलाफ टी-20 ब्लास्ट में 21 रन देकर दो विकेट चटकाए। जोए रूट की नेतृत्व वाली टीम में बेन स्टोक्स को फिर से उप कप्तान बनाया गया है। स्टोक्स को सितंबर 2017 में नाईट क्लब में देर रात झड़प करने के विवाद के बाद उप कप्तान से हटा दिया गया था। इस घटना के बाद स्टोक्स की जगह जोस बटलर को उप कप्तान बनाया गया था। इस सप्ताह आयरलैंड के खिलाफ खेले गए टैस्ट मैच से बटलर और स्टोक्स को विश्राम दिया गया था। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए इस मुकाबले को 143 रन से अपने नाम किया था। तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भी टीम में जगह बनाई है। आयरलैंड के खिलाफ नाइटवाच के तौर पर दूसरी पारी में 92 रन का योगदान देने वाले मैन ऑफ द मैच बाएं हाथ के गेंदबाज जैक लीच टीम में जगह नहीं बना सकें।

टीम चयन से खफा हैं पूर्व आस्ट्रेलियाई दिग्गज

सिडनी, 27 जुलाई (एएफपी)।

एशेज श्रृंखला के लिए चुनी गई टीम में एलेक्स कैरी को नहीं शामिल करने से आस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ी मार्क वॉ और शेन वार्न ने हैरानी जताई है। मार्क टेलर ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जो बर्न्स और कुर्टिस पैटरसन को नहीं चुना गया। आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टैस्ट श्रृंखला के लिए शुक्रवार को 17 सदस्यीय टीम का चयन किया। इसमें सलामी बल्लेबाज कैमरन बैनक्रोफ्ट को स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के साथ टीम में शामिल किया गया है। इन पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंद से छेड़छाड़ के मामले में पिछले साल प्रतिबंध लगा था। करीब दो साल तक टैस्ट नहीं खेलने के बावजूद मैथ्यू वेड को हाल में बल्ले से अच्छी फॉर्म के बदौलत चुना गया है। 128 टैस्ट के अनुभवी वॉ ने ट्वीट किया, 'एलेक्स कैरी नहीं है, यह मजाक तो नहीं।' वॉ ने कहा कि एलेक्स कैरी टीम में नहीं है, विश्व कप के प्रदर्शन को देखते हुए यह बहुत हैरानी की बात है।

बीसीसीआइ के दखल से शमी को मिला अमेरिका का वीजा

कोलकाता, 27 जुलाई (भाषा)।

भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का अमेरिका का वीजा उनके घरेलू हिंसा के आरोपों वाले मौजूदा पुलिस रेकार्ड के कारण खारिज कर दिया गया था। इसके बाद बीसीसीआइ ने हस्तक्षेप करते हुए इसका निपटारा कराया। बीसीसीआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने अमेरिकी दूतावास को पत्र लिखा जिसके बाद बंगाल के इस तेज गेंदबाज के वीजा को हरी झंडी मिल गई।

जौहरी ने इस पत्र में देश के लिए क्रिकेटर के तौर पर शमी की उपलब्धियों के अलावा उनकी पत्नी हसीन जहां से अलग होने को लेकर हुई पूरी पुलिस रिपोर्ट की जानकारी दी। पता चला है कि भारतीय खिलाड़ियों को पी1 वर्ग के अंतर्गत वीजा मिला है जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विदेशी टीम के सदस्यों को दिया जाता है।

बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि हां, शमी का वीजा आवेदन पहले अमेरिकी दूतावास ने खारिज कर दिया था। इसमें पाया गया था कि उनकी पुलिस जांच का रिकार्ड पूर्ण नहीं था। हालांकि इसे बाद में निपटा लिया गया और सारे जरूरी दस्तावेज मुहैया करा दिए गए। उन्होंने बताया कि शमी का वीजा आवेदन खारिज होने के बाद सीईओ राहुल जौहरी ने तुरंत एक पत्र लिखकर शमी की उपलब्धियों के बारे में बताया जिसमें कई विश्व कप में भागीदारी की भी जानकारी दी गई। 2018 के शुरू में शमी और उनकी पत्नी अलग हो गए थे। उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा और व्यभिचार के आरोप लगाए और कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तलाक का मामला अभी अदालत में चल रहा है।

भारत ने थाईलैंड ओपन में आठ पदक जीते

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)।

एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदकधारी आशीष कुमार (75 किग्रा) ने शनिवार को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण जीता। साथ ही भारतीय मुक्केबाजों ने बैंकाक में थाईलैंड ओपन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आठ पदक अपनी झोली में डाले। भारत ने एक स्वर्ण, चार रजत और तीन कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा जिसमें 37 देशों के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों ने शिरकत की।

अंतिम दिन जिन भारतीयों ने रजत पदक से संतोष किया, उसमें पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन निकहत जरीन (51 किग्रा), एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदकधारी दीपक (49 किग्रा), गीबी मुक्केबाजी प्रतियोगिता के रजत पदकधारी मोहम्मद हसमुद्दीन (56 किग्रा) और इंडिया ओपन के रजत पदक विजेता बृजेश यादव (81 किग्रा) शामिल रहे।

प्रतिस्पर्धी होंगे महिलाओं के ट्रॉयल : मलिक

लखनऊ, 27 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय कोच कुलदीप मलिक ने कहा कि रविवार को जब महिला पहलवानों के लिए विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल कराए जाएंगे तो शीर्ष खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। विदेशी कोच एंड्रयू कुक के साथ राष्ट्रीय शिविर की जिम्मेदारी देखने वाले मलिक ने कहा कि उभरती हुई महिला पहलवान अपनी सीनियर के खिलाफ अच्छा करने के लिए प्रेरित हैं। नई दिल्ली में लगने वाले पुरुष ट्रायल में अच्छी स्पर्धा की कमी दिखी थी क्योंकि बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया को अपने संबंधित वर्गों में महज एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा।

मलिक ने कहा कि यह प्रत्येक के लिए मुश्किल होगा। पहलवानों ने अच्छी ट्रेनिंग की है। वे अच्छा करने के लिए प्रेरित हैं। रविवार को कड़ी बाउट देखने को मिलेंगी। हालांकि यह देखा जाएगा कि युवा पहलवान रविवार को विनेश फोगाट जैसी धुरंधर के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा साबित किया है। वह 50 से 53 किग्रा में खेलती हैं, जिसमें वह स्पेन ग्रांप्री और यासर दोगू अंतरराष्ट्रीय में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

विनेश जिस स्तर का खेल खेलती हैं, उनकी प्रतिद्वंद्वियों द्वारा किसी चुनौती की संभावना नहीं है। लेकिन मलिक को लगता है कि पिंकी पूरी तरह फिट हैं। विनेश की मौजूदगी के बावजूद उनके 53 किग्रा में अच्छा करने की उम्मीद है। विनेश जहां लगातार अच्छा कर रही हैं, रियो ओलंपिक कांस्य पदकधारी साक्षी मलिक बड़े मंच पर सफलता हासिल करने में जूझती रही हैं।

कोच ने कहा कि दीपिका जाखड़ 62 किग्रा में साक्षी के लिए कड़ी दावेदार हो सकती हैं। विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदकधारी पूजा ढांडा अच्छा कर रही हैं। उन्होंने बुल्गारिया में स्वर्ण पदक जीता था लेकिन इस्तांबुल में पदक दौर में नहीं पहुंच सकीं।

मलिक ने कहा कि सरिता मोर, मंजू और जूनियर पहलवान अंशु सभी 59 किग्रा वर्ग में हैं। इस वर्ग में दिलचस्प मुकाबला होगा। पूजा अच्छी फॉर्म में हैं लेकिन ये सभी पहलवान अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। पुरुषों की तरह महिलाओं के ट्रायल भी केवल छह ओलंपिक वजन वर्ग (50 किग्रा, 53 किग्रा, 57 किग्रा, 62 किग्रा, 68 किग्रा और 76 किग्रा) में कराए जाएंगे।

हम किसी से कम नहीं

मुंबई के कोलाबा में शुक्रवार की रात एक फुटबॉल मैच में भाग लेते बॉलीवुड अभिनेता (नीली जर्सी में)।

यू मुंबा ने पुणेरी पल्टन को, जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वारियर्स को मात दी

मुंबई, 27 जुलाई (भाषा) ।

यू मुंबा ने प्रो कबड्डी लीग के मैच में शनिवार को पुणेरी पल्टन को 33-23 से हराया।

महाराष्ट्र डर्बी कहे जा रहे मैच में मुंबई के अभिषेक सिंह ने पांच अंक बनाए जबकि रोहित बालियां, सुरिंदर सिंह, संदीप नरवाल और कप्तान फजल अत्राचली ने चार चार अंक हासिल किए। मुंबई चरण के पहले दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और महाराष्ट्र खेलमंत्री आशीष शेलार स्टेडियम में मौजूद थे। दूसरे मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वारियर्स को 27-25 से हराया।

साई प्रणीत हारे, जापान ओपन में भारतीय चुनौती खत्म

तोक्यो, 27 जुलाई (भाषा)।

साई प्रणीत के शनिवार को यहां सेमी फाइनल में शीर्ष वरीय और स्थानीय प्रबल दावेदार केंटो मोमोटा से हारने के बाद भारत की जापान ओपन में चुनौती समाप्त हो गई। भारतीय खिलाड़ी को 45 मिनट तक चले अंतिम चार के मुकाबले में 18-21, 12-21 से पराजय का मुंह देखना पड़ा। मोमोटा ने साल के शुरू में सिंगापुर ओपन में भी साई प्रणीत को हराया था। साई ने शुक्रवार को इंडोनेशिया के टामी सुगियार्तो को हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश किया था। भारत की महिला एकल में चुनौती पीवी सिंधू के क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची से हारने के बाद समाप्त हो गई थी। जापान की इस खिलाड़ी ने सिंधू को पिछले हफ्ते इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में भी हराया था।

- भारतीय खिलाड़ी को 45 मिनट तक चले अंतिम चार के मुकाबले में 18-21, 12-21 से पराजय का मुंह देखना पड़ा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 252, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

जनसत्ता रविवारी

● 28 जुलाई, 2019 ●

किशोर और अपराध

पिछले कुछ सालों में किशोर अपराध की दर लगातार बढ़ी है। यह माता-पिता, समाज और सरकार सभी के लिए चिंता का विषय है। इस प्रवृत्ति पर अनेक अध्ययन हो चुके हैं, जिनमें बच्चे के पारिवारिक, सामाजिक वातावरण, उपभोक्ता संस्कृति और संचार माध्यमों पर उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री आदि को कारण पाया गया है। मगर चुनौती है कि इस तरह गलत रास्ते पर बढ़ रहे कम उम्र के बच्चों को किस तरह सही दिशा की ओर प्रवृत्त किया जाए। किशोर अपराध और इससे संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण कर रहे हैं दीपक कुमार त्यागी।

हाल के कुछ वर्षों में देश में किशोरों द्वारा घटित कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनसे स्पष्ट है कि अब कुछ बच्चे बचपन में ही गंभीर अपराधों को अंजाम देने लगे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। जिस तरह किशोर आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे बार-बार सवाल उठते हैं कि क्या इन घटनाओं के लिए वास्तव में बच्चे जिम्मेदार हैं या कहीं न कहीं हमारे लालन-पालन और सामाजिक माहौल में व्याप्त कोई कमी जिम्मेदार है। किशोर उम्र में अपराध करने के लिए बच्चों को कौन से हालात उकसा रहे हैं, इसके लिए बच्चों में प्रेरणा कहां से मिल रही है। क्या इसका कारण परिवार के सदस्यों, पारिवारिक मित्रों, शिक्षकों के बच्चों के साथ व्यवहार में कोई कमी तो नहीं, जिसके चलते कुछ बच्चे गलत राह पर निकल जाते हैं।

यों हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और कुछ धर्मों में तो बच्चों की पूजा तक की जाती है। वैसे भी बच्चे देश का भविष्य और अनमोल राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं और आने वाले समय में उनके मजबूत कंधों पर देश और परिवार के भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए सरकार, समाज, माता-पिता, अभिभावक के रूप में हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें स्वस्थ्य सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने का अवसर प्रदान करें। ताकि वे बड़े होकर देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शरीर से हृष्ट-पुष्ट, मानसिक रूप से विद्वान और नैतिक रूप से सदाचारी बन कर अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह कर सकें। माता-पिता और सरकार का कर्तव्य है कि वे बच्चों के विकास के लिए समान अच्छे अवसर प्रदान करें। इसके साथ ही सरकार का दायित्व है कि समाज में व्याप्त असमानता को कम करने के लिए सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

हमारे देश में बच्चों से आज्ञाकारी बनने, बड़ों का आदर-सम्मान करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है और अधिकतर बच्चे इस पर अमल भी करते हैं। ग्यारह से सोलह वर्ष की किशोरावस्था की उम्र बेहद महत्त्वपूर्ण होती है। उसी दौरान उनके व्यक्तित्व निर्माण और सर्वांगीण विकास की ठोस नींव रखी जाती है। ऐसे में उनका किशोर उम्र में विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि यही वह समय है, जब बच्चे के गलत रास्ते पर चलने की आशंका सबसे अधिक होती है। अधिकतर बच्चे अपने परिवार, समाज और सरकार के बनाए नियमों को मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अनुशासन और नियमों को नहीं मानते हैं। इनमें से ही कुछ बच्चे धीरे-धीरे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें समाज में बाल अपराधी या किशोर अपराधी के रूप में जाना जाता है।

आज भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान समय में बहुत तेजी से हो रहे नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन कर दिया है, जिसमें अधिकतर परिवार अपने ही बच्चों पर नियंत्रण रखने और उन्हें संस्कारवान बनाने में विफल सिद्ध हो रहे हैं। सभी पैसे कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि भोले-भाले बचपन को ठीक से समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते आज बच्चों की वैयक्तिक स्वंतत्रता में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण कुछ बच्चों में नैतिक मूल्यों का बहुत तेजी से क्षरण होने लगा है। इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने किशोरों में तनाव को पैदा किया है। आज जिस आसानी से बच्चों को मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध है, उसने इन्हें परिवार और समाज से अलग कर अकेलेपन में जीना सिखा दिया है। इसके चलते आज देश में बहुत तेजी से बच्चे तनाव और अवसाद के शिकार होकर अपराध में लिप्त हो रहे हैं।

आज देश में बहुत सारे किशोर कई खतरनाक अपराधों में लिप्त पाए जाने लगे हैं जैसे कि चोरी, लूट, झपटमारी, लड़ाई-झगड़े, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म आदि। यह माता-पिता के साथ-साथ परिवार, समाज और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि बच्चों के द्वारा किए जाने वाले आपराधिक कृत्य माता-पिता, परिवार और समाज को झकझोर के रख देते हैं और देश के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्ट्रिोण से किशोर अपराध के लिए अब उम्र को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए कुछ विद्वान किशोरों द्वारा प्रकट रोजमर्रा के व्यवहार को किशोर अपराध के लिए मुख्य आधार मानते हैं। वे मानते हैं कि अगर बच्चा आवारागर्दी करेगा, स्कूल में अनुपस्थित रहेगा, माता-पिता और परिजनों की आज्ञा नहीं मानेगा, अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा, चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखेगा, तो उसके बिगड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी के चलते बच्चा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगता है। ■

व्यवहार में बदलाव

हर माता-पिता का दायित्व है कि वह बच्चों का अच्छे ढंग से ध्यान रखें और उनके व्यवहार में आ रहे बदलाव को जान कर उसकी जड़ तक पहुंचे जैसे कि अगर बच्चा स्कूल जाने से आनाकानी करने लगे, स्कूल से रोजाना अलग-अलग तरह की शिकायतें आने लगे, साथी बच्चों को गाली देना, गलत संगत में बैठना, किसी एक काम पर ध्यान न लगा पाना, आवारागर्दी करना, हर समय मोबाइल और इंटरनेट पर चिपके रहना आदि। ये सभी लक्षण दिखने पर समझ जाना चाहिए कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आने लगा है और अब उस पर बहुत अधिक ध्यान देने का समय है। ऐसे हालात में बच्चों को वक्त देना बहुत जरूरी हो जाता है, उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, उसके साथ अलग-अलग खेल खेलने चाहिए, बातें करके उसकी समस्या जान कर उसका समाधान करना चाहिए, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है इसलिए उसको जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, बात-बात में उसकी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। ■

कानूनी पहलू

किशोर कौन है

किशोर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, जो बहुत युवा, बालक या वयस्क न हो। दूसरे शब्दों में, किशोर का अर्थ है कि जो बच्चा अभी वयस्कों की आयु तक न पहुंचा हो, जिसका तात्पर्य उसके अब भी बालपन और अपरिपक्व होने से है। कभी-कभी बच्चा शब्द किशोर के स्थान पर भी प्रयोग होता है। कानूनी रूप से कहा जाए, तो एक किशोर को उस बच्चे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसने अभी कानूनी रूप से निश्चित वयस्क आयु प्राप्त न की हो और देश के कानून के तहत उसे अपने किए हुए अपराधों के लिए वयस्क की तरह जिम्मेदार न ठहराया जा सके। कानून के शब्दों में, एक किशोर वह व्यक्ति होता है, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम हो। यह कानूनी महत्त्व रखता है। किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के अनुसार एक किशोर, अगर वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तो कानूनी सुनवाई और सजा के लिए उसके साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार नहीं किया जाएगा।

किशोर अपराध क्या है

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज-विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टि से किशोर अपराध सोलह वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून-विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार सोलह वर्ष तक की आयु के लड़कों और अठारह वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर किशोर अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। किशोर उम्र के बालक द्वारा किया गया कानून-विरोधी कार्य किशोर अपराध है।

केवल आयु किशोर अपराध को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसमें अपराध की गंभीरता भी एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सोलह वर्ष का लड़का तथा अठारह वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो, जिसके लिए राज्य मृत्यु दंड या आजीवन कारावास देता है, जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि, तो वह किशोर अपराधी माना जाएगा।

अपराध की दर

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में कुल 38,455, वर्ष 2015 में 33,433 और वर्ष 2016 में 35,849 मामले किशोर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जो कि बहुत शोचनीय है, क्योंकि बच्चे देश और परिवार की नींव और उज्जवल भविष्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों की संख्या चौबीस करोड़ से अधिक है। यह आंकड़ा देश की जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में गुस्से की प्रवृत्ति उनकी उम्र के अनुसार बदलती जाती है। वर्ष 2014 में 'इंडियन जर्नल साइकोलॉजिकल मेडिसिन' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लड़कों में लड़कियों के मुकाबले अधिक गुस्सा देखने को मिलता है। इस अध्ययन में शामिल लोगों में जिस समूह की उम्र सोलह से उन्नीस वर्ष के बीच थी, उनमें ज्यादा गुस्सा देखने को मिला, जबकि जिस समूह की उम्र बीस से छब्बीस वर्ष के बीच थी उनमें थोड़ा कम गुस्सा था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किशोर उम्र के बच्चों में युवा अवस्था के मुकाबले अधिक गुस्सा देखने को मिलता है। इसी तरह लड़कों में लड़कियों के मुकाबले अधिक गुस्सा देखने को मिलता है। हालांकि, इसी शोध के अनुसार बारह से सत्रह वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों में करीब उन्नीस प्रतिशत लड़कियां अपने स्कूल में किसी न किसी तरह के झगड़े में शामिल मिली हैं। यह अध्ययन भारत के छह प्रमुख स्थानों के कुल 5467 किशोर और युवाओं पर की गई थी। इस अध्ययन में दिल्ली, बंगलुरु, जम्मू, इंदौर, केरल, राजस्थान और सिक्किम के किशोर और युवा शामिल थे। ■

नियंत्रण की जरूरत

वैसे हमारे देश के बहुत से कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि देश में वर्तमान कानून और बाल सुधार गृह के खस्ताहाल आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों की स्थिति में सुधार करने और नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त है। हमें इसमें तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही आज देश में किशोरावस्था में अपराध के सामान्य प्रवृत्ति के मामले और गंभीर प्रवृत्ति के मामलों में बार-बार लिप्त होने वाले बच्चों में अंतर करना आवश्यक है। बार-बार गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों के लिए अब बच्चों को भी वयस्कों की तरह दंडित किए जाने की मांग देश में उठाने लगी है।

हालांकि हमारे देश में किशोर अपराधों का अलग न्यायाविधान है। उनके न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी बाल-मनोविज्ञान के जानकार होते हैं। वहां किशोर अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उनके जीवनवृत्त (केस हिस्ट्री) के आधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन करके वातावरण में स्थित असंतोषजनक, फलतः अपराधों को जन्म देने वाले, तत्त्वों में सुधार करके बच्चों सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया और संवेदना का व्यवहार किया जाता है। इसी उद्देश्य से भारत में भी राज्यों में बाल न्यायालयों और बाल सुधारगृहों की स्थापना की गई है, ताकि देश के भविष्य को गलत राह से सही राह पर लाकर किशोर द्वारा किए जाने वाले अपराधों को नियंत्रित किया जा सके।

साथ ही अब समय आ गया है कि विभिन्न देशों की तरह भारत में भी किशोर अपराधियों को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर ठोस और कारगर प्रयास धरातल पर किए जाए हालांकि सरकार के मौजूदा प्रावधानों से अब किशोर अपराधों की पुनरावृत्ति में थोड़ी कमी आई है, फिर भी अभी इन उपायों में काफी खामियां हैं, जिन्हें तत्काल दूर करना आवश्यक है। कोई बालक अपराध की ओर नहीं जाए, इसके लिए आवश्यक है कि देश में गरीब बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर और सामाजिक स्तर पर समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाएं, पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य, अश्लीलता पेश करने वाले नाटकों, विज्ञापनों और बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करने वाले दोषपूर्ण चलचित्रों पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने में माता-पिता की मदद करने हेतु बाल सलाहकार केंद्र गठित किए जाएं तथा उससे संबंधित कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। किशोर अपराध की रोकथाम के लिए माता-पिता, परिजन, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को आपसी तालमेल करके बच्चे को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। माता-पिता, परिजनों और समाज को बच्चों को तनाव मुक्त माहौल प्रदान करना चाहिए। सभी को सामूहिक प्रयास करके बच्चों को सुधारना चाहिए न कि गलत शिक्षा देकर उनको बिगाड़ना चाहिए। ■

अपराध की वजहें

किशोर अपराध एक इरादतन अपराध नहीं, बल्कि बहुत गंभीर सामाजिक और पारिवारिक समस्या है, जिसके अधिकतर कारण भी समाज और परिवार में ही विद्यमान होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की इस हिंसक प्रवृत्ति के पीछे क्या वजह है। हमको समझना होगा कि कोई भी बच्चा जन्मजात अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। किसी भी बालक के व्यक्तित्व को रूप देने में घर के अंदर और बाहर का सामाजिक-सांस्कृतिक, पारिवारिक वातावरण बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वातावरण और हालात के चलते कुछ किशोर अपराध से जुड़ जाते हैं। इसके कुछ कारण जाहिर हैं।

- माता-पिता में आपसी मनमुटाव और लड़ाई-झगड़े के चलते तनावपूर्ण होते रिश्ते, एकल परिवार, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, सरलता से उपलब्ध पोर्नोग्राफी बच्चों को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा बच्चों को अन्य तनाव भरे पारिवारिक रिश्ते, अपराधी भाई-बहन और परिजनों का होना, माता-पिता द्वारा तिरस्कार, परिवार की खस्ता माली हालात, मनोवैज्ञानिक कारण, सामुदायिक कारण, सिनेमा और अश्लील साहित्य, नशीली दवाइयों का सेवन, असामाजिक साथियों की मित्रमंडली, आग्नेयास्त्रों की आसान उपलब्धता, पारिवारिक हिंसा, बाल यौन शोषण और मीडिया की भूमिका आदि भी अपराध करने के लिए प्रेरित करने के बहुत बड़े कारण है।
- हालांकि हमारे देश भारत में किशोर अपराध के लिए गरीबी सबसे बड़ा कारण है, जो बच्चों को पेट भरने के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा देश में आजकल समाज, साहित्य, सिनेमा के जो हालात हैं, वे किशोरों के मस्तिष्क में सकारात्मक के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव अधिक डालते हैं। इसके चलते वे अपराध करने के प्रति आकर्षित होते हैं।
- वैसे तो इसके अलावा भी अन्य तथ्य हैं, जिनका गहन अध्ययन और विश्लेषण हम सभी को करने की आवश्यकता है। इससे इस बेहद ज्वंलत समस्या का हम निदान कर सकें। ■

एक अधूरी-सी कहानी

चित्र: नरेंद्र नागदेव

कहानी

शोभा सिंह

एक अच्छी-सी निर्जन पहाड़ी सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठी लिख रही हूं। यह मेरी प्रिय जगह है। टहल कर आने के बाद सुस्ताने के लिए। सामने स्टडी सेंटर की ब्रिटिश कालीन भव्य इमारत है। उसी के परिसर में है खूब घना चिनार का पेड़, सिल्वर ओक, क्यारियों में खिले गुलाब, मौसमी फूलों के खुशनुमा ताजे रंगों की छटा, कटे घास की ताजा खुशबू से सिक्त हवा। अजब रूमानियत पैदा करते। पीछे ढलान पर सीधे तन कर खड़े ऊंचे देवदार, जिसकी काही हरियाली स्मृति में निश्चय ही टंग जाएगी। पहाड़ी घरों की छतें धूप में यों चमकती हैं जैसे कोई आईना चमक रहा हो। जिसकी चौंध चांदी का लश्कारा मारती यही रात होने पर रंग-बिरंगे जवाहरात-सी चमकती बत्तियां। खुल जा सिमसिम का खुला खजाना-सी दिखतीं। बुरांश, चीड़ और बान के घने जंगलों से घिरा पहाड़। घाटियां कितनी मोहक लगतीं। वक्ती सौदागरों की हृदयहीन दुनिया से बेखबर, शांति, सहृदयता और उदारता के सौंदर्य का मंत्र हवा में फूंकती अनायास ही खिले नन्हे फूल छोटी-छोटी ख्वाहिशों से ताजादम- सम्मोहित- हम नौसिखिए पर्यटक। ठिठकते ठगे से।

जहां बैठी हूं उसके पास से पहाड़ से नीचे उतरने का शार्टकट रास्ता। अनगढ़ सीढ़ियां या पगडंडी, जिससे सीधे नीचे उतरते जाओ या नीचे सड़क से ऊपर आ जाओ। बस्ती, बाजार, हाट का रास्ता। ऊपर से गहराई में उतर जाने की ख्वाहिश उम्र दबा देती है। अभी तो खूब खींच कर हवा फेफड़ों में भरती हूं। स्फूर्ति का स्रोत नन्ही तितली-सी घुमड़ते मन में ठहर-सी जाती है।

स्कूली बच्चे धड़धड़ाते हुए शार्ट कट रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। उनकी मिली-जुली आवाजें, चहक घाटी में उतरती जाती है। सामने ढलान पर एक स्त्री घास काट रही है। तेजी से हाथ चलाती। एक जगह घास काट कर ढेर लगाती जाती है। थोड़ी देर बाद देखती हूं। वह स्त्री गायब है। घास के ढेर पर पत्थर सूखी लकड़ी से ढका है। शायद बाद में बोझा बना कर ले जाएगी।

दीदी का घर काफी ऊंचाई पर है। चीड़ और देवदार की छोटी-छोटी पत्तियों की नुकीली तीलियां बिखरी रहती हैं। अहाते में पैरों के नीचे चुरमुर। पहाड़ी काले कौए और नन्ही फुर्तीली चिड़ियों की बोली सन्नाटे को तोड़ती है। धूप जब पसरती है। पहाड़ के दूसरे छोरों से कालिमा और धुंध तेजी से अपने को सिकोड़ती समेटती चलती है।

दीदी अशक्त है। चलने में तकलीफ के बावजूद घर से बाहर निकलना उसे पसंद है। हवा का देह को सहलाते हुए गुजरना। पहाड़ का क्षण-क्षण बदलता रूप। नरम गरम हठीली धूप, जिसका पीछा करते हम दूर तक चले जाते। घर का हल्का-सा तनाव, जो कभी कामकाज के लिए यों ही पसर जाता है। वह बाहर उड़नछू हो जाता और हम नन्ही बच्चियों से खुश चहकने लगतीं। सौंदर्य की पराकाष्ठा में सबकी याद आ जाती। सब होते तो पहाड़ के आंगन का आलम ही कुछ और होती। चलूं, देर हो गई। दीदी चिंता करेगी।

लौटने का रास्ता घुमावदार। लोग इस रास्ते पर कम ही आते हैं। स्टडी सेंटर से रिहायशी क्वाटर तक का शार्टकट रास्ता। पहाड़ी रूमानियत से भरा। चलते-चलते नन्हे पीले फूलों को तोड़ती आगे बढ़ती हूं। फूल बालों में सज जाते हैं। आगे चलती स्त्री ध्यान खींचती है। पीठ पर बोझ है। गोरा सुंदर चेहरा मुरझाया-सा। एक सहज मुस्कान फेंकती हूं। कहीं दूर से आ रही है। बेंच पर थोड़ी देर सुस्ता लो। वह थोड़ी देर रुक जाती है। हां काम से लौट रही हूं। रास्ते में रुक कर यह चारा भी ले लिया, जिनावर का भी तो पेट भरना है। पानी पिओगी? बोतल में पानी है। एक मिनट वह उसे गौर से देखती है। आप बीना बहिन जी के घर से आगे के तीसरे मकान में आई हैं न। अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए। हां, बहन और जीजाजी के पास आई हूं। तुम बीना बहिन जी के यहां आती हो। उनके घर काम करती हूं जी। ठीक है मेमसाब पानी पिला दें।

पानी देते हुए मैंने पूछा- तुम्हारा नाम क्या है। जी कमला। पानी पीकर वह फूर्ती से उठी, पीठ पर बोझ लादा और नमस्ते कह चल पड़ी। मैं पहाड़ी स्त्रियों के जीवट के बारे में सोचती- कितनी मेहनत करती हैं वे। आगे बढ़ चली। घर के पास बड़ी-सी अलमारी पीठ से बांध कर रस्सा कमर से माथे पर कसा हुआ। झुका धीमे सधे कदमों से चलता हुआ मजदूर औसत उम्र का। हाथ की नसें तनी हुईं। धीरे-धीरे नजर से ओझल हो गया। हाय, मनुष्य ही बली है। कैसे ऊंचे पहाड़ पर घर और सड़कें बना लिया। मंथन चलता तब तक दीदी ने आवाज लगाई- कहां खोई हो कवित्री जी। घर इधर है।

चाय का वक्त था। चाय की गरम भाप खुश करने के लिए काफी थी। ब्लडशुगर को नियंत्रित करने के लिए भी सुबह शाम की सैर लगभग रोज ही होती। वही निश्चित रास्ता। मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेती, जो रास्ता जाना-पहचाना हो वही ठीक। हालांकि मेरी इच्छा होती छोटे बीच के रास्तों से मैं भी धड़धड़ नीचे उतरती जाऊं और बस के उबाऊ इंतजार से बच जाऊं।

उस घुमावदार रास्ते में अपने में खोई चली जा रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने शॉल खींची। पलट कर देखा तो मोटा बंदर था। शॉल को पकड़ा, तब तक शॉल तेजी से खिंच कर बंदर के हाथ में। आगे भी दो-तीन बंदर। एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ। घिर गई थी। भय की पराकाष्ठा में दिमाग शून्य होने के पहले चैतन्य हुआ। दोनों हाथ उठा कर दिखाया- देखो, कुछ नहीं है खाने के लिए।

इतने में पीछे से आवाज आई, चुपचाप खड़ी हो जाइए। अभी भाग जाएंगे। और पता नहीं कमला ने क्या किया, बंदर कूदते हुए घाटी में उतर गए। डर के मारे मेरी सांस उखड़-सी गई। उसने शॉल की मिट्टी झाड़ते हुए मुझे उढ़ा दिया। उसके साथ किनारे लगी बेंच पर बैठ गई। बाप रे बाप, ये बंदर आज तो जान बची। खैर, ये बताओ तुम कहां थीं? इतने दिन दिखी नहीं। हां, एक उदासी-सी उसके खूबसूरत चेहरे पर खिंच आई। उस दिन मुझे लगा, वह गर्भवती है। अरे! ऐसी हालत में बोझ मत उठाया करो। अपने आदमी से कहो, तुम्हारा कुछ काम करे। कमला, क्या तुम्हारा पहला बच्चा है। हां मेमसाब। तब तो तुम्हारा आदमी खुश होगा। पता नहीं पेट में किसका बच्चा। मतलब! एक से ब्याह कर आई थी। मरद पांच हैं। सबसे छोटे से फेरे लिए थे। पेट का बच्चा किसका है, कैसे कहूं। इसी गुस्से में छोटा पीटता है। अपने भाइयों से कुछ नहीं कहता। बड़ा छल हुआ मेरे बापू के साथ। अब तो अपने घर भी नहीं जा सकती। बारी बांध रक्खी है भाइयों ने। कहते हैं, बेटा ही जनना। नहीं तो तेरी खैर नहीं। रात-दिन चिंता खाए जाती है। बेटी हुई तो...।

तुम विरोध क्यों नहीं करती। हां, विरोध किया था। मार-पीट कर कमरे में बंद कर तीन दिन खाना नहीं दिया। रात को शरीर नोंचते। क्या करती, हार गई। जब अपना मर्द ही कुछ नहीं कहता। शरीर घाव से भर गया था। मलहम तक तो जालिम ने लगाया नहीं। पांच की सेवा का हुकुम तो- बस सेवा। छलक आए आंसू पोंछते हुए कहती मां बनने की खुशी नहीं। पता नहीं कैसे आपसे यह सब कह गई। यहां तो ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने कहा शायद? हां शादी एक से, पति कई। एक ही घर के मरद। इज्जत तो बनी रहती है। ऊपर से दासी रखने का घमंड। मैंने तो थोड़ी-बहुत पढ़ाई भी की थी। पर कागज कलम से तो इस घर को बैर है। पता नहीं मेरा क्या होगा। अपनी कहानी लिख नहीं सकती। मां-बाप खुश हैं कि लड़की खाते-पीते घर में गई है। दीदी... आपको बड़ी दीदी कहूं? आप ही बताओ, पेट भरना ही क्या सब कुछ होता है?... औरत को संतोष के सिवा कुछ नहीं चाहिए क्या? और संतोष भी कैसा? छल फरेब का।

दो-तीन दिन बाद बेंच पर सुस्ताती हुई मिली। कैसी हो, आज इधर कैसे आईं। बीना बहन जी के यहां आई थी पैसा लेने। अरे अपने काम की पगार लेने। पूरा पैसा भी नहीं दिया। बाद में देंगीं। अच्छा कमला, तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें बाहर काम कैसे करने दिया। हां दीदी, बाहर तब निकली जब इन पर कुछ कर्ज चढ़ गया था। इन लोगों को लगा, मैं काम करके कुछ पैसे ले आऊंगी। बस अब तो बाहर की खिड़की भी बंद जो जाएंगी।

घर का काम भी बहुत है। गाय-गोरू, चाय-पानी अलग से। ये लोग तो पीकर टुन्न... फिर चुप हो गई। उसकी बातें सुन मैं सन्न रह गई। ऐसा भी होता है! मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूं। तुम्हारे घर वालों से बात...। नहीं, जो करूंगी अब मैं ही। आपको पहाड़ के जोखिम में नहीं डालूंगी। महिला मंडल... कहते-कहते वह फिर चुप हो गई। मन ही मन लगता कुछ संकल्प ले रही हो। चलूं दीदी। दूर जाना है। देखिए कब भेंट होती है। आपसे बात कर मन हल्का हो गया। हम औरतें तो धरती हैं। धरती मैया में ही समाएंगीं।

उस दिन भारी मन से मैं वापस आई। कई दिन कमला से भेंट नहीं हुई। एक हफ्ते के लिए मुझे भी बाहर जाना पड़ा। लौटते ही कमला याद आई। एक अजब बेचैनी थी। तमाम विसंगतियों के प्रति गहरा आक्रोश था। उसका हाल जानने की तड़प मुझे बीना मैम के घर ले गई। दरवाजे की घंटी संकोच से ही बजाई। एक अपरिचय की प्रश्नसूचक जिज्ञासा। किसके बारे में पूछ रही हैं। वही, जो आपके यहां काम करती थी कमला गोरी-सी। हां, उसने तो काम छोड़ दिया। बच्चा होने वाला था। काम करती थी, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं कहां अटका रहता था। अपने छोटे भाई के लिए रोती थी। घर का कर्ज पटाने के लिए वो कहीं बंधुआ मजदूर था। अब वह कैसी है। पता नहीं इन लोगों के बारे में हम क्या जानें। मैं नौकरों को मुंह नहीं लगाती। सिर पर चढ़ जाते हैं। हां वो कहती जरूर थी कि खून की कमी है। उसे वैद्य जी ने बताया था। पता नहीं जिंदा है कि ...। अरे नहीं। ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप... उसे बच्चा हो गया होगा। मैंने सोचा- जच्चा बच्चा कुशल से हों। नास्तिक होते हुए भी कहीं किसी के लिए मेरे हाथ जुड़ गए।

पत्थर में हल्की मिट्टी की परत में भी कैसे नन्हे फूल खिल जाते हैं। हवा संग बिहंसते फूलों में जैसे कमला का चेहरा झांकने लगता है। अरे वाह रे मेरी कल्पना... फिर उसका चिंताकुल चेहरा याद आया। बेटी हुई तो!... अपनी और अपनी नन्ही जान की सुरक्षा कैसे करेगी। वह मां, जिसे नियति ने कोल्हू का बैल बना दिया था। जिसे रूढ़ियों ने आंखों पर हरी पट्टी बांध दी थी। आसपास कांच की बिखरी किरचें थीं। मेरी देह आत्मा को लहूलुहान करती हुई। कमला तुम्हारे बारे मे जान कर रहूंगी।

फिर उसका चिंताकुल चेहरा याद आया। बेटी हुई तो!... अपनी और अपनी नन्ही जान की सुरक्षा कैसे करेगी। वह मां, जिसे नियति ने कोल्हू का बैल बना दिया था। जिसे रूढ़ियों ने आंखों पर हरी पट्टी बांध दी थी। आसपास कांच की बिखरी किरचें थीं। मेरी देह आत्मा को लहूलुहान करती हुई। कमला तुम्हारे बारे में जान कर रहूंगी।

क्या हुआ कमला का... विकल हृदय से शक का धंसा हुआ तीर खींच कर निकालती हूं औ भरपूर ताकत से दूर फेंक देती हूं।

नहींऽऽ अच्छा ही होगा उसके साथ। ❑

सत्ता की भाषा बनाम संत कवि की भाषा

प्रसंग

पंकज पराशर

जिस भक्तिकाल में सत्ता और संत कवियों के बीच की दूरी को बताने के लिए प्रायः मध्यकालीन संत कवि कुंभनदास की बहुचर्चित काव्य-पंक्ति, 'संतन को कहा सीकरी सों काम/ आवत जात पनहियां टूटी, बिसरि गयो हरि नाम' को उद्धृत किया जाता है, वे संत कवि क्या वाकई सत्ता और व्यवस्था से इतने दूर रहते थे कि उनका हर पल हरि नाम के स्मरण में ही बीतता था? क्या वे भक्ति और ईश्वर की आराधना में इतने लीन रहा करते थे कि राजदरबार, सेना, युद्ध, खेल-कूद और सत्ता-व्यवस्था के पचड़ों की उन्हें कोई खबर ही नहीं रहती थी? जबकि सारे संत कवि इसी हिंदी समाज के निवासी थे, ईश्वर भजन के लिए हिमालय की कंदराओं-गुफाओं में रहने के लिए नहीं गए थे। तब यह भला कैसे संभव है कि सत्ता और समाज ने उनकी भाषा, सोच और दैनंदिन को प्रभावित न किया हो? भक्तिकाल के संत कवियों को लेकर विद्वानों ने कहा है कि उन्होंने लौकिक सत्ता की जगह ईश्वरीय सत्ता को माना और दरबारी कवि बन कर अपना इहलोक सुधारने की जगह त्यागी और वैरागी बन कर परलोक सुधारने की चिंता को ज्यादा श्रेयस्कर समझा।

भक्तिकाल के उदय से लेकर उसके सामाजिक आधारों तक पर विशुद्ध इतिहास से लेकर हिंदी आलोचना के विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। पर इतिहास में पैठने के बाद जब इतिहास में भाषा और इतिहास की भाषा में छिपे हुए अनकहे इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो बेहद रोचक चीजें निकल कर सामने आती हैं।

कविता के स्रोतों का अध्ययन समाज के अध्ययन का ही अंग है। कला को कला के भीतर से नहीं, बल्कि उसके बाहर से (यानी समाज के भीतर से) देखना चाहिए। कला या साहित्य की आलोचना शुद्ध सर्जना या शुद्ध रसास्वादन से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें एक समाजशास्त्रीय तत्त्व निहित होता है। समाज की आलोचना और सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों पर चोट के संदर्भ में प्रायः कबीर की चर्चा की जाती है, बावजूद इसके कि कबीर पर भी संत कवि के दायरे में विचार किया जाता है, लेकिन तुलसीदास ने तो राम से बड़ा किसी और न मान कर और तत्कालीन मुगल दरबार से सर्वथा अलग रह कर भी दरबार, युद्ध और अन्य सामाजिक गतिविधियों को गहराई से देखा-समझा था।

फारसी उस समय राजकाज की भाषा थी। जैसे आजकल राजकाज और प्रशासन से जुड़ी अंगरेजी के बहुत सारे शब्द हमारी समाज-भाषा में इस कदर घुल-मिल गए हैं कि निरक्षर लोग भी अनेक शब्दों का सहज की प्रयोग करते हैं। उसी तरह मध्यकालीन भारतीय समाज में दरबारी और प्रशासनिक शब्दों का जनता की भाषा में सहजता से घुल-मिल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। दूसरी बात कि जनभाषा के आग्रही जिन तुलसी ने संस्कृत भाषा का अगाध पांडित्य के बावजूद लोकभाषा अवधी को अपनी कविताई के लिए चुना था, उन तुलसी की भाषा कृत्रिम और लोक की रंगो-बू से सर्वथा अलग कैसे हो सकती थी? तुलसी के काव्य में प्रयुक्त अरबी-फारसी-तुर्की के शब्द इसलिए आए हैं कि वे लोकभाषा में लिख रहे थे और तत्कालीन लोकभाषा में तत्कालीन शासन-प्रशासन से जुड़े विदेशज शब्द घुल-मिल कर खांटी देशज शब्द की तरह हो चुके थे। सत्ता की भाषा और उसकी शब्दावली के प्रयोग के माध्यम से उन्हें सत्ताधीशों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं थी।

आज भी फौज की तकनीकी शब्दावली से अपरिचित लोग प्रायः इस बात से परिचित नहीं होंगे कि फौज के सिपाही जहां रहते हैं, उस विशेष स्थान को क्या कहते हैं? मगर संत कवि तुलसी कहते हैं, 'दीजै भगति बांह बैरक ज्यों सुबस बसै अब खेरो' (विनयपत्रिका) यानी सिपाही 'बैरक' में रहते हैं। मुगलकालीन सत्ता संरचना में वजीर के साथ दीवान का ओहदा काफी अहम माना जाता था और अकबर के समय में 'दीवान-ए-आला', 'दीवान-ए-सूबा', 'दीवान-ए-खालेसा', 'दीवान-ए- फौजदारी' और 'दीवान-ए-सरफे-खास' जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण पद थे। इसी तरह तुलसी ने एक दिलचस्प प्रशासनिक शब्द 'सरखत' का प्रयोग किया है। सरखत दरअसल वह पत्र, था जो सरकारी कर्मचारी को पहले दिन लिखा जाता था और जितना भी द्रव्य उसे दिया जाता था उसी पर वसूल किया जाता था। इस शब्द के 'आईन-ए-अकबरी' में मिले संदर्भ के अनुसार सरखत जागीर प्रदान करने का एक फरमानचा था, जिसे 'फरमाने-सब्त' कहते थे। यह सरखत प्रधान बख्शी 'तालिका' के बदले में देता था और फिर यही सरखत बादशाह की सेवा में भेजा जाता था।

इसी प्रकार तुलसी ने 'मंसबदार' शब्द का प्रयोग किया है। मुगलकाल में 'मंसब' दरअसल एक ओहदा या कहें रैंक होता था, जिस पद पर आसीन अधिकारी को 'मंसबदार' कहते थे। अबुल फजल के मुताबिक तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर के युग में सबसे बड़े मंसबदार शहजादा सलीम थे, जिन्हें दस हजार का मंसब मिला हुआ था। शहजादा मुराद को आठ हजार और शहजादा दानियाल को सात हजार का मंसब प्राप्त था। उस समय के चार सौ पंद्रह मंसबदारों में इक्यावन मंसबदार हिंदू थे।

'तुपक', 'तोपची' और 'दारू' यानी बारूद (काल तोपची तुपक महि दारू अनय कराल)। तुपक तथा तोपची शब्द फारसी भाषा से तुर्की में आए हुए हैं। तुपक तोप को कहते हैं और तोपची तोप चलाने वाले को कहा जाता है। कालांतर में आमजन के बीच तुपक से अधिक तोप शब्द प्रचलित हुआ और फारसी में इसका थोडा-सा अलग रूप तुपक की जगह 'तुफंग' प्रचलित हुआ। तुपक तथा तोप शब्द का प्रयोग भक्तिकाल के अनेक कवियों ने किया है और इस शब्द के प्रयोग के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। मसलन, पहले सिख गुरु, गुरु नानक कहते हैं, 'कोटिन तुपक करोरन बाना सहसन अजगर चलै कमाना' और 'वीर चरित्र' में केशवदास कहते हैं, 'तुफ सर छुट्टहिं तरुबर टुट्टहिं फुट्टहिं काय कवच्च घने'। 'पलीता' और 'गोला' ('पाप पलीता कठिन गुरु गोला पुहुमी पाल'- तुलसी और 'प्रेम पलीता सुरति नालि करि, गोला ज्ञान चलाया'- कबीर), 'तरकस' और 'तीर' (तन तरकस से जात है सांस सरीखे तीर'), 'कमान' (बान कमान निषंग कसें), 'सीपर' (लागति सांगि बिभीषन पर सीपर आपु भए हैं), 'ताजी' (पारावत मराल सब ताजी), 'पील' (पील-उद्धरन सील सिंधु ढील देखियत), 'कोतल' (कोतल सग जाहिं डोरिआए), 'जीन' (रुचि-रुचि जीन तुरंग तिन्ह साजे) और 'जंजीर' (झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जरे मद अंबु चुचाते)।

तुलसी के काव्य में प्रयुक्त ये तमाम शब्द इस बात की तस्दीक करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय समाज में फौज, युद्ध, सेना और हथियार से जुड़े हुए तमाम शब्द आम चलन में थे, क्योंकि इससे यह भी ध्वनित होता है कि युद्ध के बादल मध्ययुगीन समाज में बराबर छाए रहते थे।

एक शब्द है 'शहर' (बूझिए न ऐसी गति संकर सहर की) और जब आप शहर जाएंगे तो कुछ खरीदते हुए 'दाम' (करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधिन दाम को) तो चुकाएंगे ही। प्रशासन से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द, जो तुलसी के काव्य में भी उसी तरह प्रयुक्त हुआ है, वह शब्द है 'कोतवाल' (कालनाथ कोतवाल दंड करि दंडपानि सभासद गनत से अनित अनूप), जिसके मूल उत्स के बारे में मध्यकालीन काव्य-भाषा के मर्मज्ञ विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि 'कोट्टपाल' संस्था का आविर्भाव हर्ष के समय में ही हो गया था। तुलसी के काव्य में बादशाह की सेना, युद्धास्त्र आदि के बारे में अनेक शब्द मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तत्कालीन शासक के शस्त्रागार और लश्कर को देखने का अवसर अवश्य मिला होगा, वरना इस क्षेत्र से संबंधित उनकी शब्दावली इतनी समृद्ध न होती। उदाहरण के लिए देखें, 'फौज' (हहरानी फौजें महरानी जातुधान की) शब्द का प्रयोग तुलसी ने एकवचन फौज तथा बहुवचन फौजें दोनों ही रूपों में किया है। फौज दरअसल अरबी भाषा का शब्द है, जो सेना के लिए प्रयुक्त होता है। इसी शब्द में 'दार' जोड़ कर 'फौजदार' शब्द बनाता है, जिसका सुंदर प्रयोग केशवदास ने किया है, 'फोजदार सिकदार सूर सरदार सहायक'।

चित्र: श्रीगोपाल व्यास

इन क्षेत्रों के अलावा तुलसी सहित भक्तिकाल के अनेक कवियों के काव्य में तत्कालीन वाद्य यंत्र, खेल-कूद, व्यवसाय, व्यवसायी तथा कला-कौशल से संबंधित क्षेत्रों की शब्दावली का इस्तेमाल भी भरपूर हुआ है। ❑

फारसी उस समय राजकाज की भाषा थी। जैसे आजकल राजकाज और प्रशासन से जुड़ी अंगरेजी के बहुत सारे शब्द हमारी समाज-भाषा में इस कदर घुल-मिल गए हैं कि निरक्षर लोग भी अनेक शब्दों का सहज प्रयोग करते हैं। उसी तरह मध्यकालीन भारतीय समाज में दरबारी और प्रशासनिक शब्दों का जनता की भाषा में सहजता से घुल-मिल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था।

योग से बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता

योग दर्शन

डॉ. वरुण वीर

आधुनिक जीवन शैली में हमारा आहार, विहार, आचरण जिस तरह प्रभावित हुआ है उसका हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ा है। जब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अंदर से कमजोर हो जाती है तब व्यक्ति जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द आदि बीमारियां लगातार शरीर को जकड़े रखती हैं। आज के जीवन में टॉक्सिन, प्रदूषण, भोजन का गलत चयन तथा नकारात्मक विचार हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देते हैं। पाचन तंत्र का ठीक न होना भी इस रोग का बहुत बड़ा कारण है।

आप जो कुछ खाते हैं उसका पचना जरूरी है। जब भोजन ठीक से पच जाता है तब सप्त धातु का निर्माण होता है। भोजन से शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा अंतिम धातु शुक्र (वीर्य) बनता है, जो कि शरीर को चलाने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक न हो तो सप्त धातु में दोष आने लगता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अत्यधिक चिंता, तनाव, विफल होने का भाव, नींद का पूरा न होना, भय, अविश्वास आदि भी रोग उत्पन्न करने में सहायक हैं।

प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बाबंद खाना शरीर के लिए हानिकारक है। जन्म से लेकर दो-तीन वर्ष की आयु तक बच्चों को सबसे अधिक प्रोसेस्ड फूड खिलाया जाता है। इसी उम्र का भोजन बच्चे के स्वास्थ्य की नींव होता है और आगे चल कर इस प्रकार का भोजन बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है।

भोजन द्वारा उपचार

इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योगासन तथा प्राणायाम के साथ-साथ उचित भोजन का चयन भी आवश्यक है।

- भोजन वह लें जो सुपाच्य हो। देर से पचने वाला भोजन त्याग दें। दही, छाछ का सेवन अधिक करें।
- पत्तेदार सब्जियां जो कि एंटी ऑक्सीडेंट होती हैं। पचने में सरल हैं, जो कि सप्त धातु को बनाने में सहायक होती हैं।
- पांच ग्राम दालचीनी एक कप गरम पानी में दिन में कभी भी सेवन करें।
- लहसुन शरीर का विष निकालने में अत्यधिक सहायक है। रात को सोने से पहले एक से दो कली लहसुन की चबा कर या पीस कर ठंडे पानी के साथ पंद्रह से बीस दिन तक लगातार लें।
- पंद्रह से बीस बादाम रात को पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतार कर चबाएं।
- मशरूम और ब्रोकली का सूप या फिर सब्जी बना कर दो बार सप्ताह में जरूर प्रयोग करें।
- कच्ची हल्दी एंटीफंगल होती है। इसका दो चम्मच रस प्रतिदिन सुबह खाली पेट लें तथा दशहरे के बाद की पहली पूर्णमासी से लेकर होली के बाद की पूर्णमासी तक प्रति रात सोने से पहले एक चम्मच तवे पर भुनी हुई हल्दी या सामान्य हल्दी का पाउडर एक गिलास गाय के दूध के साथ पीकर सो जाएं और सुबह तक पानी न पीएं। यह नुस्खा आपके इम्यूनिटी को अत्यधिक शक्तिशाली बना देगा और पूरे वर्ष सर्दी, खांसी, जुकाम,बुखार नहीं होने देगा तथा साइनस को समाप्त कर देगा।
- अदरक पाचन तंत्र को ठीक रखता है, भूख बढ़ाता और रक्त को पतला बनाता है, जिससे कि शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहता है। साथ ही तुलसी अश्वगंधा का भी प्रयोग लाभकारी है। श्वेत रक्त कणिका मशरूम से बनती हैं। चुकंदर, गाजर का सेवन लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है।
- इम्यून सिस्टम को अत्यधिक बलशाली बनाने में गिलोय की भूमिका सबसे अधिक है। गिलोय का रस, चूर्ण, गोली का सेवन डॉक्टर के परामर्श अनुसार जरूर करना चाहिए।

योगासन द्वारा उपचार

वैसे तो सभी आसन शरीर को लचीला सुदृढ़ तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष आसन इम्यूनिटी

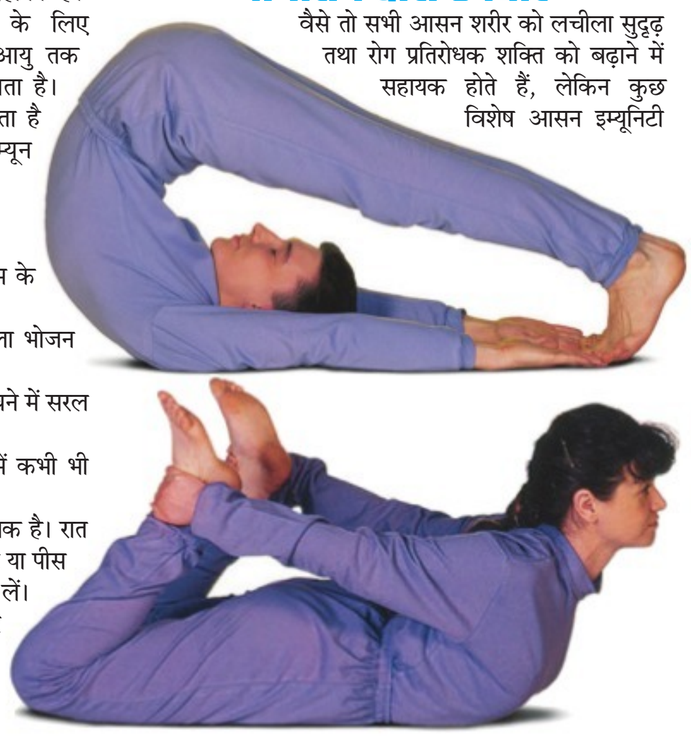

बढ़ाने में अत्यधिक सहायक होते हैं। दस से पंद्रह दिन तक ही आसन करने से इसका लाभ आपको दिखना आरंभ हो जाता है।

पश्चिमोत्तानासन: समतल जमीन पर बैठें। दोनों पैर सीधे रखते हुए कमर सीधी रखें। गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाते हुए ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें तथा पंजों को हाथों से पकड़ लें। जितना सरलता पूर्वक आगे की ओर झुक सकें झुक जाएं और माथे को घुटने से छूने का प्रयास करें। दो-तीन मिनट तक सरलता पूर्वक रुकें। श्वास सामान्य रखें तथा ध्यान शरीर के खिंचाव तथा दबाव पर रखें। जिस प्रकार से आसन आरंभ किया था, उसी विपरीत क्रम से आसन को समाप्त करें।

धनुरासन: पेट के बल लेट कर पीछे से दाएं पैर के टखने को दाएं हाथ से तथा बाएं पैर के टखने को बाएं हाथ से पकड़ें। गहरा लंबा श्वास भरते हुए आगे से छाती और कंधों को तथा पीछे से दोनों पैरों और जांघों को ऊपर उठा दे और पैरों को आकाश की दिशा में ले जाएं और सांस को सामान्य छोड़ दें। तीन से पांच मिनट तक करें। इस आसन को एक मिनट से शुरू करते हुए तीन से पांच मिनट तक करने का अभ्यास बनाएं। आसन में ध्यान नाभि केंद्र पर रखें और जैसे हृदय में धड़कन होती है ऐसा ही नाभि में भी महसूस करें।

सर्वांगासन: पीठ के बल लेट कर दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने दोनों पैरों तथा कमर को ऊपर की ओर उठा दे इस स्थिति में शरीर का सारा भजन दोनों कंधों, गर्दन तथा सिर पर आ जाएगा और एनर्जी का प्रभाव सिर की ओर हो जाएगा। इस स्थिति में सिर तथा गर्दन को सीधा रखें। दाएं-बाएं मोड़ने का प्रयास न करें। एक मिनट से रुकते हुए तीन से पांच मिनट तक इस आसन का अभ्यास करें

हलासन: सर्वांगासन की ही स्थिति में रहते हुए दोनों पैरों को सिर के पीछे जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। शरीर में सबसे अधिक दबाव गर्दन तथा कंधों पर आएगा और खिंचाव रीढ़ की हड्डी में अनुभव होगा। ठोड़ी से थायराइड ग्लैंड पर दबाव बनेगा। श्वास सामान्य गति से रखें। लगभग तीन से पांच मिनट तक रोकने का प्रयास करें। वापस आने के लिए दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए सहारा लें और धीरे-धीरे कमर, नितंब तथा दोनों पैरों को सहज भाव से जमीन पर ले आएं। पांच से दस बार गर्दन को दाएं से बाएं मोड़ें जिससे की गर्दन में कोई खिंचाव या दबाव न रह जाए।

शीर्षासन: इस आसन का अभ्यास योग शिक्षक की उपस्थिति में ही करें अन्यथा हानि हो सकती है। शीर्षासन को करने के लिए शक्ति से ज्यादा आत्मविश्वास तथा संतुलन की आवश्यकता है। जमीन पर कंबल या फिर आधा इंच मोटी सूती चादर बिछा लें। सिर पर जहां से बाल शुरू होते हैं वहां से चार अंगुल पीछे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कस कर आपस में जकड़ें। जमीन पर सिर को धीरे से रखें। दोनों कोहनी हाथों की कुछ उंगलियां और सिर का अग्रभाग जमीन पर टिका दें। तब धीरे-धीरे संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों, कमर, छाती पूरा शरीर हवा में उठाते हुए आकाश की ओर ले जाएं। शरीर का सारा वजन सिर, कंधों तथा हाथों पर रहेगा। ध्यान रहे, गर्दन पर दबाव बिल्कुल न रहे। संतुलन बनाते हुए दो से पांच मिनट तक इस आसन में रुकने का अभ्यास करें। वापस आते समय जैसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर गए थे, वैसे ही धीरे-धीरे नीचे आ जाएं। शीर्षासन के तुरंत बाद तीन मिनट के लिए शवासन अर्थात पीठ के बल आंख बंद करके लेट जाएं।

प्राणायाम

कपालभाति: कमर सीधी रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा में रखें। धीरे-धीरे श्वास को नाक से बाहर छोड़ने की कोशिश करें। श्वास लेने की आवाज न आए, बल्कि श्वास छोड़ने की आवाज तीव्र गति से आए। जैसे छींकते हैं ऐसी ही आवाज कपालभाति प्राणायाम करते समय आए।

भस्त्रिका प्राणायाम: तीव्र गति से श्वास अंदर बाहर करना है। श्वास अंदर लेते हुए पेट बाहर तथा श्वास छोड़ते समय पेट अंदर रखें। इस प्राणायाम से फेफड़ों की शुद्धि तथा अत्यधिक शक्ति मिलती है।

उज्जाई प्राणायाम: नाक से गहरी लंबी श्वास भीतर लेते और छोड़ते हुए अपनी ग्रीवा की अंतरंग मांसपेशीयों को सख्त करें तथा ग्रीवा में कंपन महसूस करें। ■

जेआरडी टाटा

जन्म : 29 जुलाई, 1904
निधन : 29 नवंबर, 1993

शख्सियत

जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी जेआरडी टाटा भारत के विमानन उद्योग और अन्य उद्योगों में अग्रणी थे। वे दशकों तक टाटा समूह के निदेशक रहे और इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों का भारत में विकास किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की। भारत के लिए महान इंजीनियरिंग कंपनी खोलने के सपने के साथ उन्होंने 1945 में टेल्को की शुरुआत की, जो मूलतः इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव के लिए थी।

व्यावसायिक जीवन

- 10 फरवरी, 1929 को टाटा ने भारत में जारी किया गया पहला पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। सन 1932 में उन्होंने भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन- टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो 1946 में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया बनी। बाद में उन्हें भारतीय नागर विमानन के पिता के रूप में जाना जाने लगा।
- सन 1925 में वे एक अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में टाटा ऐंड संस में शामिल हो गए थे। वर्ष 1938 में उन्हें भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा ऐंड सन्स का अध्यक्ष चुना गया। दशकों तक उन्होंने स्टील, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, रसायन और आतिथ्य के क्षेत्र में कार्यरत विशाल टाटा समूह की कंपनियों का संचालन किया। वह अपने व्यापारिक क्षेत्र में सफलता और उच्च नैतिक मानकों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे।
- उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह की संपत्ति एक हजार लाख डॉलर से बढ़ कर पांच अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। उन्होंने अपने नेतृत्व में चौदह उद्यमों के साथ शुरुआत की थी, जो 26 जुलाई, 1988 को उनके पद छोड़ने के समय, बढ़ कर पंचानबे उद्यमों का एक विशाल समूह बन गया। उन्होंने वर्ष 1968 में टाटा कंप्यूटर सेंटर (अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) और सन 1979 में टाटा स्टील की स्थापना की।
- वे पचास वर्ष से अधिक समय तक, सन 1932 में स्थापित सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। उनके मार्गदर्शन में इस ट्रस्ट ने राष्ट्रीय महत्त्व के कई संस्थनों की स्थापना की, जैसे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस, 1936), टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर, 1945), एशिया का पहला कैंसर अस्पताल, टाटा मेमोरियल सेंटर और प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय केंद्र।
- सन 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना की। जेआरडी टाटा ने सन 1948 में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल का शुभारंभ किया। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया।

पुरस्कार और सम्मान

जेआरडी टाटा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय वायु सेना ने उन्हें ग्रुप कैप्टन की मानद पद से सम्मानित किया था और बाद में उन्हें एयर कमोडोर पद पर पदोन्नत किया गया। फिर 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल पद दिया गया। विमानन के लिए उनको कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें सन 1986 में कनाडा स्थित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार और सन 1988 में डैनियल गुग्नेइनिम अवार्ड उल्लेखनीय हैं। सन 1955 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके निःस्वार्थ मानवीय प्रयासों के लिए सन 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

निधन

29 नवंबर, 1993 को गुर्दे में संक्रमण के कारण जिनेवा में नवासी वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनको पेरिस में पेरे लेचसे नामक कब्रिस्तान में दफनाया गया। ■

भोजन भी औषधि भी

कहते हैं, भोजन में एक पत्तेदार सब्जी जरूर रखें। अगर यह रोज संभव नहीं है, तो हफ्ते में कम से कम दो दिन पत्तेदार सब्जियां यानी साग अवश्य भोजन में शामिल करना चाहिए। बरसात में कई लोग साग खाना ठीक नहीं मानते, पर कुछ साग ऐसे हैं, जो इसी मौसम में पैदा होते हैं और उन्हें खाना निरापद होता है। पालक, चौलाई जैसे गरमी के साग के बजाय मौसमी साग खाएं। साग भोजन के साथ औषधि भी होता है। इस बार ऐसे ही कुछ सागों के बारे में बात करेंगे।

करमू का साग

करमू, करेमू या करमी बरसात में कुदरती उग आने वाला साग है। इसकी खेती नहीं होती। यह पानी वाली जगहों पर खुद जाता है। इस तरह इसमें दूसरी फसलों की तरह खाद-पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। यों हर साग में एंटी आक्सीडेंट होता है, जो हमारे रक्त का प्रवाह सुचारु बनाता है, पर करमू में यह गुण कुछ अतिरिक्त होता है। यह खून बढ़ाने में भी मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, उन्हें करमू का साग खाने से लाभ मिलता है। करमू का साग आजकल शहरों की मंडियों में बड़ी सहजता से मिल जाता है। यह चूंकि पानी वाली जगहों पर होता है, इसलिए इसकी सफाई में विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके मोटे डंठल को अलग कर दें। सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल करें।

दाना-पानी

मानस मनोहर

किसी भी साग में प्याज-टमाटर डालने की जरूरत नहीं होती। करमू के साग में भी मत डालें। इस तरह इसे बनाना बहुत आसान भी है। इसे मुख्य रूप से दो तरह से बनाया जाता है। एक तो इसे सीधे छौंक कर पका लिया जाता है, दूसरे किसी दाल के साथ इसे, पकाया जाता है।

करमू के साग का चावल-दाल के साथ अच्छा मेल बैठता है। इसके लिए करमू के पत्तों को ठीक से धोकर साफ कर लें। छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर कड़ाही में एक चम्मच सरसों का तेल या फिर देसी घी गरम करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च, हींग और बारीक कटे लहसुन का तड़का लगाएं और करमू को छौंक दें। चलाते हुए पकाएं। चाहें तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा सकते हैं, ताकि पत्तियां जल्दी नरम हो जाएं। वैसे खुला रख कर भी पका सकते हैं। जब पत्तियां नरम हो जाएं तो ऊपर से नमक, हल्दी, थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा-सा सब्जी मसाला डाल कर चलाते हुए पानी सूखने तक चलाते हुए पका लें।

पर इसे रोटी के साथ खाना हो, तो किसी दाल के साथ पकाना बेहतर रहता है। करमू का साग दो में से किसी एक दाल के साथ पकाया जाता है- मूंग और चना। चना दाल के साथ पकाना हो, तो कम से कम चार-पांच घंटे पहले दाल को भिगो कर रखें। फिर कड़ाही में तड़का देकर पहले दाल को नरम होने तक पका लें। फिर उसमें कटे हुए करमू के पत्ते डालें। ध्यान रखें कि दाल की मात्रा अधिक न हो। फिर उसमें नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और सब्जी मसाला डाल कर कड़ाही पर ढक्कन लगा दें और पत्तों के नरम होने तक पकने दें। पानी बहुत कम डालें। दाल पतली न रखें। पानी इतना ही हो कि दाल और पत्ते आपस में मिले रहें।

इसी तरह मूंग दाल के साथ पकाना चाहते हैं तो दाल को एक घंटे पहले भिगो दें और फिर तड़का देकर पहले मूंग दाल को डालें। हल्का-सा पानी डाल कर एक उबाल आने दें और फिर उसमें करमू के पत्ते, नमक और मसाले डाल कर ढक कर पकने दें। मूंग की दाल चूंकि कोमल प्रकृति की होती है, इसलिए वह पत्तों के पानी से ही गल जाएगी। इसे रोटी या चावल के साथ खाएं।

सनई के फूल का साग

सनई एक ऐसी फसल है, जो रस्सियों के लिए रेशे पैदा करने के लिए बोई जाती है। इसके औषधीय गुण बहुत हैं। कब्ज की यह रामबाण औषधि है। कब्ज संबंधी जो भी आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं, उनमें से ज्यादातर में सनई के पत्ते का उपयोग किया जाता है। इस तरह जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें इस मौसम में मिलने वाले सनई के फूलों का साग हफ्ते में कम से कम दो दिन अवश्य खाना चाहिए। जिन्हें यह समस्या नहीं है, वे स्वाद के लिए भी खाएं, तो इसकी तासीर लाजवाब होती है।

सनई के फूल आजकल शहर की मंडियों में आसानी से मिल जाता है। इसे धोकर ठीक से साफ कर लें। इसमें भी प्याज-टमाटर डालने की जरूरत नहीं होती। चाहें, तो हरी मटर के कुछ दाने डाल सकते हैं।

एक कड़ाही में एक चम्मच सरसों का तेल या देसी घी गरम करें और जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगाएं। उसमें सनई के फूलों को छौंक दें। थोड़ी देर चलाते हुए फूलों को नरम होने तक पकाएं। फिर उसमें हरी मटर के दाने और नमक, हल्दी और गरम मसाला डालें और ढंक कर पकने दें। अगर जरूरत हो, तो थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाएं और फूलों को ठीक से नरम होने तक पकाएं।

अगर हरी मटर के दाने न डालना चाहें, तो इस साग में कुछ मूंगदाल की सादा बड़ियां डाल सकते हैं। बड़ियां डालनी हों, तो सनई के फूलों को छौंकने से पहले बड़ियों को हल्का-सा तल लें और फिर ऊपर से सनई के फूलों को डाल कर पकाएं। इसमें थोड़े पानी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आधा कप पानी डाल दें और पानी सूख जाने तक पकाएं। ■

बरसात में आंखों की देखभाल

सेहत

बरसात के समय आंखों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इस मौसम में चूंकि वातावरण में नमी होती है, जगह-जगह पानी भरा होता है, अनेक जगहों पर कूड़ा-कचरा जमा और सड़ता रहता है, इसलिए उन पर बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो आंखों में संक्रमण का कारण बनते हैं। इसके अलावा इस मौसम में कभी बादलों की वजह से छाया रहती है, तो कभी तेज और तीखी चमक वाली धूप निकली होती है, जो आंखों में चौंध पैदा करती है। इससे रेटिना पर असर पड़ता है। इसलिए इस मौसम में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है।

संक्रमण

इस मौसम में अंखों में संक्रमण तेजी से फैलता है, जिससे आई फ्लू हो जाता है, जिससे रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार समय से और उचित इलाज न मिल पाने के कारण आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय धूप का चश्मा जरूर पहनें। इससे धूप की चौंध से आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। फिर हवा के साथ उड़ते बैक्टीरिया से भी बचाव होगा। रोज सुबह सोकर उठते ही पानी के छींटे मार कर अंखों की सफाई करें। जब नहाने जाएं, तब भी साफ पानी से अंखों को ठीक से धोएं। इस तरह संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर आपको तैराकी का शौक है या बच्चों को तैराकी के लिए भेजते हैं, तो तैराकी का चश्मा जरूर पहनें, इससे दूसरों की अंखों का संक्रमण आपको लगने से बच जाएगा। गंदे पानी से आंखों के संक्रमण का खतरा अधिक रहता है।

अगर आंखों का संक्रमण हो जाता है, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना और उचित इलाज कराना चाहिए।

खुजली न करें

बारिश में भीगने या फिर तेज धूप में घूमने-फिरने से आंखों में खुजली होने लगती है। आंखों में धूल-मिट्टी जाने और वैक्टीरिया के प्रकोप से भी आंखों में खुजली होती है। इसलिए कभी भी अंखों को गंदे हाथों से न खुजलाएं। अंखों में अंगुली न डालें। अगर खुजली हो रही हो, तो पानी के छींटे मार कर खुजली को शांत करें। रगड़ने या अंगुली डालने से तत्काल खुजली तो शांत हो सकती है, पर फिर उसमें जलन शुरू हो जाती है। आंखों में कीचड़ आने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं। क्या पता, हाथों में बैक्टीरिया चिपके हों और वे आंखों के संक्रमण को बढ़ा दें।

नमी वाली जगहों पर जाने से बचें

बरसात में कई जगहों पर पानी भर जाता है और लंबे समय तक जमा रहता है। ऐसे पानी में बैक्टीरिया और संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु पनपते रहते हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर कहीं घूमने-फिरने के क्रम में किसी नदी-तालाब की तरफ जाते हैं, तो वहां संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया की गिरफ्त में आ सकते हैं। जिन पार्कों में नियमित साफ-सफाई नहीं रहती और नमी अधिक रहती है या खर-पतवार सड़ते रहते हैं, उनमें टहलने या खेलने से बचें।

पानी के छींटे मारें

देर रात तक जग कर पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने से आंखों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। थोड़े-थोड़े समय बाद आंखों को आराम दें। बीच-बीच में उठ कर अंखों पर पानी के छींटे मार लिया करें। इस तरह आंखों की सफाई भी होती रहेगी और आंखों की मांसपेशियों को आराम भी मिलेगा।

शृंगार के समय बरतें सावधानी

महिलाएं शृंगार करते समय आंखों में काजल, मस्कारा वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। चूंकि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए वे इस मौसम में आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। अव्वल तो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं की एक्सपायरी डेट देखते रहना चाहिए। फिर अगर ज्यादा जरूरी न हो तो बरसात में काजल, मस्कारा आदि के उपयोग से परहेज करना चाहिए। इनका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि ये आंखों की पुतलियों के संपर्क में न आएं।

गुलाब जल डालें

आंखों की सफाई के लिए गुलाब जल उत्तम औषधि है। दिन भर बाहर रहने, कंप्यूटर पर काम करने या पढ़ने-लिखने से आंखों में गंदगी जाती है, मांस पेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे में गुलाब जल आंखों की गंदगी बाहर निकालता और उनको ठंडक पहुंचाता है। रात को सोने से पहले अगर आंखों में एक-एक बूंद गुलाब जल डाल कर थोड़ी देर आंखों को बंद रखें, तो आंखों की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, आंखों को आराम मिलता है। इस तरह सुबह उठने पर आंखों में कीचड़ नहीं बनता। ■

जरूरी है रसोई की सफाई

घर में रसोई की जगह सबसे पवित्र मानी जाती है। पुराने लोग रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। पर अब रसोई में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। रसोई घर में चिकनाई, दाल, सब्जी वगैरह गिरते रहने से गंदगी जमती रहती है, जो सामान्यतया दिखाई नहीं देती। बरसात के मौसम में नमी पाकर उस गंदगी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो भोजन के रास्ते हमारे शरीर में पहुंच कर सेहत को खराब करते हैं। रसोई की सफाई के बारे में बता रही हैं वंदना सिंह।

बरसात का मौसम सभी को भाता है। झुलसाती गर्मियों के बाद ठंडी फुहार न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देती है, बल्कि जीवन में भी एक नया उल्लास भर देती है। मगर सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारियां भी बरसात में ही होती हैं। हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए जहां भोजन पकता है यानी रसोई घर को पवित्र जगह के रूप में माना जाता है। अगर वह साफ नहीं है तो उसके दुष्परिणाम घर के सभी सदस्यों को झेलने पड़ते हैं। इसलिए पुरने लोग रसोई की पवित्रतता यानी साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। अब चूंकि रसोई में तरह-तरह के आधुनिक उपकरण इस्तेमाल होने लगे हैं, उनकी साफ-सफाई का कुछ अलग तरह से ध्यान रखना पड़ता है।

गैस चूल्हा

बरसात के मौसम में हर समय आर्द्रता यानी नमी बनी रहती है। हमारा गैस का चूल्हा जिस पर पूरे दिन कुछ न कुछ पकता रहता है, चिकनाई और अन्य तरल पदार्थ उसके पेचों, सिलिंडर के पाइप, चूल्हे आदि पर जाने-अनजाने गिरते रहते हैं। पोंछने के बाद भी उसका कुछ न कुछ अंश चिपका रह जाता है। मौसम की नमी पाकर इस चिकनाई, मसालों, रसा वगैरह के बचे अंश में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में चूल्हे की सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनकी सफाई हर तीसरे-चौथे दिन गरम पानी में नींबू का रस और डिटर्जेंट पाउडर मिला कर करें। इससे न सिर्फ आपका गैस चूल्हा चमकेगा, बल्कि उसमें पल रहे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे।

चिमनी और पंखे

पहले घरों में चिमनियां हुआ करती थीं। उसकी जगह आज के जमाने में इलेक्ट्रिक चिमनी और एक्जॉस्ट पंखे ने ले ली है। ये जितने उपयोगी हैं उतनी देखरेख भी मांगते हैं। अगर इनकी नियमित सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो एक समय के बाद चिकनाई और उसमें चिपकी गंदगी इनमें से टपकने लगती है, जो खाद्य पदार्थों पर भी गिर सकती है। इनकी सफाई एक महीने के अंतराल पर जरूर करनी चाहिए, जिसे आप खुद भी कर सकते हैं या फिर क्लीनर से भी साफ करवा सकते हैं। अगर आपको खुद करना है तो गरम पानी में बेकिंग सोडा और डिश वॉश सोप मिला कर ब्रश की मदद से चिमनी को साफ कर सकते हैं। हाथों में दस्ताने पहनना न भूलें, क्योंकि चिकनाई युक्त गंदगी आपके हाथों में लग सकती है। एक्जॉस्ट फैन को साफ करने से कुछ देर पहले उसके डैनों को खोल कर गरम पानी में डुबों दें।

माइक्रोवेव ओवन

आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ओवन हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत बन गया है। बरसात के मौसम में इसमें भी नमी आ जाती है। इसकी नियमित सफाई बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कांच की कटोरी में आधा भर के पानी लें और उसमें सफेद सिरका एक चम्मच डाल दें और माइक्रोवेव के अंदर रख दें और पांच मिनट के लिए इसे चालू कर दें। इसके बाद कटोरी को बाहर निकल लें। अब एक सूखे कपड़े से पोंछ दें, अंदर की चिपचिपाहट बड़ी ही आसानी से साफ हो जाएगी। उसकी कांच की ट्रे को बहर निकाल कर साफ कर लें। न भूलें कि माइक्रोवेव की सर्विस साल में एक बार जरूर करवा लें, क्योंकि इसमें नमी के कारण छोटे-छोटे कॉकरोच अंदर ही अंदर पैदा हो जाते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। इसको पूरा खोल कर साफ करवाना जरूरी है।

रेफ्रिजरेटर

अगर हम फ्रिज को छोटा भंडारघर कहें, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि खाने योग्य खाद्य-पदार्थों को सुरक्षित रखने में फ्रिज की अहम भूमिका है। इसलिए इसकी साफ-सफाई भी उतनी ही अहम है। वैसे तो फ्रिज साफ करने का कोई समय नहीं होता, जब लगे कि फ्रिज थोड़ा खाली हो गया है, तो उसे डीफ्रॉस्ट करके सारा सामान बाहर निकल दें। फ्रिज साफ करने के लिए घरेलू क्लीनर बेहतर उपाय है। इसे बनाने के लिए एक कप अमोनिया, आधा कप विनेगर और चौथाई कप बेकिंग सोडा लें। इन सबको एक स्प्रे बोतल में डाल कर थोड़ा पानी मिला कर हिला लें। फ्रिज साफ करने का घरेलू क्लीनर बन जाएगा। इससे आप हर हफ्ते अपने फ्रिज को अंदर से बहर तक साफ कर सकते हैं। यह फंफूद लगने से भी बचाता है।

रसोईघर की सिंक

सिंक में जूठे बर्तन, चिकनाई युक्त बर्तन धुलते हैं, जिससे चिपचिपा ग्रीस जम जाता है। यों तो ज्यादातर लोग डिश बार से ही सिंक को भी साफ कर लेते हैं, पर उससे गंध नहीं जाती है। सिंक से चिचिपा ग्रीस हटाने के लिए पहले गरम पानी डालें, उसके बाद आधा कप सफेद सिरका डालें और बेसिन को थोड़े से बेकिंग पाउडर से साफ करें। सिंक के पाइप की अनदेखी न करें। महीने में एक बार उसे निकाल कर चौड़े ब्रश की मदद से बाहर से साफ करें और समय-समय पर उसे बदलतें भी रहें।

अन्य भाग

किचन की कैबिनेट यानी जिस पर चूल्हा रखा जाता और भोजन पकाने संबंधी अन्य गतिविधियां की जाती हैं, उसे साफ करने के लिए लिक्विड सोप और सफेद सिरका का इस्तेमाल करें। उसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछें और साबुन के घोल से कैबिनेट को अंदर से साफ करें।

किचन के दरवाजे, खिड़कियों और फर्श पर भी हल्की-सी चिपचिपाहट हो जाती है। आते-जाते हमारे हाथ उन पर लगते रहते हैं। अगर दरवाजे फाइबर या एल्युमीनियम के हैं, तो बड़ी आसानी से लिक्विड सोप से साफ हो सकते हैं, पर लकड़ी के दरवाजों को सूखे कपड़े से नियमित साफ करते रहना चाहिए। यों तो किचन में पोछा सभी लगाते हैं, लेकिन पोंछा भी पानी में नमक डाल कर लगाना चाहिए, जिससे नकारात्मकता भी नष्ट होती है और किटाणु भी खत्म हो जाते हैं। अगर जमीन पर कोई चिपचिपी चीज गिर गई हो, तो उस पर ब्लीच डाल दें और फिर उसे ब्रश से रगड़ें। फर्श को चमकदार बनाने के लिए आधा कप सिरके में गरम पानी डाल कर सफाई करें, किचन जगमगा उठेगा।

कुछ उपयोगी सुझाव

एक साफ और सुंदर रसोई में ही अच्छी सेहत का राज छिपा होता है इसलिए घर के हर सदस्य को रसोई और घर के कोने-कोने को साफ करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। रसोई में इस्तेमाल होने वाले बहुत-से उपकरणों की सफाई रोजमर्रा नहीं हो पाती। मसलन मिक्सी, ग्राइंडर, कटर, सैंडविच मेकर, टोस्टर, कद्दूकस, बर्तनों के स्टैंड, जो दीवारों पर लगे रहते हैं, उन सबकी नियमित सफाई निहायत ही जरूरी है। इनके अंदर, किनारों पर तिलचट्टे छिपे रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा रसोई घर के डिब्बों की सफाई कम से कम महीने में एक बार जरूर करें और उसमें अंदर रखे सामान को भी धूप दिखाएं और निश्चित अवधि में उनका सेवन करें अन्यथा वे खराब हो जाएंगे। रात में सोने से पहले किचन साफ कर दें। जूठे बर्तनों को सिंक में न छोड़ें, इससे कीड़े पनप सकते हैं। कीटनाशक स्प्रे का प्रयोग भी रात में रसोई में किया जा सकता है, पर ध्यान रहे उसके बाद रात में रसोई का उपयोग न करें। ❑

बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया

कहानी

तारा निगम

एक जंगल था। वहां सब पशु-पक्षी रहते थे। वहीं एक कोयल भी रहती थी। वह बड़ी शैतान थी। उसे सबको तंग करने में बड़ा मजा आता था। किसी को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए सब उसे शैतानी करने से मना करते, पर वह नहीं मानती थी। उसकी शैतानी के कुछ उदाहरण जैसे एक दिन की बात है, दो चिड़ियां बैठी आपस में बात कर

रही थीं। कोयल आकर उनके पास बैठ गई और बोली, 'क्या कर रही हो?'

'हम गप्पें कर रहे हैं।'

'अच्छा, तुम दोनों यहां बैठी गप्पें कर रही हो। वहां देखो, सब दावत उड़ा रहे हैं।'

'कैसी दावत? हमें भी बताओ, ताकि हम भी दावत का मजा ले सकें।'

'वह गेहूं का गोदाम है न, वहां से गेहूं बाजार जा रहा है। तो बोरों को उठाते-रखते गेहूं गिर रहा है। बस, सबके मजे हो गए हैं।'

चलो चलो- चिड़ियां तुरंत तैयार हो गईं। जब तीनों गोदाम पर पहुंचीं तो गोदाम के दरवाजे पर बड़ा-सा ताला पड़ा मुंह चिढ़ा रहा था।

'यह क्या है कोयल?' चिड़िया गुस्से से बोली।

'बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया', बोल कर कोयल ताली बजाती हंसती-हंसती फुर्र हो गई।

दोनों चिड़ियां खिसिया गईं- यह क्या तरीका है। दोनों उसे कुछ भला-बुरा बोल पातीं उसके पहले ही कोयल यह जा वह जा।

एक दिन बंदर बैठा फलाहार कर रहा था। कोयल इतराती आई- 'ऐ बंदर भाई, तू यहां फल खाने में व्यस्त है। सामने से शेर आ रहा है।'

हे भगवान! बंदर हड़बड़ा गया। क्या करूं, कहां जाऊं! वह हड़बडाहट में पेड़ से गिरा धम्म से और उसे चोट लग गई। कहां है शेर- कहते-कहते वह रोने लगा।

कोयल ही ही करते हुए हंसने लगी और बोली- 'बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया।'

बंदर को बहुत गुस्सा आया, पर उसका गुस्सा देखने से पहले ही कोयल फुर्र हो गई।

कोयल की ये हरकतें किसी को पसंद नहीं आ रही थीं। वह हर किसी को इसी तरह बुद्धू बना रही थी, पर करें तो क्या करें।

एक दिन तो कोयल ने हद ही कर दी। राजा शेर को जाकर बोल दिया- 'महाराज, दूसरे जंगल के शेर ने हमारे जंगल पर हमला बोल दिया हैं। आप सावधान हो जाइए!'

शेर घबरा गया अब क्या करें! वह चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण बेहोश हो गया।

शेरनी भी बहुत घबरा गई। कोयल दूर से चिल्लाई- 'बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया।'

वन में सबको जब यह बात पता चली तो सबने कोयल को बहुत भला-बुरा कहा। सबको लगा, अब तो अति हो गई। यह कोयल महाराज को भी तंग करने लगी है। उनसे भी नहीं डरती है।

'हां यह सच है। इसके मन से डर ही खत्म हो गया है, जो राजा को भी बुद्धू बनाने लगी है।' सब सोचने लगे कि कैसे इसको सबक सिखाएं।

एक दिन कौए ने सबको एक योजना समझाई और तोते को यह काम सौंपा कि वह योजनानुसार काम करे।

तोता मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन कोयल जैसे ही उसके पास आई कि उसे बुद्धू बनाएगी। वह कुछ कह पाती, इससे पहले ही तोता बोला- 'हाय कोयल, आज तो गजब ही हो गया! कौए को ऐसा नहीं करना था।'

'क्या हुआ, कौए ने क्या किया है?'

'तुम तो उस पर बड़ा विश्वास करती हो, पर वह इतना बड़ा विश्वासघात करेगा, हमने कभी सोचा न था।'

'क्या हुआ, कौए ने ऐसा क्या कर दिया, कुछ बताओगे या फिर पहेलियां बुझाते रहोगे?'

'सुनो, कौए ने तुम्हारे अंडे पहचान लिए हैं और उन्हें अपने घोंसले से बाहर फेंक दिया है। कुछ तो टूट गए और कुछ वहीं पड़े हैं।'

'हे भगवान, कौए ने यह क्या किया, हाय! मेरे अंडे...' कह कर कोयल रोने लगी।

'अब जाओ, जाकर खुद देख लो।'

कोयल फुर्र उड़ी और कौए के घोंसले पर पहुंची, तो वहां सब बैठे थे। उसे देख ही ही करके सब हंसने लगे।

कोयल गुस्से से बोली- मेरे अंडे फेंक कर सबको बड़ी हंसी आ रही है।

सब एक साथ बोले- 'बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया।'

'तो, तोते ने मुझसे झूठ बोला!'

कौवा बोला- 'और तुम रोज क्या करती हो? आज जब वही तुम्हारे साथ हुआ, तब दर्द समझ में आया है!'

कोयल का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उसके अंडे सुरक्षित थे। ❑

कविता ● प्रभुदयाल श्रीवास्तव

आम पका

टपका-टपका अभी सामने,
बीच सड़क पर आम पका।

खेल-खेल में गप्पू के संग,
निकले थे मस्ती करने।
ब्रश मंजन कर निकल पड़े थे,
नगर भ्रमण गश्ती करने।
सड़क किनारे आम वृक्ष था।
खड़ा अदब से झुका हुआ।

छत के कंधे पर सिर रख कर,
पेड़ खड़ा मुस्काता था।
मीठे फल, आ जाओ, खिलाऊं,
कह कर हमें बुलाता था।
हम पहुंचे तो हमें देख कर
ठिल-ठिल कर वह खूब हंसा।

सिर को हिला हिलाकर उसने,
पके-पके फल टपकाए।
हम बच्चे भी बीन-बीन कर,
ढेर आम घर पर लाए।
गिरते एक आम को मैंने,
अपने हाथों में लपका। ❑

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

पछाड़ना / पछोरना

हराने के अर्थ में **पछाड़ना** शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्द्धा में जब कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है तो उसे पछाडना कहा जाता है। जबकि **पछोरना** वह क्रिया है, जिसमें अनाज के खर-पतवार, भूसी वगैरह को फटक कर निकाला जाता है।

पाहन / पाहुन

पत्थर का पर्याय है **पाहन**। यह संस्कृत के पाषाण शब्द के घिसने से बना है। जबकि **पाहुन** का अर्थ है अतिथि, मेहमान। कुछ इलाकों में दामाद को भी पाहुन या पहुना कहते हैं। पाहुन बहुत सम्मनजनक शब्द है।